

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 सितम्बर 2020—आश्विन 3, शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2020

क्र. एफ 1-55-2020-बी-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री व्ही. के सिंह, भापुसे, महानिदेशक/अध्यक्ष, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट कार्पोरेशन, भोपाल को दिनांक 14 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2020 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 12-13 सितम्बर व 4 अक्टूबर 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित लंदन की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री अजय शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट कार्पोरेशन, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से महानिदेशक/अध्यक्ष मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2020

फा. क्र. 3726-इक्कीस-ब(दो)-2020.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी श्रीमती यतेश शिशोदिया (Smt. Yatesh Shishodiya), II ADJ, Morena को रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2020

फा. क्र. 2614-2020-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 96), राज्य शासन, श्री अमन सुलिया पुत्र श्री निर्भय सिंह सुलिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, वर्ष 2016 के लिये विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर काल्पनिक रूप से वरिष्ठता क्रम में श्री ऋषभ डोनेल सिंह, वरिष्ठता क्रमांक 95 के नीचे एवं श्री जगमोहन सिंह, वरिष्ठता क्रमांक 97 के ऊपर रखते हुए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है। काल्पनिक नियुक्ति दिनांक से वास्तविक नियुक्ति के मध्य की अवधि तक के वेतन भत्ते एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे।

अभ्यर्थी का गृह जिला देवास (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 17 दिसम्बर 1991 है।

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2020

फा. क्र. 3730-इक्कीस-ब(दो)2019.—विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री नवीन कुमार सक्सेना, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को एवं श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है।

No. 3730-XXI-B(II)-2019.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consultation with the Chief Justice of Madhya Pradesh High Court hereby nominate Sh. Navin Kumar Saxena, District Judge and Chairman, District Legal Services Authorities, Jabalpur and Shri Narendra Pratap Singh, District Judge and Chairman, District Legal Services Authorities, Ujjain as Ex-Officio Members of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date of assuming charge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2020

फा. क्र. 3664-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (ऋण वसूली अधिकरण), जबलपुर के समक्ष शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने के लिये श्री सिद्धार्थ शर्मा, अधिवक्ता, जबलपुर को आगामी आदेश तक के लिये नियुक्त करता है। श्री सिद्धार्थ शर्मा, अधिवक्ता, जबलपुर को निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार फीस एवं व्यय संबंधित विभाग द्वारा देय होंगे:—

तालिका

S. No.	Particulars	Amount
(1)	(2)	(3)
1	Each appearance in the matter	2,000/-
2	Filling Reply in the matter	5,000/-
3	Filling each application or reply to each application in the matter.	1,500/-
4	Misc. Expenses of filling as per actuals.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

अध्यात्म विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2020

क्र. एफ 7-5-2016-अड़सठ.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री माखनसिंह चौहान, 227, व्ही. पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली को मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीता राठौर, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2020

क्र. एफ-3-22-2017-अठारह-5-शुद्धि-पत्र.—नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ-3-22-2017-अठारह-5, दिनांक 21 अगस्त 2020 को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17(क) के अंतर्गत गठित समिति संबंधी आदेश को मध्यप्रदेश के साधारण राजपत्र दिनांक 21 अगस्त 2020 को प्रकाशित हुई थी। उक्त प्रकाशित आदेश में शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के स्थान पर शुभाशीष बैनर्जी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार त्रुटिवश अंकित किया गया है।

(2) अतः शुभाशीष बैनर्जी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार के स्थान पर शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव, नगरीय विकास एवं आवास पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

कार्यालय, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2020

क्र. एफ-1-1-2020-रा.स.-यू.ए. 1-959.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, एतद्द्वारा, डॉ. अखिलेश कुमार पांडे, आचार्य बायोसाईंस विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का कुलपति नियुक्त करती हूँ।

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी।

आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति.

भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं,

Govt. of India
(Ministry of Finance)
Department of Revenue
Office of the Pr. Commissioner of Income Tax - I,
Aayakar Bhawan (Annex), Near White Church, Indore (M.P.)-452001

Order No. 1/ 2020-21

Date:-09.09.2020

Order Under Section 120 of the Income Tax Act, 1961

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 120 of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in accordance with Notification Number S.O. No. 2752(E) dated 22nd October, 2014 of Government of India, Central Board of Direct Taxes, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii) {Notification No. 50/2014/F/No. 187/38/2017(ITA.1)} Notification No. 64/2014 F. No. 187/40/2014 (ITA-1) dated 13.11.2014; subsequent order No. 31, 32, and 33 of the Principal Chief Commissioner of income-Tax (CCA), Bhopal, dated-15.11.2014 vide F. No. Pr. CCIT/MP/Estt/C7A/2014-15 dated 15.11.2014 allocating Ranges including Special ranges under the jurisdiction of Pr. CIT/CIT- I, the Principal Commissioner of Income Tax-1, Indore, having been authorized so, vide notification no. 62 S.O.2755 (E) dated 13th of August, 2020 of ITA-1, corrigendum (Notification No. 68/2020 F.No 187/3/2020) dated 27.08.2020 and office order vide F.No Pr.CCIT/MP/Estt.1/ReAC/2020-21/1782 dated 28.08.2020, office Order vide F.No Pr.CCIT/MP/Estt.1/ReAC/2020-21/1863 dated 01.09.2020, office Order vide F.No Pr.CCIT/MP/Estt.1/ReAC/2020-21/1864 dated 02.09.2020, office Order-No-1 vide F.No Pr.CCIT/MP/Estt.1/ReAC/2020-21/1870 dated 04.09.2020, office Order-No-3 vide F.No Pr.CCIT/MP/Estt.1/ReAC/2020-21/1954 dated 08.09.2020 and office Order-No-4 vide F.No Pr.CCIT/MP/Estt.1/ReAC/2020-21/1955 dated 08.09.2020 make the following amendments in the Notification No -1 of 2014 vide File No. CIT-1/Ind/Jurisdiction/2014-15 dated 15.11.2014 namely:-

- (i) For the Schedule appearing in Notification No-1 of 2014 vide File No. CIT-1/Ind/Jurisdiction/2014-15 dated 15.11.2014, the Schedule shall be substituted as per Annexure- A
- (ii) The order shall come into force w.e.f. 13.08.2020.

Annexure-

SCHEDULE

S No (1)	Designation /Class of Income tax Authorities (2)	Head Quarters (3)	Territorial areas (4)	Persons or classes of persons Cases or classes of cases (5)	Cases orClasses ofcase (6)
1	Addl/JCT Range-1, Indore	Indore, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh:- (a) District of Dhar and (b) District of Jhabua (c) District of Alirajpur	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) (b) and (c) of Column 4. (b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) (b) and (c) of Column 4. (c) Persons being companies registered under Companies Act, 2013 or under the Companies act, 1956 and having its gistered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) (b) and (c) of Column 4. (d) Persons being individuals referred to in item (b) of column 6.	(a) All cases of the persons refer to in corresponding entries in its (a), (b) & (c) of column (5); (b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

2	Add/JCIT Range-4, Indore	Indore Madhya Pradesh	<p>In the state of Madhya Pradesh:-</p> <p>(a) District of Indore</p> <p>(b) Municipal wards of Indore District as per Gazette Notification no. 820 of Madhya Pradesh Government published on 04/07/2014.</p> <p>(xlv) 1-Sirpur, (xlvi)2-Chandan Nagar, (xlvii)3-Kalani Nagar, (xlix)4-Sukhadev Nagar, (li)5-Rajnagar, (lii)6-Malharaganj, (liii)7-Janta Colony, (liiii)8-Juna Risala, (liv)9-Vrindavan, (lv) 10-Banganga,</p> <p>(lvi) 11-Bhagratnupura, (lvii) 12-Govind colony, (lviii)13-Sangam Nagar, (lix) 14-Ashok Nagar, (lx) 15-Bijasan,</p> <p>(lxi) 16-Nandbag, (lxii) 17-Kushwaha Nagar, (lxiii) 18-Sant Kabir, (lxiv)17-Sai Kripa, (lxv)18-Haji Colony,</p> <p>(lxvi)39-Nahar Shah Vall, (lxvii) 40-Khajrana Ganesh, (lxviii)47-Sardar Vallabhbhai Patel, (lxviiii) 51-Bhagwati Nagar,</p> <p>(lix) 52-Musakhedi, Palda, (lxx)53-Dr. Molana Azad Nagar, (lxxi) 54-Residency, (lxxiii (b)) Part of 55-South Tukoganj</p> <p>(Part of the ward having on the left hand side of road from Shivaji Vatika square to Regal square via Madhumilian square excluding Dawa Bazar)</p> <p>(lxxii)56-Snehitaganj, (lxxiii)57 -Devi Ahilyabal, (lxxiv) 60-Ranipura, (lxxv), 61-Tatya Sarwate, (lxxvi)62- Raoli Bazar,</p> <p>(lxxvii)63-Naylakhia, (lxxviii)64-Chitawad, (lxxix)65-Sant Kanwar Ram, (lxxx)70-Loknayak Nagar,</p> <p>(lxxxi) 73-Laxman Singh Chouthan, (lxxxii)74-Vishnupuri, (lxxxiii) 75-Palda, (lxxxiv) 76- Mundala Nayata,</p> <p>Following Tehsil of Indore district:- (c) Tehsil of Mhow.</p> <p>(d) Tehsil of Depalpur.</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) (c) & (d) of Column 4.</p> <p>(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) (c) & (d) of Column 4.</p> <p>(c) Persons being companies registered under Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of Column 4.</p> <p>(d) Persons being individuals referred to in item (c) of column 6</p> <p>(e) Persons deriving income primarily from salary in the territorial jurisdiction as mentioned in item (a) of column 4 as referred to in item (d) of column 6.</p>	<p>(a) All cases of persons referred to corresponding entries in item (a) and (b)</p> <p>(b) All cases of companies mentioned in item (c) of column whose names begin with the alphabet "p" to "z".</p> <p>(c) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) above.</p> <p>(d) All cases of individuals being salaried as mentioned in item (e) column 5.</p>
---	--------------------------	-----------------------	---	---	--

<p>(d) District of Indore (e) Municipal wards of Indore as per Gazette Notification No. 820 of Madhya Pradesh Government published on 04/07/2014. (i) 19-Vishwakarma, (ii) 20-Gauri Nagar, (iii) 21-Shyam Nagar, (iv) 22-Pt. Deendayal Upadhyay Nagar, (v) 23-Lt. Rajesh Joshi, (vi) 24-Sant. Baijainath Maharaj, (vii) 25-Nanda Nagar, (viii) 26-Jeen Mata, (ix) 27-Pashupatinath, (x) 28-Maa Tuja Bhawan, (xi) 29--Dr. Shyama Prasad Mukherjee, (xii) 30-Sant Ravidas, (xiii) 31-Maharaja Chhatrasal, (xiv) 32-Atal Bihari Bajpai, (xv) 33-Sukhaliya (xvi) 34-Shahid Bhagat Singh, (xvii) 35-Lasudiamori, (xviii) 36-Nipania, (xix) 41-Kailashpuri, (xx) 42-Swami Vivekananda, (xxi) 43-Shree Nagar, (xxii) 44-HIG, (xxiii) 45-Dr. Bhimrao Ambedkar, (xxiv) 46-Somnath, (xxv) 48-Geeta Bhawan, (xxvi) 49- Tilak nagar, (xxvii) 50-Brajeshwari, (xxviii) (a) Part of 55- South Tukoganj (Part of the ward having Area on the right hand side of Road from Shivaji Vatika square to Regal Square, via Madhumilan Square and</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (e), (f), (g), & (h) of column (4). (b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principle place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (e), (f), (g), & (h) of Column 4. (c) Persons being companies registered under Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principle place of business in the area mentioned in item (d) of Column 4. (d) Persons being individuals referred to in item (c) of column 6. (e) Persons deriving income primarily from salary in the territorial jurisdiction as mentioned in item (d) of column 4 as referred to in item (d) of column 6.</p>	<p>(a) All cases of persons referred in corresponding entries in item & (b) of column (5). (b) All cases of companies mentioned in item (c) of column whose names begin with the alphabet "A" to "O". (c) All cases of individuals being managing director or director manager or secretary in company referred to in corresponding entry in item (c) column (5). (d) All cases of individuals being salaried as mentioned in item (e) of column 5.</p>
<p>(a) Persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a), (b), (c) & (d) of column 4. (b) Persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a), (b), (c) & (d) of column 4. (c) Persons being companies registered under Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item No. (a), (b), (c) & (d) of Column. 4. (d) Persons being individuals referred to in item (c) of column 6.</p>	<p>(a) Persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a), (b), (c) & (d) of column 4. (b) Persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a), (b), (c) & (d) of column 4. (c) Persons being companies registered under Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item No. (a), (b), (c) & (d) of Column. 4. (d) Persons being individuals referred to in item (c) of column 6.</p>	<p>(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in item (a), (b) & of column (5); (b) All cases of companies mentioned in item (c) of column (5) of column (5) of column (5). (c) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies mentioned in the item (c) of column (5).</p>
<p>(a) District of Khargone, (b) District of Burhanpur & (c) District of Barwani,</p>	<p>(a) District of Khargone, (b) District of Burhanpur & (c) District of Barwani,</p>	<p>(a) District of Khargone, (b) District of Burhanpur & (c) District of Barwani,</p>

3	Addl./CIT Range-1, Ujjain	Ujjain, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh:- (a) District of Ujjain (b) District of Agar (c) District of Dewas (d) District of Shajapur (e) District of Rajgarh (f) District of Ratlam (g) District of Mandasaur (h) District of Neemuch	<p>(a) All persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in item (a) to (h) of column 4</p> <p>(b) All persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in item (a) to (h) of column 4.</p> <p>(c) All persons being companies registered under companies Act 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) to (h) of column 4.</p>	<p>(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in item (a) & (b) of column (5);</p> <p>(b) All cases of companies mentioned in item (c.) of column (5)</p> <p>(c) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies mentioned in the item (a) to (h) of column (5).</p>
---	------------------------------	------------------------------	--	--	---

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 01-49/2018/सात-7:-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग इन्दौर के जिला इन्दौर की तहसील इन्दौर की सीमाओं को परिवर्तित करने, तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

"मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव, लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

क्र०	विद्यमान संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण)	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील की सीमाएं	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील- डॉ. अंबेडकर नगर महु	तहसील डॉ. अंबेडकर नगर (महु) राजस्व निरीक्षक मण्डल 1 महु का हल्का नं. 4 उमरिया के ग्राम पिपल्या मल्हार एवं पानदा	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील- राउ	तहसील राउ राजस्व निरीक्षक मण्डल 3 रंगवासा क हल्का नं. 10 पिगड़म्बर में ग्राम पिपल्यामल्हार एवं पानदा शामिल	उत्तर तहसील हातोद व मल्हारगंज, दक्षिण तहसील अम्बेडकर नगर (महु), पूर्व तहसील जूनी इन्दौर, पश्चिम में तहसील देपालपुर	

1	2	3	4	5	6	7
2.	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील- हातोद	तहसील हातोद राजस्व निरीक्षक मण्डल 1 आगरा हल्का नं. 2 हसनाबाद का ग्राम पिपलोदा	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील- देपालपुर	तहसील देपालपुर राजस्व निरीक्षक मण्डल 4 रगवासा हल्का नं. 106 चटवाडा में ग्राम पिपलोदा शामिल	उत्तर तहसील बड़नगर जिला उज्जैन, दक्षिण तहसील व जिला धार, पूर्व तहसील सावेर, तहसील हातोद, तहसील राउ व जिला उज्जैन, पश्चिम में तहसील व जिला धार व जिला उज्जैन	
3.	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील- हातोद	तहसील हातोद राजस्व निरीक्षक मण्डल 3 पालिया हैदर का हल्का नं. 47 बघाना का ग्राम सतलाना	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील सावेर	तहसील सावेर राजस्व निरीक्षक मण्डल 2 धरमपुरी का हल्का नं. 35 मुरादपुरा में ग्राम सतलाना शामिल	उत्तर जिला उज्जैन, दक्षिण तहसील हातोद, जूनी इन्दौर व तहसील मल्हारगंज व तहसील कनाडिया, पूर्व तहसील व जिला देवास, पश्चिम तहसील देपालपुर	
4.	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील- सावेर	तहसील सावेर राजस्व निरीक्षक मण्डल 2 धरमपुरी हल्का नं. 35 मुरादपुरा का ग्राम मावलाखेड़ी	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील हातोद	तहसील हातोद राजस्व निरीक्षक मण्डल 3 पालिया हैदर के हल्का नं. 47 बघाना में ग्राम मावलाखेड़ी शामिल	उत्तर तहसील सावेर व देपालपुर, दक्षिण तहसील देपालपुर व राउ, पूर्व तहसील मल्हारगंज व तहसील सावेर, पश्चिम में तहसील देपालपुर	
5.	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील- देपालपुर	तहसील देपालपुर राजस्व निरीक्षक मण्डल 2 देपालपुर हल्का नं. 42 शहपुरा का ग्राम खाण्डिया तहसील देपालपुर राजस्व निरीक्षक मण्डल 4 रंगवासा	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील हातोद	तहसील हातोद राजस्व निरीक्षक मण्डल 1 आगरा का हल्का नं. 7 अरन्या में ग्राम खाण्डिया शामिल तहसील हातोद राजस्व निरीक्षक मण्डल 1 आगरा	उत्तर तहसील सावेर व देपालपुर, दक्षिण तहसील देपालपुर व राउ, पूर्व तहसील मल्हारगंज व तहसील सावेर, पश्चिम में तहसील देपालपुर	

		हल्का नं. 107 चिकलोण्डा का ग्राम अगराडी		हल्का नं. 27 अटावादा में ग्राम अगराडी शामिल	
6.	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)	डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) रा.नि. म.-1 महू हल्का नं.4 से 18 व 23 से 27 एवं 76 कुल ग्राम 40. रा.नि.म.-2 मानपुर हल्का नं. 31 से 49 व 77 से 78 कुल ग्राम 55. रा.नि.म.-3 सिमरोल हल्का नं. 61 व 63 से 68 कुल ग्राम 13. रा.नि.म.- 4 बड़गोन्दा हल्का नं. 79 से 94 कुल ग्राम 42. रा.नि.म.- 5 चोरल हल्का नं. 95 से 99 व 102 एवं 103 कुल ग्राम 34, इस प्रकार तहसील के कुल ग्राम 174.	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)	डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) रा.नि.म.-1 महू हल्का नं. 4 से 18 व 23 से 27 एवं 76 कुल ग्राम 38. रा.नि.म.-2 मानपुर हल्का नं. 31 से 49 व 77 से 78 कुल ग्राम 55. रा.नि.म.-3 सिमरोल हल्का नं. 61 व 63 से 68 कुल ग्राम 13. रा.नि.म.-4 बड़गोन्दा हल्का नं. 79 से 94 कुल ग्राम 42. रा.नि.म.-5 व चोरल हल्का नं. 95 से 99 व 102 एवं 103, कुल ग्राम 34. इस प्रकार तहसील के कुल ग्राम 172.	उत्तर राउ व भिचौली हप्सी, दक्षिण जिला खरगौन, पूर्व तहसील खुडैल व जिला खरगौन, पश्चिम में तहसील व जिला धार
7.	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील- हातोद	तहसील हातोद में रा.नि.मं. 1 अगरा हल्का. नं. 1, 2 व 4 से 7 एवं 23 से 30 कुल ग्राम 20. रा.नि.म-2 हातोद हल्का नं. 21, 22, व 33 से 35 एवं 50 से 52 कुल ग्राम 17. रा.नि.म. 3 पालिया हैदर हल्का नं. 39 से 49 कुल ग्राम 20, तहसील में कुल ग्राम 57.	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील- हातोद	तहसील हातोद में रा.नि.म. 1 अगरा हल्का नं. 1, 2 व 4 से 7 एवं 23 से 30 कुल ग्राम 21. रा.नि.म. 2 हातोद हल्का नं. 21, 22 व 33 से 35 एवं 50 से 52 कुल ग्राम 17. रा.नि.म. 3 पालिया हैदर हल्का नं. 39 से 49 कुल ग्राम 21. तहसील में कुल ग्राम 58.	उत्तर तहसील सावेर व देपालपुर, दक्षिण तहसील देपालपुर व राउ, पूर्व तहसील मल्हार गंज व तहसील सावेर, पश्चिम में तहसील देपालपुर

1	2	3	4	5	6	7
8.	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील- सावेर	तहसील सावेर में रा.नि.मं. 1 सावेर हल्का नं. 7 से 18 व 67 से 70 कुल ग्राम 36. रा.नि.म- 2 धरमपुरी हल्का नं. 32 से 35 व 40 से 43 व 71 से 75 व 77 एवं 94 कुल ग्राम 30. रा.नि.म. 3 क्षिप्रा हल्का नं. 46 से 48 व 51 से 54 एवं 58 से 66 कुल ग्राम 24. रा.नि.म 4 चंद्रावतीगंज हल्का नं. 78 से 93 कुल ग्राम 31. तहसील के कुल ग्राम 121.	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील- सावेर	तहसील सावेर में रा.नि.म. 1 सावेर हल्का नं. 7 से 18 व 67 से 70 कुल ग्राम 36. रा.नि.म. 2 धरमपुरी हल्का नं. 32 से 35 व 40 से 43 व 71 से 75 व 77 एवं 94 कुल ग्राम 30. रा.नि.म. 3 क्षिप्रा हल्का नं. 46 से 48 व 51 से 54 एवं 58 से 66 कुल ग्राम 24. रा.नि.म-4 चंद्रावती गंज हल्का नं. 78 से 93 कुल ग्राम 31. तहसील के कुल ग्राम 121.	उत्तर जिला उज्जैन, दक्षिण तहसील हातोद व तहसील जूनी इन्दौर व तहसील कनाडिया, पूर्व तहसील व जिला देवास, पश्चिम तहसील देपालपुर	
9.	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील- देपालपुर	तहसील देपालपुर रा.नि.म. 1 गौतमपुरा हल्का नं. 1 से 22 कुल ग्राम 37. रा.नि.म. 2 देपालपुर हल्का नं. 30 से 40 व 42 से 44 एवं 89 से 95 कुल ग्राम 36. रा.नि.म. 3 बेटमा हल्का नं. 68 से 85 कुल ग्राम 30. रा.नि.म. 4 रंगवासा हल्का नं. 96 से 118 कुल ग्राम 43. तहसील देपालपुर कुल ग्राम 146.	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील- देपालपुर	तहसील देपालपुर रा.नि.म. 1 गौतमपुरा हल्का नं. 1 से 22 कुल ग्राम 37. रा.नि.म. 2 देपालपुर हल्का नं. 30 से 40 व 42 से 44 एवं 89 से 95 कुल ग्राम 35. रा.नि.म. 3 बेटमा हल्का नं. 68 से 85 कुल ग्राम 30. रा.नि. मं. 4 रंगवासा हल्का नं. 96 से 118 कुल ग्राम 43. तहसील देपालपुर कुल ग्राम 145.	उत्तर तहसील बड़नगर जिला उज्जैन, दक्षिण तहसील व जिला धार, पूर्व तहसील सावेर व तहसील हातोद तहसील राउ व जिला उज्जैन, पश्चिम तहसील व जिला धार व जिला उज्जैन	

1	2	3	4	5	6	7
10.	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील- राउ	तहसील राउ रा.नि.म. 1 रिंजलाय हल्का नं. 1 से 4 कुल ग्राम 7. रा.नि.म. 2 धन्नड़ हल्का नं. 5 से 09 कुल ग्राम 5. रा.नि.म. 3 रंगवासा हल्का नं. 10 से 13 कुल ग्राम 07. रा.नि.म. 4 राउ हल्का नं. 14 से 16 एवं 20 कुल ग्राम 5. रा.नि.म. 5 बिजलपुर हल्का नं. 17 से 19 कुल ग्राम 3. तहसील के कुल ग्राम 27.	संभाग इन्दौर जिला- इन्दौर तहसील- राउ	तहसील राउ रा.नि.म. 1 रिंजलाय हल्का नं. 1 से 4 कुल ग्राम 7. रा.नि.म. 2 धन्नड़ हल्का नं. 5 से 09 कुल ग्राम 5. रा.नि.म. 3 रंगवासा हल्का नं. 10 से 13 कुल ग्राम 09. रा.नि.म. 4 राउ हल्का नं. 14 से 16 एवं 20 कुल ग्राम 5. रा.नि.म. 5 बिजलपुर हल्का नं. 17 से 19 कुल ग्राम 3. तहसील के कुल ग्राम 29.	उत्तर तहसील हातौद व मल्हारगंज, दक्षिण तहसील अम्बेडकर नगर (महू), पूर्व तहसील जूनी इन्दौर, पश्चिम में तहसील देपालपुर	

2/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्रमांक-44-अ-82-19-20-भू-अर्जन-848

सागर, दिनांक 23 जनवरी 2020

:: प्रारंभिक अधिसूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को निवारीकला जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 950 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : निवारीकला जलाशय
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : कसली
 3. ग्राम : कुसमी
 4. पट.ह.नं.- : 49
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.17 हे.
 :: अनुसूची-1 ::

बांध निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि-

सं० क्र०	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वमिती का अधिकार	खसरा नं०	कुल रकवा (हेक्ट.में)	अर्जित रकवा (हेक्ट. में)	रिमार्क
1	अमरसींग ना.वा.बल्द श्यामरतीबाई सूकीबाई ना.वा. पुत्री श्याम वली आजी चिंरोजा भूमि स्वामी कमलरानी बेवा श्याम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	521 मे से	0.65	0.49	
2	मुन्नालाल बल्द अमान पता सा. देह सेवा खातेदार	भूमिस्वामी	556 मे से	2.23	0.58	
3	रघुवीर सींग बल्द मोती सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	557 मे से	1.85	0.91	
4	निजाम बल्द मोतीसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	558 मे से	1.83	0.05	
5	दियाली बल्द किशओरी पता सा. देह सेवा खातेदार	भूमिस्वामी	570 मे से	3.02	0.14	
	योग:-	कुल कित्ता		9.58	2.17	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रीति मैथिल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 51-अ-82-17-18-भू-अर्जन-2020-5788

सागर, दिनांक 29 अगस्त 2020

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्राक्धानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : जैसीनगर
3. ग्राम : विलहरा
4. पट.ह.नं.- : 134
5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 7.528 है.

स. क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	ख.नं.	कुल रकबा	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिलहरा माईनर नं.-2								
1	रविशंकर पिता दीनानाथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1418	2.970	0.120	0.000	0.000	1-बेरी बबूल-1 सरई-1
2	देवीदयाल पिता नर्मदाप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1142	1.610	0.408	0.000	0.000	0
3	पदमसींग अजय कुमार पिता जैसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1141	0.210	0.000	0.080	0.000	0
4	परमानंद पिता गनपत सींग साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1140	0.210	0.000	0.080	0.000	0
5	बाबूलाल बल्द गफलू साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1128	0.540	0.000	0.168	0.000	2-बेरी बबूल-4
6	गोरेलाल, गफलू पिता सुखलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1127	0.060	0.016	0.000	0.000	0
7	गोरेलाल पिता सुखलाल साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1126	0.890	0.128	0.000	0.000	बेरी-4 नीवू-1 रुसल्ला-1
8	मदन राजू संजय अशोक पिता चन्द्रशेखर पुष्पा मुन्नी आशा रचना पुत्री चन्द्रशेखर मदन कुमार राजू संजय अशोक पिता चन्द्रशेखर साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1095	0.780	0.176	0.000	0.000	बेरी-1
9	प्रह्लाद बल्द भवानी प्रसाद साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1093	1.160	0.104	0.000	0.000	0

10	प्रहलाद पिता भवानी कुसुमरानी पति मोहनलाल साहू साकिन बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1092/1	0.730	0.040	0.000	0.000	0
11	प्रहलाद बल्द भवानी प्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1091/1	0.300	0.044	0.000	0.000	बेरी- 4
12	हेमन्त ना. वा. बल्द वलीरामेश्वर प्रसाद बल्द गोकल प्रसाद पता साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1091/2	0.800	0.044	0.000	0.000	0
13	झलकन पिता रामनाथ पता साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1090	1.080	0.000	0.080	0.000	0
14	कमलाबाई विश्वकर्मा पत्नि सुरेश कुमार विश्वकर्मा साकिन अहमद नगर वृन्द्रावन वार्ड सागर	भूमिस्वामी	1089	0.320	0.012	0.000	0.000	0
15	राजकुमारी पत्नि वीरसींग साकिन अहमद नगर विन्द्रावन वार्ड सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1088	0.810	0.000	0.152	0.000	बेरी- 2 बबूल- 6
16	रामेश्वर पिता गोकुल साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1087/1	1.400	0.104	0.000	0.000	0
17	सुरेश बल्द गोकल साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	1087/2	0.920	0.104	0.000	0.000	नींबू- 3
		भूमिस्वामी	1085	0.380	0.056	0.000	0.000	नींबू- 5 बेरी- 2
18	पन्नालाल रामसेवक भगवानदास राजेश पिता बालचंद काशीबाई रामवती श्रीबाई सवित्री सुशीला राजकुमारी पुत्री बालचंद विजय रंजय गीता नमिता स्मिता पिता दामोदर फूलाबाई वेवा दामोदर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	978	1.420	0.216	0.000	0.000	बबूल- 2
19	अशोक गोविन्द पिता नत्थू खजुरिया वारी वेवा दुरगा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	990	0.990	0.000	0.112	0.000	0
20	हरप्रसाद कन्हैयालाल पिता काशीराम पार्वती पुत्री काशीराम बाबू कलू गोपाल पिता उमराव अनीता भग्गो पुत्री उमराव धांधू राजू प्रकाश पिता जमना सुनीता पुत्री जमना सियारानी वेवा जमना रामरानी वेवा उमराव मुकेश पिता परमानंद श्यामा पुत्री परमानंद फूलरानी वेवा परमानंद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	989	0.990	0.168	0.000	0.000	0
21	जितेन्द्र सिंह पिता विजय बहादुर साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1019/1/1	2.490	0.400	0.000	0.000	बेरी- 3नीम- 1बबूल- 3बेल- 1
22	जितेन्द्र सिंह पिता विजय बहादुर साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1022/1	0.330	0.000	0.088	0.000	0
23	जितेन्द्र सिंह पिता विजय बहादुर साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	862/1	0.630	0.208	0.000	0.000	0
24	गोमती बाई वेवा दिभान रगली हीरालाल गोकल, प्रेमदयाल, पिता दिभान हीराबाई मलतोबाई, गीताबाई ललताबाई पुत्री दिभान साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	845/1	0.310	0.000	0.019	0.000	0
25	गोकल पिता दिभान सा. देह भू स्वामी	भूमिस्वामी	845/2	0.070	0.000	0.019	0.000	0
26	जितेन्द्र सिंह पिता विजय बहादुर साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	846/1/1	5.100	0.000	0.144	0.000	0

27	सदीप ना.वा.पिता रणधीरसिंह दीपमाला अनीता ना.वा. पुत्री रणधीरसिंह वली व खुद माँ हेम कुमारी बेवा रणधीरसिंह साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	846/2	2.550	0.000	0.144	0.000	0
28	सुमतरानी बेवा नारान भगवानदास बाबूलाल दामोदर मनोहर पिता नारान गोपीबड़ा मालतीबाई जयन्ती उमा कौशिल्या मोतीबाई पुत्री नारान साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	507	0.200	0.000	0.062	0.000	0
29	रतन पिता बेनी साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	508	0.220	0.000	0.062	0.000	0
30	दयाली पिता केहरी 1/5 भाग नन्देलाल उर्फ नन्देभाई पिता केहरी 1/5 भाग घनश्याम पिता केहरी 1/5 भाग हीरालाल पिता केहरी 1/5 भाग साकिन बिलहरा प्रीति पुत्री केहरी 1/5 भाग साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	506	0.070	0.000	0.000	0.012	0
31	किसान पुत्र उद्धार (शिक्षा) समिति बिलाहरा सविप कृष्णा सिंह पिता छोटे सिंह पता साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	505	0.760	0.000	0.067	0.000	0
		भूमिस्वामी	513/2	0.170	0.000	0.010	0.000	0
32	कुंवरबाई बेवा उदयमान सिंह साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	504	1.300	0.139	0.000	0.000	0
33	कृष्णसिंह राघवेन्द्र सिंह कुसुम मालती पूना पिता छोटेसिंह रामसखी अंगूरी पिता छोटेसिंह साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	513/1/1	0.417	0.010	0.000	0.000	0
34	माया पत्नि माधव प्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	503/1	0.160	0.000	0.007	0.000	बेरी- 2
35	माधव प्रसाद बल्द बैजनाथ साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	500/1	1.550	0.060	0.000	0.000	बेरी- 1 नीम- 1
36	अमित पिता माधव प्रसाद साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	500/2	1.010	0.060	0.000	0.000	रंजा- 1
37	प्रकाशचंद पिता मगनचंद पता साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	499	1.120	0.067	0.000	0.000	0
		भूमिस्वामी	495	1.370	0.072	0.000	0.000	0
38	दिनेश कुमार, वल्द श्रीचंद साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	478	1.400	0.101	0.000	0.000	0
		भूमिस्वामी	477/2	0.690	0.072	0.000	0.000	0
39	सचिन कुमार पिता श्रीचंद जैन साकिन बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	475	0.400	0.000	0.062	0.000	बबूल- 1
40	गरिमा पति रितुल कुमार साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	466	0.810	0.000	0.096	0.000	0
41	रमेशचन्द्र पिता छोटेला साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	464/1	1.010	0.058	0.000	0.000	0
		भूमिस्वामी	464/2	0.800	0.024	0.000	0.000	बबूल- 1
42	विजेन्द्रसिंह पिता यतेन्द्र सिंह उर्फ इन्द्राजसिंह पता साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	460	5.700	0.000	0.220	0.000	0
बिलहरा गाँव नं. 3								
43	विष्णुप्रसाद पिता पंचम साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	764/1	2.050	0.000	0.136	0.000	0
44	अमरसिंग चेतु चेतु साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	764/2	2.050	0.200	0.000	0.000	0
45	अनिल देवेन्द्र पिता ब्रजगोपाल /2 भाग जयशंकर ओमप्रकाश पिता बेनीप्रसाद 1/2 भाग साकिन बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	763	1.830	0.120	0.000	0.000	0
46	गनीष पिता यशोदानंदन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	758/1	1.390	0.000	0.057	0.000	0
47	मुरारी पिता विजय सिंह साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	759	0.790	0.019	0.000	0.000	0

48	कुसुमरानी पत्नि मुन्ना साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	757	1.100	0.000	0.032	0.000	0
49	अरविन्द्र पिता प्रताप सिंह सा. देह भू स्वामी	भूमिस्वामी	748	2.050	0.000	0.160	0.000	0
50	नमीता पति अरविन्द्र सिंह सा. देह भू स्वामी	भूमिस्वामी	720/1	2.000	0.116	0.000	0.000	0
51	सत्यनारायण ना.वा. बल्द वीरसींग अगिपेक ना.वा. बल्द राजन बल्द आ.जा. महाराज सींग बल्द लक्ष्मण सींग साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	720/2	0.600	0.000	0.116	0.000	0
52	राधवेन्द्र पिता विजय सा. पिपरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	720/3	1.790	0.000	0.116	0.000	0
53	निरजन पिता विजय सिंह साकिन पिपरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	720/4	1.600	0.000	0.116	0.000	0
54	प्रकाशचंद पिता मगनचंद साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	723	1.950	0.032	0.000	0.000	0
55	हरभजन पिता इन्द्राज सिंह साकिन पिपरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	715/1	2.000	0.011	0.000	0.000	0
56	राधारानी पति इन्द्राज सिंह साकिन पिपरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	715/2	2.000	0.011	0.000	0.000	0
57	श्री देव जानकी रमण जी मंदिर	भूमिस्वामी	714	2.020	0.142	0.000	0.000	0
58	इन्द्राजसिंह पिता जगतसिंह पता साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	713	0.810	0.000	0.082	0.000	0
59	साधना पति हरभजन सिंह साकिन पिपरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	691/1	0.380	0.000	0.043	0.000	0
60	इंद्रजीत पिता जगत सिंह सा. देह भूस्वामी	भूमिस्वामी	691/2	0.120	0.000	0.043	0.000	0
61	लक्ष्मी प्रसाद पिता बद्धीप्रसाद साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	688	0.930	0.082	0.000	0.000	0
62	करन सींग बल्द सुम्भर सिंह पता साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	693	1.190	0.048	0.000	0.000	0
63	लोकमन बल्द द्वारकाप्रसाद पता साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	556/1	1.270	0.065	0.000	0.000	0
64	बाबूलाल बल्द द्वारकाप्रसाद पता साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	556/2	1.270	0.000	0.065	0.000	0
65	नोकेलाल बल्द द्वारकाप्रसाद पता साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	556/3	1.260	0.065	0.000	0.000	0
66	भूपत बल्द द्वारका पता साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	558/1	0.600	0.046	0.000	0.000	0
67	द्वारका पिता गनेश पता साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	558/2	1.520	0.046	0.000	0.000	0
68	भूपत बल्द द्वारका साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	559/1	0.580	0.019	0.000	0.000	0
69	गपफू पि. कच्छेदी पता साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	559/2	0.700	0.019	0.000	0.000	0
70	श्री देव जानकी रमण जी मंदिर	भूमिस्वामी	562	1.460	0.000	0.077	0.000	0
71	दगू उर्फ दामोदर मोहन पिता रमली साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	564/2	0.720	0.086	0.000	0.000	0
72	भगवानदास पिता नारायण उर्फ नरान पता साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	567/1	0.520	0.048	0.000	0.000	0
73	बबलू पिता नारायण उर्फ नरान साकिन विलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	586/1	0.270	0.000	0.024	0.000	0
74	प्यारेलाल पिता करोड़ी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	584/1	0.120	0.014	0.000	0.000	0

75	जयराम पिता अमर सींग सा. देह भू स्वामी	भूमिस्वामी	584/2	0.040	0.000	0.010	0.000	0
76	सीताराम पिता अमर सिंह सा. देह भू स्वामी	भूमिस्वामी	584/3	0.040	0.010	0.000	0.000	0
77	भूपेन्द्र पिता अमर सिंह सा. देह भू स्वामी	भूमिस्वामी	584/4	0.040	0.010	0.000	0.000	0
78	मन्नू पिता काशीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	583/1	0.260	0.038	0.000	0.000	0
		भूमिस्वामी	583/2	0.260	0.038	0.000	0.000	0
79	रतन पिता लक्ष्मन साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	594	0.550	0.048	0.000	0.000	0
80	सुमतरानी बेवा नरान, भगवानदास बाबूलाल, दामोदर, मनोहर, पिता नरान गोपीबाई, मालतीबाई, जयन्ती, उमा, कौशल्या मोतीबाई, पुत्री नरान साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	593	0.350	0.076	0.000	0.000	0
81	नंदरानी बेवा काशीराम भगवानदास मन्नूलाल तुलसीराम रामदास गोविन्द वा. प्रकाश रामचरन नाबा. पिता काशीराम वली गाँ नंदरानी चंदोबाई वा. पार्वतीबाई नाबा पुत्री काशीराम वली मां नंदरानी दुलारी बेवा खेमचंद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	595	0.590	0.067	0.000	0.000	0
82	सुहागरानी बेवा छुट्टा माधोप्रसाद भैयालाल सुन्दर बल्द छुट्टा पता साकिन देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	596	1.530	0.116	0.000	0.000	0
83	माखन पिता निरपत साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	602/1	0.320	0.082	0.000	0.000	0
		भूमिस्वामी	603/2	0.190	0.020	0.000	0.000	0
84	रामू पिता निरपत साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	602/2	0.320	0.041	0.000	0.000	0
		भूमिस्वामी	603/1	0.170	0.020	0.000	0.000	0
योग:-			92	92.807	4.766	2.749	0.012	

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार निम्नानुसार है:-

- 1(1) प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा।
 - 1(2) ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अत्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
 - 1(3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
 - 2(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
 - 3(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन, सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
 - 4(1) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।
 - 5(1) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
 - 5(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
 - 5(3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसरानालक सहूलियतों और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी

कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिधात को कम करने का प्रयास कर सकें।

युक्तियुक्त वारायोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी :-

- 1- सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहगासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- 2- वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- 3- भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- 4- पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- 5- राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- 6- उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- 7- यथोचित पंचायत घर
- 8- जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- 9- स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- 10- प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- 11- शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- 12- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
- 13- दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र
- 14- भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- 15- बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- 16- प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- 17- प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।
- 18- व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो।
- 19- मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन, के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 5/10/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 51-अ-82-17-18-भू-अर्जन-2020-5789

मौजा बिलहरा पट.ह.नं.-134 तहसील जैसीनगर

परकूल मध्यम परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा बिलहरा पटवारी हल्का नंबर-134 तहसील जैसीनगर जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 51अ/82/17-18 में भूमि अर्जन पुनर्वाचन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-51अ/82/17-18/5213 सागर, दिनांक 03/07/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 02/07/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की तीन मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 38-अ-82-19-20-भू-अर्जन-2020-5894

सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2020

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : निवारी कलां जलाशय योजनांतर्गत जलाशय निर्माण
 (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : सहजपुर
 4. पट.ह.नं.- : 42
 5. अर्जित की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 0.420 है.

स. क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	ख.नं.	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	त्रिभुवन लाल वल्द अयोध्या प्रसाद जाति खरे साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	226/4	2.220	0.000	0.030	0.000	निरंक
2	कल्पनाबाई जोजे त्रिभुवन लाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	226/3	1.980	0.000	0.010	0.000	निरंक
3	मुन्ना वल्द नन्ना साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	234/2	1.060	0.380	0.000	0.000	निरंक
योग:-			03	5.260	0.380	0.040	0.000	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति/कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 5/10/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 43-अ-82-19-20-भू-अर्जन-2020-5895

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : निवारी कलां जलाशय योजनांतर्गत जलाशय निर्माण
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : मुहली
 4. पट.ह.नं.- : 53
 5. अर्जित की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 43.330हे.

स. क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	ख.नं.	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजेश्वरी नाबालिग वल्द अर्जुन वली माँ संध्या जोजे अर्जुनसींग साकिन निवारीकलां भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	327	0.000	0.000	0.350	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	326/3	2.060	0.000	1.860	0.000	निरंक
2	जीवनसिंह पिता बाबूसिंह साकिन निवारीकलां भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	328/1	0.110	0.000	0.110	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	328/5	2.110	0.000	0.300	0.000	निरंक
3	साधना जोजे रेवाराम साकिन देवरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	328/4	2.000	0.000	2.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	328/8	2.000	0.000	1.410	0.000	निरंक
4	सुनीता पति सुरेन्द्र सिंह कौशिक साकिन फरीदाबाद हरियाणा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	306/1	0.350	0.000	0.000	0.350	निरंक
		भूमिस्वामी	326/1	0.920	0.000	0.000	0.400	निरंक
5	अभिषेक वल्द नन्हेभाई लीलावती उर्फ ज्योति वेवा नन्हेभाई साकिन अमोदा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	307	5.120	0.000	5.120	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	316	1.630	0.000	1.630	0.000	निरंक
6	अर्जुनसींग पिता भगतसींग साकिन निवारीकलां भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	306/2	0.340	0.340	0.000	0.000	निरंक
7	भगवानदास रघुनंदन पिता शालकराम बल्ले लालचंद प्रेमनारायण पिता दुलारे साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	305/1	1.130	0.000	1.130	0.000	निरंक
8	धनसींग वल्द मूरतसींग गौड़ साकिन सुना तहसील देवरी	भूमिस्वामी	305/2	0.800	0.000	0.800	0.000	निरंक
9	विजयसिंह वल्द भोलानाथ साकिन झिरिया सेमरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	308/1	0.680	0.000	0.680	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	309/1	6.430	0.000	2.000	0.000	निरंक

10	महेश कुमार जिनेन्द्र कुमार पिता अजीत कुमार शैलेन्द्र कुमार वल्द जिनेन्द्र कुमार साकिन गजबसीदा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	308/2	0.700	0.000	0.700	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	309/2	6.420	0.000	0.800	0.000	निरंक
11	मूरतसीग वल्द गुबंदी गौड़ साकिन सुना तह.देवरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	305/3	0.330	0.000	0.330	0.000	निरंक
12	भगवानदास पिता रामसहाय भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	303/1	0.310	0.000	0.310	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	5/2	0.800	0.000	0.010	0.000	निरंक
13	भैयाराम पिता रामसहाय साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	303/2	0.310	0.310	0.000	0.000	सागौन-2 कोहा-12
		भूमिस्वामी	5/4	0.270	0.000	0.010	0.000	निरंक
14	कन्हैयालाल पिता रामसहाय साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	303/3	0.310	0.000	0.310	0.000	कोहा-12
		भूमिस्वामी	5/5	0.270	0.000	0.010	0.000	निरंक
15	हरिसिंह पिता रामसहाय साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	303/4	0.310	0.310	0.000	0.000	कोहा-12
		भूमिस्वामी	301	0.370	0.140	0.000	0.000	निरंक
16	राजेन्द्र सिंह नाबालिग पिता रघुनाथ सीग साकिन अमोदा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	3	1.510	0.000	0.090	0.000	निरंक
17	हरिसीग वल्द रामसहाय साकिन अमोदा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	5/3	1.630	0.000	0.010	0.000	निरंक
18	राजाभैया नाबालिग वल्द रघुनाथ सीग साकिन अमोदा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	299	0.070	0.000	0.020	0.000	निरंक
19	गजेन्द्र पिता लक्ष्मीसिंह साकिन सिरमोर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	311/1	1.980	0.000	0.080	0.000	निरंक
20	जितेन्द्र कुमार पिता कमलचंद जैन साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	312	2.160	0.000	0.940	0.000	निरंक
21	धरमबाई पति रामप्रसाद साकिन बिलहरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	314/1	0.400	0.000	0.400	0.000	निरंक
22	नत्थू वल्द साहबसीग साकिन सुना तह. देवरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	314/2	0.420	0.000	0.340	0.000	निरंक
23	मोहन वल्द रामप्रसाद सयाकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	314/3	1.200	0.000	1.200	0.000	निरंक
24	सिलारीवारी पति गनेश साकिन बिलहरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	314/4	0.080	0.000	0.080	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	319/1	0.500	0.000	0.500	0.000	निरंक
25	भगवानदास वल्द वारे साकिन पीपला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	314/5	0.870	0.000	0.870	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	319/3	0.350	0.000	0.240	0.000	निरंक
26	हरीसीग पिता भगोला साकिन पीपला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	314/6	0.400	0.000	0.400	0.000	निरंक
27	मूरतसीग वल्द रघुवीरसीग साकिन निवारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	320	1.640	0.000	0.720	0.000	निरंक
28	गोतम गोविन्द पिता राधेश्याम साकिन अमोदा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	315	2.950	2.950	0.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	318/4	0.330	0.330	0.000	0.000	निरंक
29	सीताराम पिता बालाप्रसाद सानि अमोदा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	317/1	0.280	0.280	0.000	0.000	निरंक
30	संदीप पिता लक्ष्मीनारायण कटारे साकिन केसली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	318/1	0.770	0.000	0.770	0.000	निरंक
31	संजय वल्द अशोक साकिन तेंदूडाबर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	318/2	1.620	0.970	0.000	0.000	निरंक
32	महेश दीनानाथ पिता लालचंद हरबाई गोमती पुत्री लालचंद रूपरानी वेवा रामकिशन अरविन्द अमित पिता रामकिशन सुनीता	भूमिस्वामी	318/3	2.000	1.490	0.000	0.000	निरंक

	आरती सीता अनीता पुत्री रामकिशन साकिन अमोदा भूमिस्वामी								
33	रामकली छोटीबाई पुत्री हल्कू भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	321	0.340	0.000	0.010	0.000	निरंक	
34	सोमतीबाई पुत्री हल्कू साकिन निवारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	326/4	0.200	0.000	0.200	0.000	निरंक	
35	रोहित वल्द अशोक कुमार साकिन तेंदूखेड़ा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	326/6	5.080	0.000	1.950	0.000	निरंक	
		भूमिस्वामी	326/7	0.930	0.000	0.930	0.000	निरंक	
		भूमिस्वामी	306/3	0.500	0.000	0.500	0.000	निरंक	
36	कल्याण सिंह पिता स्वरूप सिंह साकिन सैंडारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	326/8	1.200	0.000	1.200	0.000	निरंक	
37	कृष्णारानी पति कल्याण सिंह साकिन सैंडारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	326/9	2.370	0.000	2.370	0.000	निरंक	
38	करनसीग पिता प्रेमसीग साकिन कला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	306/4	1.770	0.000	1.770	0.000	निरंक	
योग:-			54	69.630	7.120	35.460	0.750		

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति/कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 06/10/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 39-अ-82-19-20-भू-अर्जन-2020-5896

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : निवारी कलां जलाशय योजनांतर्गत जलाशय निर्माण
 (2) भूमि का विवरण : सागर
 1. जिला : कंसली
 2. तहसील : कुकरयाऊ
 3. ग्राम : 53
 4. पट.ह.नं.- : 53
 5. अर्जित की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 1.750 हे.

स. क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	ख.नं.	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कुदऊ वल्द कन्छेदी झुन्ता वेवा कन्छेदी साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	96	3.180	0.040	0.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	107	0.660	0.000	0.070	0.000	निरंक
2	कुदऊ वल्द कन्छेदी सा. सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	97	2.440	0.040	0.000	0.000	निरंक
3	धनसीग वल्द मोहनलाल साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	98/2	1.230	0.180	0.000	0.000	निरंक
4	बालमुकुन्द वल्द भगवानदास साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	100	2.100	0.000	0.220	0.000	निरंक
5	जागेश्वर वल्द बालमुकुन्द साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	101	0.400	0.000	0.060	0.000	निरंक
6	धनसीग वल्द जगदीश साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	103/2	0.920	0.300	0.000	0.000	निरंक
7	मिहिरबान वल्द परमलाल साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	90/1	1.840	0.300	0.000	0.000	निरंक
8	मोहन वल्द परमलाल साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	90/2	1.360	0.260	0.000	0.000	निरंक
9	विपनेश कुमार वल्द वीरेन्द्र कुमार साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	62/2	1.210	0.000	0.100	0.000	निरंक
10	राकेश कुमार वल्द मुलामचंद साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	63	1.750	0.000	0.180	0.000	निरंक
योग:-			11	3.200	1.120	0.630	0.000	निरंक

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति/कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 6/10/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 37-अ-82-19-20-भू-अर्जन-2020-5897

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : निवारी कलां जलाशय योजनांतर्गत जलाशय निर्माण
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : कैंकरा
 4. पट.ह.नं.- : 48
 5. अर्जित की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 16.380 हे.

स. क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	ख.नं.	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बेटीबाई पुत्री कुन्दन साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	292/1	0.250	0.000	0.030	0.000	निरक
2	घनश्याम वल्द रम्पू साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	292/2	1.740	0.090	0.000	0.000	निरक
3	खेमचंद पिता कोमल साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	292/3	2.020	0.000	0.100	0.000	निरक
4	चूरामन पिता रम्पू साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	292/4	0.200	0.000	0.030	0.000	निरक
5	कैलाश पिता नन्ना साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	290/2	0.140	0.140	0.000	0.000	निरक
		भूमिस्वामी	291/2	1.830	0.210	0.000	0.000	निरक
		भूमिस्वामी	291/3	0.800	0.170	0.000	0.000	निरक
		भूमिस्वामी	312/4	0.290	0.000	0.290	0.000	निरक
		भूमिस्वामी	310	0.290	0.000	0.060	0.000	निरक
6	संजीव कुमार संदीप कुमार पिता सीताराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	291/1	2.620	0.000	1.670	0.000	निरक
		भूमिस्वामी	290/1	0.140	0.000	0.140	0.000	निरक
7	रंजीत अखलेश पिता प्रयाग साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	300	0.360	0.070	0.000	0.000	निरक
8	राधारानी जोजे गनेश फौजदार साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	301	0.080	0.000	0.000	0.030	निरक
		भूमिस्वामी	302	1.220	0.000	0.430	0.000	निरक
9	बबू फलू पिता बिजई रमेश सुरेश बबलू पिता जगतसींग साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	304	4.200	0.000	3.100	0.000	निरक
10	बबू पिता बिजई साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	305	2.060	0.000	1.240	0.000	निरक
11	संजय पिता गनेश प्रसाद साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	315/2	3.480	0.000	2.000	0.000	निरक
12	दिनश कुमार गारीशकर साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	315/3	4.000	0.000	3.330	0.000	निरक

13	सुरेश पिता गौरीशकर साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	313	1.280	0.000	0.560	0.000	निरक
14	फूलरानी जोजे रामेश्वर साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	312/1	1.980	0.530	0.000	0.000	निरक
		भूमिस्वामी	312/3	0.300	0.300	0.000	0.000	निरक
15	चन्द्ररानी पति खिलान साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	312/2	1.180	1.060	0.000	0.000	निरक
16	श्री देव खेरापति. पूर्ति मढ़िया सहजपुर मुह. सुहागरानी जाजे जागश्वर साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	312/5	0.800	0.000	0.800	0.000	निरक
योग:-			23	31.260	2.570	13.780	0.030	निरक

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति/कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 05/10/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 42-अ-82-19-20-भू-अर्जन-2020-5898

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : निवारीकलॉ जलाशय एवं नहर निर्माण परियोजना
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : निवारीखुर्द
 4. पट. ह. नं.- : 53
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 9.260

स.क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	ख.नं.	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण			जमित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अभिषेक नाबालिग वल्द अर्जुन सींग वली माँ संघ्या जोजे अर्जुनसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	2/2	1.210	0.840	0.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	5/1	0.810	0.400	0.000	0.000	निरंक
2	अर्जुन सींग वल्द भगतसींग साकिन निवारी कलां भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	3	0.410	0.000	0.010	0.000	निरंक
3	संजय सिंह वल्द तेजबल सिंह साकिन कलां भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	5/2	1.060	0.000	0.600	0.000	निरंक
4	जगदीश प्रसाद बाबूलाल गुप्ता साकिन नरसिंह वार्ड गाडरवारा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	5/3	3.000	0.000	1.340	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	5/6	0.320	0.000	0.100	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	7	0.120	0.000	0.120	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	11	0.170	0.000	0.170	0.000	निरंक
5	श्रीमति सुनीता पति सुरेन्द्र सिंह कौशिक साकिन फदीदाबाद हरियाणा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	5/4	2.100	0.400	0.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	8/1	0.600	0.000	0.200	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	62	0.960	0.000	0.020	0.000	निरंक
6	शंकरसिंह सत्यपाल सिंह पिता मोहन सींग सुशीला वेवा मोहनसींग साकिन निवारी कलां भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	5/5	1.200	0.000	1.000	0.000	निरंक
7	सुरेन्द्र सिंह वल्द दीवानचद कौशिक सा. हरियाणा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	9/4	0.780	0.000	0.140	0.000	निरंक
8	सुरेन्द्र सिंह बाबू सिंह बन्दू सिंह पिता गुलाब सिंह मायाबाई वेवा गुलाब सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	12	0.100	0.000	0.100	0.000	निरंक

9	नन्हीबाई फूलाबाई पुत्री विशालसिंग साकिन निवारी कला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	14/1	2.100	0.000	0.200	0.000	निरंक
10	सावित्रीबाई पति जितेन्द्र साकिन देवरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	14/4	4.040	0.000	0.240	0.000	निरंक
11	शंकरसिंग वल्द मोहनसिंग साकिन निवारी कला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	14/5	1.200	0.000	0.060	0.000	निरंक
12	बृजेशसिंग पिता भगतसिंग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	14/3/2	2.000	0.000	0.040	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	36	0.920	0.000	0.130	0.000	निरंक
13	श्रीमति मीराबाई जोजे वीरनसिंग साकिन निवारी खुर्द भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35	1.260	0.180	0.000	0.000	निरंक
14	फूलरानी वेया बन्धू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	39/3	0.670	0.100	0.000	0.000	निरंक
15	तेजबलसिंग पिता इमरतसिंग साकिन मुहली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	38/2	1.420	0.000	0.410	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	33/2	0.930	0.000	0.300	0.000	निरंक
16	रघुवीरसिंग वल्द गोरेलाल साकिन मुहली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	33/3	3.460	0.000	0.010	0.000	निरंक
17	बारेलाल वल्द भलकू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	31	0.710	0.080	0.000	0.000	निरंक
18	राजेश पिता दीलत पाल साकिन मुआर खास सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	110/2	0.190	0.000	0.010	0.000	निरंक
19	रामलाल वल्द मोहनलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	114	0.970	0.000	0.090	0.000	निरंक
20	चन्द्ररानी जोजे भगवानदास संख्यारानी जोजे महादेव साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	116	1.110	0.000	0.220	0.000	निरंक
21	कच्छेदी वल्द सुल्तानसिंग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	117	1.080	0.000	0.100	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	123/1	1.750	0.000	0.330	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	140/1	0.870	0.000	0.200	0.000	निरंक
22	प्रकाश वल्द विशाल मथरा वेया विशाल साकिन डुहली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	147/1	0.650	0.000	0.090	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	124/1	0.320	0.000	0.010	0.000	निरंक
23	बृजेन्द्र पिता बारेलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	124/1	0.320	0.000	0.010	0.000	निरंक
24	भागीरथ वल्द देवी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	132/1	1.350	0.000	0.060	0.000	निरंक
25	रामरानी जोजे ग्याप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	133/1	0.740	0.160	0.000	0.000	निरंक
26	प्रेमबाई जोजे विरसंग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	132/4	1.000	0.000	0.110	0.000	निरंक
27	दलसिंग वल्द फागू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	144	1.050	0.000	0.120	0.000	निरंक
28	वर्षा पति कच्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	145	1.430	0.000	0.140	0.000	निरंक
29	अर्जुन वल्द कडोरी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	146	0.410	0.000	0.070	0.000	निरंक
30	कलीबाई जोजे देवीसिंग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	175	0.500	0.000	0.140	0.000	निरंक
31	स्वाती पुत्री कल्याण सिंह प्रगति पुत्री सोबरन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	176	0.950	0.000	0.220	0.000	निरंक
योग:-			41	45.920	2.160	7.100	0.000	निरंक

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 06/10/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 40-अ-82-19-20-5899

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : निवारीकलों जलाशय एवं नहर निर्माण परियोजना
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : डुहली
 4. पट. ह. न.- : 54
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.900

संक्र. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खंड नं०	कुल रकबा	अर्जित रकबा	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	भूमि का प्रकार	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नरान सींग बल्द साहब सींग पता सा. देह	भूमि स्वामी	18/2 /1	1.00	0.30	निरंक	असिंचित	
2	ललताबाई दमयंतीबाई पुत्री गुल्ली कलू राधे बत्ता पंचम पिता कुन्दनप्रेमबाई श्रीबाई पुत्री कुन्दन रामजी गुडू पिता देवी जमुनियावारी बैवा देवी पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	22	1.95	0.03	निरंक	असिंचित	
3	ललताबाई दमयंतीबाई पुत्री गुल्ली कलू राधे बत्ता पंचम पिता कुन्दनप्रेमबाई श्रीबाई पुत्री कुन्दन रामजी गुडू पिता देवी जमुनियावारी बैवा देवी पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	21	0.10	0.01	निरंक	असिंचित	
4	बिहारी बल्द करनसींग पता सा.देह	भूमि स्वामी	20	0.14	0.06	निरंक	असिंचित	
5	बिहारी बल्द करनसींग पता सा.देह	भूमि स्वामी	19	0.70	0.01	निरंक	असिंचित	
6	बिहारी बल्द करनसींग पता सा.देह	भूमि स्वामी	41	0.64	0.12	निरंक	असिंचित	
7	राजकुमार धरमू पिता बैजनाथ भागबाई मल्लीबाई पुत्री बैजनाथ सुमतरानीबैवा बैजनाथ भूमि स्वामी गुलाबरानी बैवा मोतीलाल पता सा.देह	भूमि स्वामी	39	1.30	0.28	निरंक	असिंचित	

8	राजकुमार धरमू पिता बैजनाथ भागबाई मल्लीबाई पुत्री बैजनाथ सुमतरानी बैवा बैजनाथ भूमि स्वामी गुलाबरानी बैवा मोतीलाल पता सा.देह	भूमि स्वामी	38	0.36	0.09	निरंक	असिंचित	
योग:-			8	6.190	0.900			

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक - 25/09/2020..... को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 41-अ-82-19-20-भू-अर्जन-2020-6031

सागर, दिनांक 4 सितम्बर 2020

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : निवारी कलां जलाशय योजनांतर्गत जलाशय निर्माण
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : निवारी कलां
 4. पट.ह.नं.- : 53
 5. अर्जित की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 117.440 हे.

स.क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	ख.नं.	कुल रकबा	अर्जित भूमि का विवरण			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सुरेन्द्रसींग, देवेन्द्रसींग शैलेन्द्रसींग पिता गुलाबसींग मायाबाई वेवा गुलाबसींग पता सा.इटारसी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	73	6.310	0.000	0.110	0.000	निरंक
2	संतोषकुमार पिता गुलाबचंद सा.सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	76/1	1.290	0.000	1.290	0.000	निरंक
3	मुन्नालाल पिता गुलाबचंद निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	76/2	0.970	0.000	0.970	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	96	0.320	0.000	0.320	0.000	निरंक
4	बरसंत कुमार पिता गुलाबचंद निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	76/3	1.290	0.000	1.150	0.000	निरंक
5	अजितकुमार पिता गुलाबचंद साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	76/4	1.290	0.000	1.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	94/1	0.300	0.000	0.300	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	94/2	0.670	0.000	0.670	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	64	0.800	0.000	0.240	0.000	निरंक
6	हुकमचंद पिता गुलाबचंद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	76/5	1.290	0.000	0.540	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	78	0.070	0.000	0.010	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	85	1.240	0.000	0.170	0.000	निरंक
7	विनोद कुमार बल्द फूलचंद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	97	7.690	2.000	3.380	0.000	निरंक
8	रघुवीरसींग बल्द नारायणसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	108/1	0.660	0.660	0.000	0.000	बोर-1

9	श्यामरानी पुत्री किशोरसीग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	108/2	1.600	0.560	0.000	0.000	जामुन-1 कुआ कच्चा-1
10	हुकुमचंद पिता सरजू पटेल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	109/1	1.600	0.000	1.600	0.000	निरंक
11	तेजबल बल्द सुलतान साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	109/2	1.590	0.730	0.000	0.000	निरंक
12	हरदयाल बल्द सुलतान साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	109/3	1.590	0.000	0.080	0.000	नीबू-1
13	खलकसीग बल्द जगन्नाथसीग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	110/1	2.020	2.020	0.000	0.000	कुआ कच्चा-1
14	रामसीग बल्द जगन्नाथसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	110/2	2.750	0.000	2.750	0.000	सागोन-1 बोर-1
15	भूपेन्द्रसिंह पिता कच्छेदी जाति राजपूत साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	110/3	0.400	0.000	0.400	0.000	निरंक
16	त्रिवेणी जोजे जगन्नाथसीग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	111	1.090	0.000	1.090	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	51/2	0.120	0.000	0.120	0.000	निरंक
17	निर्मल बल्द मल्थू पता सा.देह भूदानधारी	भूमिस्वामी	113	0.890	0.890	0.000	0.000	कुआ पक्का-1
18	गोविन्दसीग बल्द परवतसीग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	114/1	3.510	0.000	0.200	0.000	सागोन-15
19	मूरतसीग बल्द गुवंदी गोंड साकिन पीपला तहसील देवरी	भूमिस्वामी	41/1	0.030	0.000	0.000	0.030	निरंक
		भूमिस्वामी	41/2	0.030	0.000	0.000	0.030	निरंक
		भूमिस्वामी	40	0.070	0.000	0.000	0.070	निरंक
20	अजीत सेंगर पिता सोवरन पता निवारी कला 1/4 भाग, यजुवेन्द्र सेंगर पिता सोवरन 1/4 भाग, निशा सेंगर पुत्री सोवरन 1/4 भाग, उर्वशी सेंगर वेत्ता सोवरन 1/4 भाग साकिन निवारी कला	भूमिस्वामी	43/1	2.140	0.000	0.000	2.140	निरंक
21	अमित ना.वा. बल्द वलि राजेश साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	43/2	1.400	0.000	0.150	0.000	निरंक
22	अरविन्दसीग बल्द कमलसीग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	44/1	2.020	0.000	2.020	0.000	निरंक
23	गोविन्दसीग बल्द कमलसीग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	44/2	1.610	0.000	1.610	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	60/1	0.410	0.000	0.410	0.000	बोर-1
24	राजेश बल्द रमेश साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	46/1	1.770	0.000	1.770	0.000	बोर-1
25	राकेश बल्द रमेश साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	46/2	1.770	0.000	1.470	0.000	निरंक
26	अम्बिकावाई जोजे देवीसीग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	45/1	0.300	0.000	0.300	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	25/1	0.690	0.690	0.000	0.000	निरंक
27	कमलावाई जोजे लखनसीग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	45/2	0.970	0.000	0.970	0.000	निरंक
28	देवेन्द्र बल्द कल्याणसीग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	45/3	0.630	0.000	0.630	0.000	निरंक
29	लाखनसीग देवीसीग पिता मिहरवानसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	45/4	0.650	0.650	0.000	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	25/4	0.600	0.600	0.000	0.000	निरंक
30	राजरानी जोजे मिहरवानसीग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	25/2	0.050	0.000	0.000	0.050	निरंक
31	कल्याणसीग बल्द मेहरवानसीग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	25/3	0.850	0.850	0.000	0.000	कुआ कच्चा-1

32	देवीसींग पिता मिहरवानसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	26	1.130	0.000	1.130	0.000	निरंक
33	लाखनसींग बल्द मेहरवानसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	27/1	1.080	0.000	1.080	0.000	निरंक
34	रामविनोद बल्द परसराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	27/5	0.850	0.000	0.850	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	21/2	0.970	0.000	0.120	0.000	निरंक
35	शिवराजसींग बल्द रघुनाथसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	28/1	1.680	0.000	1.680	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	30	0.490	0.000	0.310	0.000	निरंक
36	शिकाबाई जोजे ज्ञामसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	28/2	1.000	0.000	1.000	0.000	निरंक
37	हनुमतसींग बल्द औंकारसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	29/1	3.200	3.200	0.000	0.000	कुआ कच्चा-1
38	रघुराजसींग पिता चन्द्रमानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	29/2	1.410	1.330	0.000	0.000	कुआ पक्का-1
39	नन्हूसींग बल्द गम्मतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	29/3	1.150	1.150	0.000	0.000	कुआ पक्का-1
40	जिनेन्द्रकुमार पिता कमलचंद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	29/4	1.210	0.000	1.050	0.000	निरंक
41	रमेश चंद बल्द तारा चंद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	33	4.010	0.000	0.180	0.000	निरंक
42	सुगरलाल बल्द मोहन, सन्तो, सुमत्रा, रामसखी पुत्री मोहन, कमलू, दिनेश पिस. नारायण, शीला, शारदा पुत्री नारायण, जनकरानी वैवा नारायण, सरगन, रामकेश, मुकेश पिस. नन्हेवीर, सरोजरानी वैवा नन्हेवीर साकिन मुहली	भूमिस्वामी	37/1	1.360	0.000	1.360	0.000	अमरुद-4 आम-2
43	सरोजरानी वैवा नन्हेवीर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	37/2	0.220	0.220	0.000	0.000	अमरुद-8 आम-5 कुआ कच्चा-1
44	महेश दीनानाथ पिता लालचंद हरिबाई गोमती पुत्री लालचंद रूपरानी वैवा रामकिशन अरविन्द अमित पिता रामकिशन सुनीता आरती सीता अनीता पुत्री रामकिशन साकिन अमोदा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	38	1.410	0.000	1.410	0.000	निरंक
45	धन्नु बल्द चित्तरसींग साकिन अमोदा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	34	1.200	0.000	0.840	0.000	सागौन-15
46	करनसींग बल्द चित्तरसींग साकिन अमोदा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35	2.000	0.000	1.810	0.000	कोहा-1
47	राजकुमार पिता रामा जाति लोधी साकिन अमोदा	भूमिस्वामी	36/1	0.950	0.000	0.950	0.000	आम-7 अमरुद-12 सागौन-3
48	छत्तरसींग पिता रामा जाति लोधी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	36/2	0.950	0.860	0.000	0.000	अमरुद-11 आम-5 सागौन-2 कुआ कच्चा-1
49	राजकुमार भूपनारायण मनोजकुमार हाकम पिता नत्थू क्रांती रुषा पुत्री नत्थू साकिन अमोदा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	31	0.470	0.000	0.100	0.000	निरंक

50	अर्जुनसिंह बहादुरसिंह पिता नन्हूसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	22/1	2.310	0.000	1.170	0.000	निरंक
51	इन्दसीग बल्द हल्कूसीग साकिन निवारी कलां	भूमिस्वामी	22/2/1/1	0.610	0.000	0.610	0.000	निरंक
52	अर्जुनसिंह पिता भगतसिंह साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	22/2/1/2	0.400	0.000	0.400	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	22/2/2	0.200	0.000	0.200	0.000	निरंक
53	कीरतसीग बल्द हल्कूसीग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	22/3	1.410	0.000	1.410	0.200	निरंक
54	प्रकाशरानी वैवा चन्द्रभान साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	22/4	0.560	0.000	0.560	0.000	निरंक
55	अर्जुनसिंह पिता भगतसिंह राजपूत साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	22/5	0.200	0.000	0.200	0.000	निरंक
56	पुरुषोत्तम बल्द मेहरबानसीग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	21/1	1.700	0.350	0.000	0.000	निरंक
57	देवेन्द्र बल्द कल्यानसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	21/3	0.650	0.000	0.030	0.000	निरंक
58	इन्द्राबाई पुत्री शिवराज सीग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	11/5	0.950	0.000	0.000	0.740	निरंक
59	नन्हेवीर बल्द मकुन्दी सा. देह	भूमिस्वामी	10/1	1.530	1.530	0.000	0.000	निरंक
60	ग्याबाई पुत्री तोडल साकिन अमोदा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	10/2	0.770	0.000	0.770	0.000	निरंक
61	राममनी पति निरंजन जाति राजपूत साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	10/3	0.760	0.000	0.760	0.000	निरंक
62	खिलान बल्द परवतसीग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	23/1	4.290	2.000	2.290	0.000	सागौन-5 कुआं कच्चा-1
		भूमिस्वामी	8	1.410	0.000	1.410	0.000	निरंक
63	भगवानसीग बल्द खिलानसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	23/2	2.000	0.000	2.000	0.000	सागौन-35 महुआ-2 कुआं कच्चा-1
64	संतोष कुमार बल्द खिलानसीग साकिन देह	भूमिस्वामी	23/3	2.000	0.000	2.000	0.000	सागौन-8
65	खिलान बल्द परवतसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	49	0.310	0.000	0.310	0.000	निरंक
66	लखनसीग, रामसीग पिता जगन्नाथसीग, लीलाबाई सीताबाई, बिल्लोबाई पुत्री जगन्नाथसीग, त्रिवेणीबाई बेबा जगन्नाथसीग साकिन देह.	भूमिस्वामी	51/1	2.020	0.000	2.020	0.000	बोर-1
67	सुहागरानी जोजे प्रेमचंद साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	51/3	1.210	0.000	1.210	0.000	निरंक
68	अँगूरीवाई जोजे दीपचंद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	51/4	1.610	0.000	1.610	0.000	निरंक
69	संदीपकुमार बल्द प्रेमचंद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	51/5	0.400	0.000	0.400	0.000	निरंक
70	हरिसिंह पिता भोलानाथ राजपूत साकिन झिरिया	भूमिस्वामी	51/6	1.200	1.200	0.000	0.000	कुआं कच्चा-1
71	नाथुराम बल्द खूबचन्द साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	52	1.620	0.000	1.620	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	56/4	0.350	0.000	0.350	0.000	निरंक
72	दीपचन्द बल्द कपूरचन्द्र साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	53/1	1.420	0.000	1.420	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	53/2	1.410	0.000	1.410	0.000	निरंक
73	मंजूसा जोजे संदीप साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	54	1.620	0.000	1.620	0.000	निरंक

74	अशोककुमार, राकेशकुमार, सुनीलकुमार, पवनकुमार पिता हीरालाल, सुमतरानी बेबा हीरालाल, मायाबाई, सुनीताबाई सरोजबाई पिता हीरालाल साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	55	1.180	0.000	1.180	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	57	3.180	0.000	0.600	0.000	निरंक
75	रमेशसींग बल्द गन्धर्वसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	59	3.150	0.000	3.150	0.000	सागौन-4
76	अभिषेक पिता केवलचंद साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	95/1	1.590	0.000	1.590	0.000	निरंक
77	सदीप पिता प्रेमचंद साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	95/2	1.600	0.000	1.600	0.000	निरंक
78	अरविन्दसींग बल्द कमलसींग 1/2 भाग गोविन्द सिंह पिता कमलसींग 1/2 भाग सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	60/2	2.880	0.000	2.880	0.000	बोर-1
79	अजीत सेंगर पिता सोवरन पता निवारी कला यजुवेन्द्र सेंगर पिता सोवरन निशा सेंगर पुत्री सोवरन उर्वशी सेंगर वेवा सोवरन पता निवारी कला	भूमिस्वामी	61/1	1.810	0.000	1.810	0.000	निरंक
80	अंकित ना.वा. बल्द वली राजेश साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	61/2	1.400	0.000	1.400	0.000	बोर-1
81	भागचन्द्र बल्द खूबचन्द्र साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	56/1	1.960	0.860	0.000	0.000	निरंक
82	वंशीधर बल्द खूबचन्द्र पता सा.सहजपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	56/2	1.960	0.970	0.000	0.000	बोर-1
83	बद्रीप्रसाद बल्द खूबचन्द्र साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	56/3	1.960	0.000	1.650	0.000	निरंक
84	हनुमत् बल्द भगवानदास साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	58/1	0.610	0.180	0.000	0.000	निरंक
85	रामचंद पिता भगवानदास साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	58/2	1.010	0.000	0.600	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	5/3	0.340	0.000	0.340	0.000	निरंक
86	दुलीचन्द्र बल्द जगन्नाथ साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	62/1	1.160	0.000	0.200	0.000	निरंक
87	संतोषकुमार बल्द दुलीचन्द्र साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	62/2	1.200	0.000	0.040	0.000	निरंक
88	संध्या जोजे संतोषकुमार साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	65/1	2.000	0.000	0.900	0.000	आम-1
89	मुन्नीबाई जोजे वंसतकुमार साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	65/2	2.000	0.000	0.980	0.000	आम-1
90	सरलाबाई जोजे मुन्ना साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	65/3	2.000	0.000	0.600	0.000	आम-1
91	मुन्नीबाई सुनीताबाई पुत्री गुलाबचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	65/4	0.340	0.000	0.280	0.000	आम-1
92	जगन्नाथ पिता रामप्रसाद साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	5/1	0.400	0.000	0.400	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	7/1	0.900	0.000	0.330	0.000	निरंक
93	संध्या पति सोहन साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	5/2	0.040	0.000	0.040	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	7/2	1.010	0.000	0.390	0.000	निरंक
94	राजाराम पिता बाबूलाल साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	5/4	0.970	0.000	0.220	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	6/2	1.430	0.000	0.760	0.000	निरंक

95	गोरीशंकर पिता रामप्रसाद साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	5/5	0.400	0.000	0.400	0.000	निरंक
		भूमिस्वामी	7/3	0.780	0.000	0.400	0.000	निरंक
96	राधेश्याम ऊर्फ प्राग पिता रामप्रसाद साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	5/6	0.290	0.000	0.290	0.000	निरंक
97	सोहन बल्द नवलसींग साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	6/1	0.970	0.190	0.000	0.000	निरंक
98	ओंकार चन्दभान नन्हू पिता गम्मत रल्लीबाई, हल्लीबाई गोमतीबाई पुत्री गम्मत दशरथ बल्द लखन सविता माया पुत्री लखन प्रगरानी जोजे लखन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	12/1	0.710	0.000	0.040	0.000	निरंक
99	राधेश्याम ऊर्फ प्राग पिता रामप्रसाद साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	7/4	1.310	0.000	0.530	0.000	निरंक
100	राजरानी जोजे धनीराम साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	2/1	1.200	0.000	0.010	0.000	निरंक
101	मुन्ना ऊर्फ भगवानदास पिता गुलजारी पता सा.देह	भूमिस्वामी	2/2	1.540	0.000	0.010	0.000	निरंक
102	राजेश पिता जगदीश जाति पाण्डे साकिन सहजपुर	भूमिस्वामी	4/1	0.890	0.000	0.140	0.000	निरंक
103	भगवानदास, रामचरण पिता गुलझारी ताराबाई, शेववतीबाई पुत्री गुलझारी साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	4/2	0.880	0.000	0.180	0.000	निरंक
104	कपिल पिता गोविंद प्रसाद ब्यास साकिन केसली	भूमिस्वामी	4/3	0.440	0.000	0.090	0.000	निरंक
105	शीलरानी वैवा फूलचंदप्रसाद साकिन सहजपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	77	0.510	0.000	0.060	0.000	निरंक
106	सुरेश पिता दौलतसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	75	1.270	0.000	0.040	0.000	निरंक
107	कीरतसींग, इन्दसींग, कमलेश पिता हल्कू, गुडडी बाई, सुशीला बाई, ऊमा बाई, सवीताबाई, अल्लीबाई पुत्री हल्कू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	86/1	1.480	0.150	0.000	0.000	निरंक
108	कमलेश बल्द हल्कूसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	86/2	0.950	0.110	0.000	0.000	निरंक
109	पूरनसींग बल्द प्रेमसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	83/1	1.160	0.440	0.000	0.000	निरंक
110	श्यामबाई जोजे भगतसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	89/184	0.460	0.000	0.040	0.000	निरंक
111	श्यामबाई जोजे भगतसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	163	7.660	0.000	0.250	0.000	निरंक
योग:-			135	179.980	24.390	89.790	3.260	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति/कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 03/09/2020 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा

ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 96-अ-82-2017-18-6032

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजना माईनर नहर निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण : सागर
 1. जिला : देवरी
 2. तहसील : सरखेड़ा
 3. ग्राम : 07
 4. पट. ह. नं.- : 2.830
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :

सं० क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खं० नं०	कुल रकवा	अर्जित रकवा	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	भूमि का प्रकार	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	दुरगसींग बल्द सरुप सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	109/1	0.830	0.130	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं. 109/1 के स्वयं के कुआ से
2	केहरसींग बल्द सरुप सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	109/2	0.830	0.030	निरंक	असिंचित	सिंचित ख.नं. 109/1 के अन्य के कुआ से
3	संतोषरानी वेवा दीनदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	105/2	0.230	0.020	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं. 105/2 स्वयं के कुआ में बोर से
4	सुखदेव पिता शंकरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	107/1	0.230	0.040	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं. 107/1 स्वयं के कुआ में बोर से
5	चन्द्ररानी पति शंकरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	107/2	0.640	0.090	निरंक	असिंचित	सिंचित ख.नं. 107/1 के अन्य के कुआ में बोर से
6	दरयावसींग, गोविन्दसींग, महेन्द्र सिंह पिता मिहरबानसिंह श्रीदुलैया वेवा मिहरबान सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	99	6.700	0.380	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं. 99 के स्वयं के कुआ से
7	हीरासींग पिता शंकरसींग जाति राजपूत साकिन सागर म.प्र.	भूमिस्वामी	106/2	0.810	0.020	निरंक	असिंचित	सिंचित ख.नं. 107/1 अन्य के कुआ में बोर से
8	रघुवीर सिंह, श्यामसुन्दर, मनोहर सिंह, जगदीश बल्द प्रीतम सिंह चन्द्रभान सिंह, राजेश सिंह पिता रामअवतार, कलावती पुत्री रामअवतार, राधारानी वेवा रातअवतार साकिन देह	भूमिस्वामी	100	1.000	0.140	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं. 100 के स्वयं के कुआ से
9	बलवीर पिता गोविन्द सिंह 1/3 उदयमान पिता महेन्द्र सिंह 1/3 रुपसिंह पिता दरयाव सिंह 1/3 साकिन देह	भूमिस्वामी	56/1	2.000	0.360	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं. 56/1 के स्वयं के कुआ से

10	शत्रुघ्न वल्लभ रंजीत सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	60/1	0.420	0.130	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.न. 60/1 के स्वयं के कुआ से
11	प्रतापसिंग वल्लभ रंजीत सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	60/2	2.270	0.050	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.न. 60/2 के स्वयं के कुआ से
12	हरलाल उर्फ हल्लेसिंह पिता भुजबल सांग साकिन देह	भूमिस्वामी	64/1	0.620	0.060	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.न. 64/1 के स्वयं के कुआ से
13	जोगेन्द्रसिंह वल्लभ कुंजरसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	64/2	0.450	0.050	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.न. 64/2 के स्वयं के नलकूप से
14	सुरसिंह वल्लभ भुजबल सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	64/3	0.530	0.050	निरंक	असिंचित	सिंचित ख.न. 64/1 के अन्य के कुआ से
15	भागबाई, पुत्री प्रहलाद सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	68/1	0.970	0.050	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.न. 68/1 के स्वयं के कुआ से
		भूमिस्वामी	69/1	1.020	0.090	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.न. 68/1 के स्वयं के कुआ से
16	कृष्णबाई पुत्री प्रहलाद सांग साकिन देह	भूमिस्वामी	68/2	0.980	0.050	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.न. 68/2 के स्वयं के कुआ से
		भूमिस्वामी	69/2	1.000	0.020	निरंक	सिंचित	68/2 व 72/2 के स्वयं के कुआ से
		भूमिस्वामी	88/2	0.280	0.050	निरंक	सिंचित	
17	धर्मराज वल्लभ हिमालयसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	87/1	0.600	0.060	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.न. 87/1 के स्वयं के कुआ से
18	मुलानाई जोड़े द्वारका साकिन देह	भूमिस्वामी	137	1.650	0.090	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.न. 137 के स्वयं के कुआ से
		भूमिस्वामी	139	0.950	0.110	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.न. 137 के स्वयं के कुआ से
19	द्वारका सिंह पिता राजाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	138	0.200	0.020	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.न. 138 के स्वयं के नलकूप से
20	नीवू पत्नि वृजेन्द्र सा देह	भूमिस्वामी	142/1	0.340	0.060	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.न. 142/1 के स्वयं के कुआ से
21	गजेन्द्र सिंह पिता मलखान सिंह सा देह	भूमिस्वामी	143/2	1.210	0.120	निरंक	सिंचित	सिंचित ख. न. 143/2 के स्वयं कुआ से
22	कंहरसिंग वल्लभ सरुपसिंग साकिन देह	भूमिस्वामी	144/1	0.180	0.070	निरंक	सिंचित	सिंचित ख. न. 144/1 के स्वयं कुआ से
23	ब्रजेन्द्र पिता कंहर सांग साकिन देह	भूमिस्वामी	144/5	0.160	0.020	निरंक	सिंचित	सिंचित ख. न. 142/1 के स्वयं पत्नि के कुआ से
24	रेशम, साखिरीरानी गायत्री पुत्री राजाराम, द्वारका, भगवानसिंग, शोबसिंग पिता राजाराम साकिन देह	भूमिस्वामी	157	0.770	0.070	निरंक	सिंचित	सिंचित ख. न. 138 के स्वयं नलकूप से
25	राजेन्द्र पिता द्वारका भाग 1/3, कीरतसिंग पिता द्वारका भाग 1/3, चित्रमानसिंग पिता द्वारका भाग 1/3, जाति दामि साकिन सागर म.प्र.	भूमिस्वामी	156	0.880	0.050	निरंक	सिंचित	सिंचित ख. न. 156 के स्वयं कुआ से

५८

26	मानसिंग, सुरजीसिंह नाबालिग वल्लभ हनमत सिंह सपना नाबालिग पुत्री हनमत सिंह वली माँ कौशिल्याबाई पति हनमत सिंह साकिन शुक्रवारी लोरी सागर	भूमिस्वामी	146	2.180	0.080	निरंक	सिंचित	सिंचित ख. न. 146 के स्वयं कुआ से
27	रमेशचंद वल्लभ खुन्तेलाल साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	154	1.170	0.140	निरंक	सिंचित	सिंचित ख. न. 154 के स्वयं कुआ से
		भूमिस्वामी	153	1.170	0.100	निरंक	सिंचित	सिंचित ख. न. 154 के स्वयं कुआ से
28	अशोक, राजेश, कमलेश, अनिल, संतोष, पुष्पेन्द्र पिता मुलामचंद्र, प्रभाबाई देवा मुलामचंद्र साकिन गौरझामर	भूमिस्वामी	348	2.410	0.030	निरंक	सिंचित	सिंचित ख. न. 348 के स्वयं कुआ से
योग:-			33	35.680	2.830			

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है। अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकर्ता और पुनर्वासन तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 8/10/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर्ता के दावों की रकम और विशिष्टियाँ, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 36-अ-82-2017-18-6033

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजना माईनर नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : चिरई
 4. पट. ह. नं.- : 22
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.030

सं. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खंड नं०	कुल रकबा	अर्जित रकबा	भूमि पर स्थाव परिसंपत्तियों का विवरण	भूमि का प्रकार	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	कैलाश वल्द परसराम, सुरेन्द्र वल्द राजकुमार, सत्यमान, वीरेन्द्र सिंह नाबालिग वल्द रघुनाथ वली पिता रघुनाथ सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	52	2.330	0.200	निरंक	असिंचित	सिंचित खसरा नं. 49/1 अन्य के कुआ से
2	रघुनाथसिंह, राजकुमारसिंह, कैलाश सिंह पिता परसराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	76	1.530	0.050	निरंक	सिंचित	सिंचित खसरा नं. 64/2 स्वयं के कुआ से
3	महाराजसींग पिता खिलानसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	151	0.310	0.030	निरंक	असिंचित	असिंचित
4	मलखान, हरनाम पिता प्रेमसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	173/1	0.250	0.100	निरंक	असिंचित	सिंचित ख.नं.177/1 पिता के कुआ से
5	हरगोविन्द वल्द जमना प्रसाद साकिन मेहका भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	283/1	0.400	0.040	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं.283/1 स्वयं के कुआ से
6	राजकुमार वल्द परसराम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	289/1	0.670	0.070	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं.289/1 स्वयं के कुआ से
7	लोकेन्द्र सिंह वल्द कैलाश सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	289/3	0.670	0.040	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं.289/3 स्वयं के कुआ से
8	चन्द्ररानी जोजे मुलामसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	292/2	1.210	0.130	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं.292/2 स्वयं के कुआ से
9	प्रीतम, इन्द्राजसींग, वीरेन्द्रसींग वल्द मुलामसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	292/3	1.000	0.090	निरंक	असिंचित	सिंचित खसरा नं. 292/2 माँ के कुआ से
10	आशुतोष, अभिनाथ नाबालिग वल्द व वली राजेश वल्द पुरुषोत्तम साकिन जैतपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	292/6	0.600	0.070	निरंक	असिंचित	सिंचित खसरा नं. 293 पिता के कुआ से

11	परसोत्तम वल्द बाबूलाल साकिन जैतपुर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	292/7	0.160	0.020	निरंक	असिंचित	सिंचित खसरा नं. 293 पुत्र के कुआ से
12	राजेश कुमार वल्द पुरुषोत्तम साकिन जैतपुर	भूमिस्वामी	293	1.950	0.180	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं. 293 स्वयं के कुआ से
13	रामसींग कलू कीरत, रणजीत पिता वदनसींग बडीबहू वेवा बदनसिंग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	152/1	0.140	0.010	निरंक	असिंचित	सिंचित खसरा नं. 18/1 स्वयं के कुआ से अत्याधिक दूरी होने से असिंचित
योग:-			13	11.220	1.030			

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकर्ता और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 8/10/2020..... को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर्ता के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन/यंत्रि, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 32-अ-82-18-19-भू-अर्जन-2020-6136

सागर, दिनांक 7 सितम्बर 2020

भू-अर्जन प्रकरण 20अ/82/18-19 में हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा खजरा हरचंद पट.ह.नं.-35 तहसील खुरई जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर्ता और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, अत्याधिक वर्षा होने के कारण अर्जित की जा रही भूमियों का सर्वेक्षण इत्यादि का कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 20-अ-82-18-19-भू-अर्जन-2020-6137

भू-अर्जन प्रकरण 20अ/82/18-19 में हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा गिलटोरा पट. ह.नं.-38 तहसील खुरई जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर्ता और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, अत्याधिक वर्षा होने के कारण अर्जित की जा रही भूमियों का सर्वेक्षण इत्यादि का कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 31-अ-82-18-19-भू-अर्जन-2020-6140

भू-अर्जन प्रकरण 31अ/82/18-19 में हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा दलपतपुर ग्रंट पट.ह.नं.-35 तहसील खुरई जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, अत्याधिक वर्षा होने के कारण अर्जित की जा रही भूमियों का सर्वेक्षण इत्यादि का कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 49-अ-82-18-19-भू-अर्जन-2020-6141

भू-अर्जन प्रकरण 49अ/82/18-19 में हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा कोरासा पट. ह.नं.-39 तहसील खुरई जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 21/02/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 20/02/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, अत्याधिक वर्षा होने के कारण अर्जित की जा रही भूमियों का सर्वेक्षण इत्यादि का कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 29-अ-82-18-19-भू-अर्जन-2020-6142

भू-अर्जन प्रकरण 29अ/82/18-19 में हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा खारी पट.ह. नं.-39 तहसील खुरई जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, अत्याधिक वर्षा होने के कारण अर्जित की जा रही भूमियों का सर्वेक्षण इत्यादि का कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 28-अ-82-18-19-भू-अर्जन-2020-6143

भू-अर्जन प्रकरण 28अ/82/18-19 में हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा कठैली पट.ह. गील खुरई जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में निरंतर विरोध दर्ज कराने, अत्याधिक वर्षा होने के कारण अर्जित की जा रही भूमियों का सर्वेक्षण इत्यादि प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के कार्यवाही नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 48-अ-82-18-19-भू-अर्जन-2020-6144

भू-अर्जन प्रकरण 48अ/82/18-19 में हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा कंजरई पट.ह. नं.-38 तहसील खुरई जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 21/02/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 20/02/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, अत्याधिक वर्षा होने के कारण अर्जित की जा रही भूमियों का सर्वेक्षण इत्यादि का कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 31-अ-82-18-19-भू-अर्जन-2020-6145

भू-अर्जन प्रकरण 31अ/82/18-19 में हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा दलपतपुर रैयतवारी पट.ह.नं.-35 तहसील खुरई जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, अत्याधिक वर्षा होने के कारण अर्जित की जा रही भूमियों का सर्वेक्षण इत्यादि का कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 46-अ-82-18-19-भू-अर्जन-2020-6146

भू-अर्जन प्रकरण 46अ/82/18-19 में हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा मूहना जाट पट.ह.नं.-38 तहसील खुरई जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 21/02/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 20/02/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, अत्याधिक वर्षा होने के कारण अर्जित की जा रही भूमियों का सर्वेक्षण इत्यादि का कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 30-अ-82-18-19-भू-अर्जन-2020-6147

भू-अर्जन प्रकरण 30अ/82/18-19 में हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा दलपतपुर मालगुजारी पट.ह.नं.-38 तहसील खुरई जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, अत्याधिक वर्षा होने के कारण अर्जित की जा रही भूमियों का सर्वेक्षण इत्यादि का कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 15-अ-82-18-19-भू-अर्जन-2020-6148

भू-अर्जन प्रकरण 15अ/82/18-19 में हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा हनौता पट.ह.नं.-26 तहसील खुरई जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, अत्याधिक वर्षा होने के कारण अर्जित की जा रही भूमियों का सर्वेक्षण इत्यादि का कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 80-अ-82-2017-18-6149

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजना माईनर नहर निर्माण
 (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : देवरी
 3. ग्राम : जैतपुर कछया
 4. पट. ह. नं.- : 06
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 6.51

सं० क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खं० नं०	कुल रकवा	अर्जित रकवा	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	भूमि का प्रकार	रिमारक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	करनसिंग, धनश्याम, राजाराम, हीरालाल पिता पुट्टी, छुटनबाई पुत्री पुट्टी	भूमि स्वामी	561/1	0.41	0.12	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं. 561/1 के स्वयं के कुआ से
2	मिवतू वल्द ललजू साकिन देह	भूमि स्वामी	565/1	0.94	0.13	1- नग कठल 1- जामुन	सिंचित	सिंचित ख.नं. 565/1 के स्वयं के कुआ से
3	कच्छेदी, श्यामलाल पिता हीरा, सरस्वती सूरज पुत्री हीरा साकिन देह	भूमि स्वामी	564/1	1.33	0.14	2- अमरुद 1- नग जामुन	सिंचित	सिंचित ख.नं. 564/1 के स्वयं के कुआ से
4	प्रेम पिता रगवर साकिन देह	भूमि स्वामी	564/2	0.60	0.11	1- नग आम	सिंचित	सिंचित ख.नं. 564/2 के स्वयं के कुआ से
5	इमरत पिता रगवर साकिन देह	भूमि स्वामी	564/3	0.60	0.08	निरंक	असिंचित	सिंचित 564 /2 के अन्य के कुआ से
6	इमरत प्रेम पिता रगवर, काशीबाई मुला सोमत रमकल पुत्री रगवर बजरानी वेवा रगवर साकिन देह	भूमि स्वामी	564/4	0.12	0.02	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं. 564 /2 के स्वयं के कुआ से
7	भागीरथ पिता दुरगसिंग राधानाई पुत्री दुरगसिंग नन्हीबाई पिता दुरगसिंग खिम्माबाई पुत्री काशीराम साकिन देह	भूमि स्वामी	534/1	0.76	0.16	1- नग नीम	सिंचित	सिंचित ख.नं. 534 /1 के स्वयं के कुआ से
8	भागीरथ वल्द दुरगसिंग साकिन देह	भूमि स्वामी	534/3	0.18	0.02	निरंक	सिंचित	सिंचित ख. नं. 534 /1 के स्वयं के कुआ से
9	राजेशां पिता नजीर खां, जहूरनबी वेवा नजीर खां साकिन देह	भूमि स्वामी	527/1	2.16	0.17	निरंक	सिंचित	सिंचित ख. नं. 527 /1 के स्वयं के कुआ से

10	रामसेवक वल्द गोरेलाल साकिन देह	भूमि स्वामी	527/3	1.00	0.19	निरंक	सिंचित	सिंचित ख. नं. 527 /3 के स्वयं के कुआ से
11	संजय कुमार वल्द सुरेश कुमार साकिन देह	भूमि स्वामी	525/1	1.76	0.16	1- रेजा	सिंचित	सिंचित ख. नं. 525 /1 के स्वयं के कुआ से
12	सुजय कुमार वल्द सुरेश कुमार साकिन देह	भूमि स्वामी	525/2	1.76	0.16	निरंक	असिंचित	सिंचित ख. नं. 525 /1 अन्य के कुआ से
13	प्रहलाद वल्द डेलन सांग साकिन देह	भूमि स्वामी	519/6	0.20	0.09	1- नग आम 1- नग नीम	सिंचित	सिंचित ख. नं. 519 /6 के स्वयं के कुआ से
		भूमि स्वामी	519/7	0.20	0.06	निरंक	सिंचित	
14	कृष्णानाई पति प्रहलाद साकिन देह	भूमि स्वामी	519/1	0.20	0.03	निरंक	असिंचित	सिंचित ख. नं. 519 /6 पति के कुआ से
15	प्रभूसींग वल्द बाबूसींग साकिन देह	भूमि स्वामी	517/2	1.20	0.27	निरंक	सिंचित	सिंचित 517/2 के स्वयं के कुआ से
		भूमि स्वामी	516/1	0.40	0.11	निरंक	सिंचित	
16	उपेन्द्र राघवेन्द्र पिता श्रीगोविन्द योगेश्वरी राजेश्वरी कमलेश्वरी पुत्री श्रीगोविन्द सीतारानी देवा श्रीगोविन्द साकिन देह	भूमि स्वामी	515/1	0.51	0.07	निरंक	सिंचित	सिंचित ख. नं. 515 /1 स्वयं के कुआ से
17	मुलाम वल्द निरपत साकिन देह	भूमि स्वामी	515/2	0.52	0.07	निरंक	असिंचित	सिंचित ख. नं. 515 /1 अन्य के कुआ से
18	रामेश्वर वल्द महाराज सांग साकिन देह	भूमि स्वामी	506	3.52	0.15	निरंक	सिंचित	सिंचित ख. नं. 506 के कुआ से
19	प्रकाश वल्द रामचरण साकिन देह	भूमि स्वामी	505	2.29	0.10	निरंक	सिंचित	सिंचित ख. नं. 505 के कुआ से
20	राकेश अनिल कुमार अखलेथ, दिनेश, राजेश पिता त्रिलोकीनाथ, भागवती देवा त्रिलोकीनाथ साकिन देह	भूमि स्वामी	504	2.15	0.17	निरंक	सिंचित	सिंचित ख. नं. 504 के कुआ से
21	देवीसींग वल्द दुरगसींग साकिन देह	भूमि स्वामी	508/4	0.08	0.03	निरंक	सिंचित	सिंचित 508/4 के स्वयं के कुआ से
22	नरनलाल पिता मकुन्दी साकिन देह	भूमि स्वामी	620/1	0.85	0.10	1- नग मुनगा 2- नग रेजा	सिंचित	सिंचित 620/1 के स्वयं के कुआ से
23	जाहरसींग वल्द दुरगसींग साकिन देह	भूमि स्वामी	620/2	0.44	0.05	1- इमली	असिंचित	सिंचित ख.नं 508/4 अन्य के कुआ से
24	बाबूसींग वल्द दुरगसींग साकिन देह	भूमि स्वामी	620/3	0.44	0.05	1- बेल	असिंचित	सिंचित ख.नं 508/4 अन्य के कुआ से
25	संजय वल्द दुरगसींग साकिन देह	भूमि स्वामी	620/5	0.44	0.05	1- सो बबूल	असिंचित	सिंचित ख.नं 508/4 अन्य के कुआ से
26	लखन वल्द गुलामसींग साकिन देह	भूमि स्वामी	279/4	0.23	0.02	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं 279/4 स्वयं के कुआ से
27	अरविन्द वल्द दयाराम साकिन देह	भूमि स्वामी	278/1	1.44	0.14	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं 278/1 स्वयं के बोर से
28	रामेश्वर पिता कल्याण साकिन देह	भूमि स्वामी	277/1	0.23	0.04	1- बेरी	सिंचित	सिंचित ख.नं 277/1 स्वयं के कुआ के अंदर बोर से
29	सीताराम पिता कल्याण साकिन देह	भूमि स्वामी	277/3	0.42	0.08	1- बोंस का घिसा	सिंचित	सिंचित ख.नं 277/3 स्वयं के कुआ से
30	रामकिशन वल्द कल्याण साकिन देह	भूमि स्वामी	277/4	0.43	0.07	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं 277/4 स्वयं के बोर से
31	नन्हेभाई वल्द फागू साकिन देह	भूमि स्वामी	276	0.95	0.03	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं 276 स्वयं के कआ से

32	ब्रजमोहन मदनमोहन पिता भुवानीशंकर साकिन देह	भूमि स्वामी	272	1.95	0.23	निरंक	असिधित	सिधित ज.नं 276 अन्य के कुआ से
33	रश्मिबाई वेवा नारायण अंशुल नाबा0 पिता नारायण निकिता नाबा0 पुत्री नारायण बली मां रश्मिबाई, प्रीतम वल्द लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह	भूमि स्वामी	273/1	1.02	0.03	निरंक	सिधित	सिधित ज.नं 273/1 स्वयं के कुआ से
34	ब्रजेन्द्र कुमार वल्द शिवराम साकिन देह	भूमि स्वामी	269	1.64	0.11	1- मुंनगा	सिधित	सिधित ज.नं 269 स्वयं के कुआ से
35	हेमराज वल्द नारायण सींग साकिन देह	भूमि स्वामी	6/3	0.35	0.03	1- नग सेमर 1- साज	सिधित	सिधित ज.नं 38/2 स्वयं के कुआ से
		भूमि स्वामी	38/2	0.46	0.03	1- नग बोंस का भिरा	सिधित	
36	बाबू पिता कलयान सिंग साकिन देह	भूमि स्वामी	40/1	1.48	0.12	3- सागौन	सिधित	सिधित ज.नं 40/1 स्वयं के कुआ से
37	देवीसींग वल्द कल्याण सिंग साकिन देह	भूमि स्वामी	40/2	1.48	0.14	3- सागौन	सिधित	सिधित ज.नं 40/2 स्वयं के कुआ से
38	फूलरानी वेवा रामदयाल, कमलाबाई नाबालिग पुत्री रामदयाल बली मां फूलरानी, हीराबाई छोटा नाबालिग पिता परमू बली व खुद मां मुन्नीबाई वेवा परमू, फूलरानी वेवा बन्, काशीराम, कालूराम पिता बन्, हीराबाई, मुलाबाई, छोटीबाई पुत्री बन्, श्यामाबाई वेवा मुल्ली, भगवानसींग रमेश, रघुवीर, शिबू, पप्पू पिता मुल्ली, सियाबाई, मुन्नीबाई पुत्री मुल्ली, मुन्नीबाई वेवा परमू, फूलरानी वेवा बन् काशीराम, कालूराम पिता बन्, हीराबाई, मुलाबाई, छोटीबाई, पुत्री बन्, श्यामाबाई वेवा मुल्ली, भगवानसींग, रमेश, रघुवीर, शिबू, पप्पू पिता मुल्ली सियाबाई, मुन्नीबाई साकिन देह	भूमि स्वामी	42/1	1.03	0.09	निरंक	असिधित	सिधित ज.नं 40/1 अन्य के कुआ से
39	सचिन सिंह वल्द देवीसिंह, चंदनबाई जोजे देवीसिंह	भूमि स्वामी	42/2	0.20	0.04	निरंक	सिधित	सिधित ज.नं 42/2 स्वयं के कुआ से
40	कुर्दा वल्द छिमाघार काशीबाई दोपती पुत्री छिमाघार साकिन देह साकिन देह	भूमि स्वामी	41/1	1.36	0.20	निरंक	सिधित	सिधित ज.नं 41/1 स्वयं के कुआ से
41	खुमान वल्द बेबजू साकिन देह	भूमि स्वामी	48	0.88	0.09	निरंक	सिधित	सिधित ज.नं 48 स्वयं के कुआ से
		भूमि स्वामी	52	1.12	0.09	निरंक	सिधित	
42	अरुण कुमार वल्द प्रसन्न कुमार साकिन देह गौरशामर	भूमि स्वामी	49/1	1.81	0.28	निरंक	सिधित	सिधित ज.नं 49/1 स्वयं के कुआ से
43	राहुल नाबालिग वल्द कालीघरण बली नानी सेवकली पति हरिश्चंद साकिन खैराना	भूमि स्वामी	53/1	1.79	0.10	निरंक	सिधित	सिधित ज.नं 53/1 स्वयं के कुआ से
44	राजेन्द्र कुमार वल्द धिवराम साकिन देह	भूमि स्वामी	55/1	0.97	0.02	निरंक	सिधित	सिधित ज.नं 55/1 स्वयं के कुआ से

45	रामशंकर वल्द मुरलीधर साकिन देह	भूमि स्वामी	54	1.63	0.18	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं 54 स्वयं के कुआ से
46	नन्नेलाल वल्द सूरतसिंग साकिन देह	भूमि स्वामी	60	0.32	0.03	निरंक	असिंचित	असिंचित
47	याला वल्द कड़ोरी साकिन देह	भूमि स्वामी	65/2	0.60	0.05	निरंक	असिंचित	सिंचित ख.नं 66 अन्य के कुआ से
48	कड़ोरी वल्द कुदऊ साकिन देह	भूमि स्वामी	66	0.72	0.15	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं 66 स्वयं के कुआ से
49	विजय कुमार वल्द नन्हेलाल साकिन गौरझामर	भूमि स्वामी	71/1	1.69	0.15	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं 71/1 स्वयं के कुआ से
50	अजित कुमार वल्द नन्हेलाल साकिन देह	भूमि स्वामी	71/2	1.93	0.17	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं 71/2 स्वयं के कुआ से
51	लक्ष्मीशंकर कमलनारायण, राजेश कुमार पिता राघेश्याम साकिन सरखेड़ा	भूमि स्वामी	95/1	1.42	0.11	निरंक	असिंचित	असिंचित
52	मीणा बेवा पवन मानसी मानवी आकृति अदिति पुत्री पवन सा गौरझामर	भूमि स्वामी	90	1.99	0.04	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं 90 स्वयं के कुआ से
		भूमि स्वामी	73/2	0.03	0.01	निरंक	सिंचित	
		भूमि स्वामी	71/4	0.19	0.01	निरंक	सिंचित	
53	देवीसिंह पिता लालसिंह जाति दांगी	भूमि स्वामी	73/3	0.04	0.04	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं 89/1/4 स्वयं के बोर से
		भूमि स्वामी	74/3	0.04	0.04	निरंक	सिंचित	
54	राजा पिता राजकुमार दांगी	भूमि स्वामी	75/2	0.16	0.04	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं 75/2 स्वयं के कुआ से
		भूमि स्वामी	77/2	0.06	0.01	निरंक	सिंचित	
55	देवीसिंग लालसिंग दांगी सरखेड़ा	भूमि स्वामी	89/1/4	0.50	0.03	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं 89/1/4 स्वयं के बोर से
56	जीवन वल्द देवाराम साकिन देह	भूमि स्वामी	77/1	1.20	0.14	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं 77/1 स्वयं के कुआ में बोर से
		भूमि स्वामी	78/2	1.21	0.01	निरंक	सिंचित	
57	दुर्गाप्रसाद वल्द जीवन साकिन देह	भूमि स्वामी	78/1	1.05	0.06	निरंक	असिंचित	सिंचित ख.नं 77/1 अन्य के कुआ में बोर से
58	वीरेन्द्र कुमार वल्द गरीबदास साकिन गौरझामर	भूमि स्वामी	78/3	0.45	0.08	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं 78/3 स्वयं के कुआ से
		भूमि स्वामी	78/5	0.40	0.02	निरंक	सिंचित	
59	संतोष कुमार वल्द कड़ोरीलाल, वीरेन्द्र कुमार वल्द गरीबदास	भूमि स्वामी	79	4.92	0.09	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं 79 स्वयं के कुआ से
60	वीरेन्द्र सिंग वल्द नरान सिंग साकिन सरखेड़ा	भूमि स्वामी	81/1	1.63	0.19	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं 81/1 स्वयं के कुआ में बोर से
61	दरोगा सिंह वल्द नरान सिंग साकिन सरखेड़ा	भूमि स्वामी	81/2	1.80	0.02	निरंक	सिंचित	सिंचित ख.नं 81/2 स्वयं के कुआ से
योग:-			72	70.28	6.51			

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वासन तथा प्रतिस्थापन के दावे

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक- 12/10/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 38-अ-82-2017-18-6150

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजना माईनर नहर निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : बमनी
 4. पट. ह. नं.- : 15
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.960

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खं0 नं0	कुल रकवा	अर्जित रकवा	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	भूमि का प्रकार	रिमारक
1	राजकुमार पिता नारायण सींग, भगवतसींग पिता तुलसीराम माखन पिता तखतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	374/1	1.080	0.160	निरंक	सिंचित	सिंचित खसरा नं. 386/4 स्वयं के कुआ से
			374/3	0.310	0.040	निरंक	सिंचित	सिंचित खसरा नं. 386/4 स्वयं के कुआ से
			374/4	0.080	0.040	निरंक	सिंचित	सिंचित खसरा नं. 386/4 स्वयं के कुआ से
			377	1.120	0.220	निरंक	सिंचित	सिंचित खसरा नं. 386/4 स्वयं के कुआ से
2	रामनाथ पिता नारायण सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	386/1	0.990	0.080	निरंक	सिंचित	सिंचित खसरा नं. 386/1 स्वयं के कुआ से
3	तुलसीराम पिता नन्हू साकिन देह	भूमिस्वामी	386/2	1.860	0.170	निरंक	सिंचित	सिंचित खसरा नं. 386/2 स्वयं के कुआ से
4	तखत सींग पिता नन्हू साकिन देह	भूमिस्वामी	386/3	1.780	0.170	निरंक	सिंचित	सिंचित खसरा नं. 386/3 स्वयं के कुआ से
5	राजकुमार पिता नारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	386/4	0.990	0.080	निरंक	सिंचित	सिंचित खसरा नं. 386/4 स्वयं के कुआ से
	योग:-		8	8.210	0.960			

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः

पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 12/10/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 62-अ-82-वर्ष 2017-18-6221

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 व धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजना माईनर नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : देवरी
 3. ग्राम : घोषीपट्टी
 4. पट. ह. न.- : 04
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.220

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खं0 नं0	कुल रकवा	अर्जित रकवा	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	भूमि का प्रकार	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	
चौपड़ा माइनर नहर								
1	सुधीर कुमार वल्द गोकलचंद साकिन गोरझामर	भूमिस्वामी	213/3	1.600	0.120	निरंक	सिंचित	सिंचित ख नं 213/3 स्वयं के कुआ से
2	कुन्दनसिंग वल्द गुलाबसिंग साकिन गोरझामर	भूमिस्वामी	216/1	0.250	0.040	निरंक	सिंचित	सिंचित ख नं 216/1 स्वयं के कुआ से
		भूमिस्वामी	217	0.460	0.060	निरंक	सिंचित	सिंचित ख नं 216/1 स्वयं के कुआ से
योग:-			3	2.310	0.220			

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 12/10/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 29-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2020-6516

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर की परकुल मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-24-3/पर्यावरण/2018 भोपाल, दिनांक 22/2/18 अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक So 1533 दिनांक 14/9/2016 के तहत सिंचाई परियोजनाओं की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए Environment Impact Assessment (EIA) अपेक्षित है इसमें Social Impact Assessment एक आवश्यक घटक है इसलिए सिंचाई परियोजनाओं में Social Impact Assessment की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है अतः सिंचाई परियोजनाओं हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए सीधे धारा 11 की कार्यवाही की जावे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : जैसीनगर
 3. ग्राम : निटरी
 4. पट.ह.नं.- : 122
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.959 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	पृथ्वीसिंह पिता रघुवीर सींग पता. सा. रजाखेड़ी सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	355	1.05	0.018	
2	अशोक पिता शिवराज सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	358/1	2.09	0.376	
3	शिवराज पिता नारायण सींग पता मड़खेरा सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	358/2	1.11		
4	सुदामा, धनश्याम, श्रीराम, हल्केभाई, मूलचंद, बलराम पिता रामचंद्र, भागबाई पुत्री रामचंद्र, सुहागरानी बेवा रामचंद्र पता सा. मड़खेरा	भूमिस्वामी	361	2.29	0.151	
5	जितेन्द्र पिता पदम पता सा. मड़खेरा जागीर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/1	1.52		
6	मुहरबाई पति बुन्देल साकिन मड़खेरा जागीर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/2	1.72		
7	सुमतरानी पति जयसींग पता. सा. मड़खेरा जागीर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/3	0.83		
8	भूपेन्द्र पिता नत्थू साकिन मड़खेरा जागीर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/4	0.86		
9	नरेन्द्र पिता नत्थू साकिन मड़खेरा जागीर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/5	0.86		
10	अजबसींग पिता रघुवीर सींग साकिन मड़खेरा जागीर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/6	0.72	0.352	
11	शेरसींग पिता रघुवीर सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/7	0.72		
12	मुन्नासींग पिता रघुवीर सींग साकिन मड़खेरा जागीर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/8	0.73		
13	महेन्द्र पिता रघुवीर सींग साकिन मड़खेरा जागीर	भूमिस्वामी	364/9	0.73		
14	सज्जन पिता शिवराज साकिन मड़खेरा जागीर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/10	1.45		
15	केदार पिता शिवराज साकिन मड़खेरा जागीर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	364/11	1.45		

16	देवीसींग, अर्जुनसींग, गनेशसींग, रूपसींग पिता गजाधर सींग उर्फ मंगलसींग, रामकली बाई पुत्री गजाधर, काशीबाई बेबा गजाधर पता सा. मड़सेरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	349	2.26	0.062
योग:-			16	20.390	0.959

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 28-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2020-6517

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर की परकुल मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-24-3/पर्यावरण/2018 भोपाल, दिनांक 22/2/18 अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक So 1533 दिनांक 14/9/2016 के तहत सिंचाई परियोजनाओं की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए Environment Impact Assessment (EIA) अपेक्षित है इसमें Social Impact Assessment एक आवश्यक घटक है इसलिए सिंचाई परियोजनाओं में Social Impact Assessment की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है अतः सिंचाई परियोजनाओं हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए सीधे धारा 11 की कार्यवाही की जावे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोफहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकु मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : गुरैया
 4. पट.ह.नं.- : 122
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.246 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3				7
1	श्रीमति अनीताबाई पत्नि रामेश्वर प्रसाद पता सा. देह भू-स्वामी	भूमिस्वामी	193	0.790	0.034	
2	गंधर्व सींग पिता गोरेलाला पता 242 गुरैया सागर	भूमिस्वामी	194/1	0.560	0.100	
3	रामकली बाई पुत्री गंधर्व सींग सागर	भूमिस्वामी	194/2	0.950		
4	नरेन्द्र कुमार पिता सौमित्र कुमार पराशर सा. गोपालगंज वाई सागर	भूमिस्वामी	197	1.200	0.050	
5	दिगम्बर पिता हीरालाल कुर्मी पता सा. अर्जनी भू-स्वामी	भूमिस्वामी	198	1.120	0.157	
6	बाबूसिंह मोहनसिंह जगदीश सिंह पिता अर्जुन सिंह नत्थीबाई पुत्री अर्जुनसिंह नन्हीबाई देवा अर्जुन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	186/1/1	0.820	0.224	
7	राकेश पिता फुल्ले जाति प्रजापति पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	186/1/2	0.200		
8	फूलरानी पति फुल्ले पता सा. देह भू स्वामी	भूमिस्वामी	186/2	0.800		
9	राकेश पिता फुल्ले भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	186/3	0.400		
10	धनीराम पिता तिजैया साकिन देह	भूमिस्वामी	187/1	0.810	0.160	
11	गोलू पिता गिरमन साकिन देह	भूमिस्वामी	187/2	0.810		
12	गंधर्व सींग पिता गोरेलाला पता 242 गुरैया सागर	भूमिस्वामी	188/1	0.420	0.040	
13	इमरतसिंह पिता गंधर्वसिंह साकिन सागर	भूमिस्वामी	188/2	0.950		

14	नंदूसींग पिता रामसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	202/1	1.180	0.245
15	शिवराज पिता शेरसिंह पता 242 गुरैया	भूमिस्वामी	202/2/1	0.580	
16	मंजोबाई पत्नि शिवराज सा. देह	भूमिस्वामी	202/2/2	0.400	
17	हाकमसींग पिता रामसींग साकिन 242 गुरैया	भूमिस्वामी	202/3/1	0.780	
18	राजू पिता पंचम साकिन सागर	भूमिस्वामी	202/3/2	0.200	
19	मुकेश पिता पंचम साकिन गुरैया	भूमिस्वामी	202/3/3	0.200	
20	मंजोबाई पत्नि शिवराज सा. देह	भूमिस्वामी	202/4	0.200	
21	रेखा पत्नि रामकुमार पता सागर	भूमिस्वामी	257	0.470	0.013
22	बदनसिंह पिता गजराज सिंह पता सा. देह	भूमिस्वामी	258/1	1.900	0.070
23	ताराबाई बेवा गजराज पता सा. देह	भूमिस्वामी	258/2	0.410	
24	मालती पति सरमन प्रसाद बिल्थरे पता सा. मनोरमा कालोनी सागर	भूमिस्वामी	258/3	0.410	
25	फलाबाई बेवा शेरसींग पता 242 गुरैया सागर	भूमिस्वामी	258/4/1	0.100	
26	वीरेन्द्र पिता शेरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	258/4/2	1.800	
27	श्रीमति हबीबा पति शब्बीर हुसैन पता सरवैया गली रामपुरा वार्ड सागर	भूमिस्वामी	258/5	1.900	
28	शब्बीर पिता इकबाल हुसैन पता रामपुरा वार्ड सागर	भूमिस्वामी	258/6	1.860	
29	अन्नू पिता रामसींग गुरैया साकिन सागर	भूमिस्वामी	258/7/1	0.930	0.450
30	रेखारानी पत्नि अन्नू साकिन सागर	भूमिस्वामी	258/7/2	0.930	
31	बदनसींग पिता गजराजसींग पता सा.देह	भूमिस्वामी	258/8	1.000	
32	हुजैफा बल्द इकबाल पता सा. सरवैया गली लक्ष्मीपुरा वार्ड सागर	भूमिस्वामी	259/1	0.600	
33	अल्फिया पति हुजैफा पता सरवैया गली रामपुरा वार्ड सागर	भूमिस्वामी	259/2	0.600	
34	दीनानाथ पिता लीलानाथ यादव सा.देह	भूमिस्वामी	259/3	0.610	
35	उदयभान पिता कुंवरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	265/1	0.370	
36	कुंवरसींग पिता गंभीरसिंह पता निवासी	भूमिस्वामी	265/2	1.820	0.220
37	अवधेश पिता चंद्रभान सिंह उर्फ उदयसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	266	0.250	0.101
		भूमिस्वामी	267	0.280	0.007
38	प्रकाशसिंह पिता रघुवीर सिंह सा. देह	भूमिस्वामी	272/1	0.480	0.090
39	फेटन सींग पिता रघुवीर सींग, साकिन 242 गुरैया सागर	भूमिस्वामी	272/2/1	0.800	
40	रजनी पत्नि फेरनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	272/2/2	0.800	
41	कमलेश पिता रामकिशन साकिन देह	भूमिस्वामी	274	1.000	0.072
42	अजयसिंह, संजयसिंह पुत्री सुशीलाबाई, मीराबाई ना.वा. वल्द विजयसिंह पालक मां खुद सरोजबाई बेवा विजयसिंह पता सा.देह	भूमिस्वामी	121/1	0.610	0.180
43	सरोजबाई बेवा विजयसिंह पता सा.देह	भूमिस्वामी	121/2	3.000	
44	खेतसिंह, तेजसिंह पता 242 गुरैया	भूमिस्वामी	122	1.850	0.020
45	वीरेन्द्र पिता कोमलसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	123/1	0.800	0.110
46	रूपरानी बेवा कोमलसिंह पता सा.देह	भूमिस्वामी	123/2	0.020	
47	योगन्द्र सिंह पिता लक्ष्मणसिंह पता सा. सीहोर सागर	भूमिस्वामी	136/1/1	0.950	0.210
48	रानोबाई पत्नि लालसिंह पता सदर बाजार सागर	भूमिस्वामी	136/1/2	0.800	
49	राहुल पिता लालसिंह पता सदर बाजार सागर	भूमिस्वामी	136/1/3	0.800	
50	नरेन्द्रकुमार पिता हरीसींग पता सा.देह	भूमिस्वामी	136/2	1.980	
51	वीरेन्द्र पिता हरीसींग सा.देह	भूमिस्वामी	136/3	1.510	
52	गनेश पिता हरीसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	136/4	0.510	
		भूमिस्वामी	136/5	1.470	
53	राजेन्द्रसिंह पिता खिलानसिंह साकिन गुरैया	भूमिस्वामी	114/1/1	0.980	0.262
54	आशा पत्नि माधवप्रसाद जाति दुबे पता सागर	भूमिस्वामी	114/1/2	0.100	
55	महेन्द्र सिंह पिता खिलानसींग सा. देह	भूमिस्वामी	114/2	1.170	
56	श्रीमति आशा पत्नि माधवप्रसाद दुबे पता शनीचरी वार्ड सागर	भूमिस्वामी	114/3	0.100	

57	नन्हेसींग पिता हरीसींग पता सा.देह	भूमिस्वामी	98	1.010	0.065
58	भूपेश, रूपेश, उमेश पिता रामकृष्ण पता सा. परकोटा सागर	भूमिस्वामी	97	1.820	0.106
59	श्रीमति कृष्णाबाई पति राजेन्द्र प्रसाद उर्फ मुन्ना पता सा. राजीवनगर सागर	भूमिस्वामी	95	0.800	0.038
		भूमिस्वामी	96	1.000	0.038
		भूमिस्वामी	94	1.580	0.112
60	नन्हेसींग पिता हरीसींग पता सा.देह	भूमिस्वामी	89	0.120	0.022
61	श्रीमति रेणू पति रामगोपाल साकिन सागर	भूमिस्वामी	125	1.180	0.050
योग:-				56.85	3.246

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 30-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2020-6518

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर की परकुल मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-24-3/पर्यावरण/2018 भोपाल, दिनांक 22/2/18 अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक So 1533 दिनांक 14/9/2016 के तहत सिंचाई परियोजनाओं की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए Environment Impact Assessment (EIA) अपेक्षित है इसमें Social Impact Assessment एक आवश्यक घटक है इसलिए सिंचाई परियोजनाओं में Social Impact Assessment की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है अतः सिंचाई परियोजनाओं हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए सीधे धारा 11 की कार्यवाही की जावे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : समनापुर
 4. पट.ह.नं.- : 121
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.668 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	तुलसीराम पिता लक्ष्मीनारायण पता 240 समनापुर सागर	भूमिस्वामी	240/1	0.060	0.040	
2	संतोषकुमार पिता लक्ष्मीनारायण पता 240 समनापुर सागर	भूमिस्वामी	240/2	0.080		
3	राममोहन पिता लक्ष्मीनारायण साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	240/3	0.080		
4	हरिओम पिता लक्ष्मीनारायण साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	240/4	0.080		
5	जगदीश पिता कृपाशंकर पता सा.देह. भू-स्वामी	भूमिस्वामी	241	0.030	0.022	
6	संतोषकुमार पिता लक्ष्मीनारायण पता 240 समनापुर सागर	भूमिस्वामी	246	0.810	0.050	
7	हरिओम पिता लक्ष्मीनारायण साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	245	0.810	0.072	
8	सुमतकुमार पिता कृपाशंकर पता सा.देह	भूमिस्वामी	233	0.100	0.019	
9	जगदीश पिता कृपाशंकर पता सा.देह. भू-स्वामी	भूमिस्वामी	228/1	0.250	0.090	
10	सुमतकुमार पिता कृपाशंकर पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	228/2	0.110		
11	कौशल किशोर पिता कृपाशंकर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	228/3	0.250		
12	सत्यनारायण परमानंद पिता द्वारका प्रसाद सुरेन्द्र रामजी लला विनोद, मुन्नीबाई, गुड्डीबाई, अन्नपूर्णा, पिसरान, मिट्ठूलाल, रवि, नीलेश, रागिनी, लक्ष्मी ना.बा. पिसरान बाला पा. खुद माँ कल्पना बेवा बाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	227	0.360	0.034	
13	बलराम पिता छल्ले साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	265	2.060	0.110	
		भूमिस्वामी	268	2.340	0.185	

14	दामोदर पिता फूलसींग मल्ली गोरा पुत्रिया बब्बी सुदामा वल्द मन्नू शकुनबाई ववीता पुत्रियां मन्नू प्रेमदुलैया बेवा मन्नू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	269/1	2.120	0.016
15	श्रीमति दीपाबाई पत्ति विशंभरप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	269/2	1.200	
16	दामोदर वल्द फूलसींग मल्ली, गोरा पुत्री वल्ली, सुदामा पिता मन्नू, शकुनबाई, बबीताबाई पुत्री मन्नू, प्रेमदुलैया बेवा मन्नू बलराम पिता छल्ले पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	305	1.380	0.030
योग:-			17	12.120	0.668

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 31-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2020-6519

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर परकुल मध्यम परियोजनांतर्गत माईनीर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-24-3/पर्यावरण/2018 भोपाल, दिनांक 22/2/18 अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक So 1533 दिनांक 14/9/2016 के तहत सिंचाई परियोजनाओं की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए Environment Impact Assessment (EIA) अपेक्षित है इसमें Social Impact Assessment एक आवश्यक घटक है इसलिए सिंचाई परियोजनाओं में Social Impact Assessment की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है अतः सिंचाई परियोजनाओं हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए सीधे धारा 11 की कार्यवाही की जावे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहाँ पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहाँ इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम परियोजनांतर्गत माईनीर नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
- | | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | जैसीनगर |
| 3. ग्राम | : | मढ़खेरा जागीर |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 59 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 1.374 है. |

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	विन्दावन पिता आलमसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	203/1	0.280	0.062	
2	देवीसींग पिता मंगलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	203/2	0.800		
3	विन्दावन पिता आलमसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	204	0.95	0.146	
4	कीरत सिंह पिता प्रहलाद सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	198/1	1.000	0.272	
5	सियारानी वेवा रामसींग 1/4 भाग, अनिकेत नाबा. पिता रामसींग 1/4 भाग, दिव्या पुत्री रामसींग 1/4 भाग, राहुल नाबा. पिता रामसींग वली माँ सियारानी 1/4 भाग सानि सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	198/2	0.610		
		भूमिस्वामी	197	0.520	0.073	
		भूमिस्वामी	255	0.130	0.029	
6	विजय सिंह पिता रगवीर सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	310/1	1.340	0.116	
7	हल्के उर्फ बृजेन्द्र पिता रगवीर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	310/2	0.460		
8	महेन्द्रसिंह पिता नारायण सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	305/1	0.400	0.042	
9	बब्बू पिता मठोला पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	305/2	0.460		
10	भागीरथ पिता मठोला पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	305/3	0.400		

11	रामचरन पिता घस्सा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	300/1	0.160	0.456	
12	महताप पिता घस्सा पता सा . देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	300/2	0.160		
13	तरवर पिता घस्सा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	300/3	0.170		
14	माखन पिता घस्सा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	300/4	0.160		
15	कृष्णा पिता घस्सा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	300/5	0.160		
16	मनचई पिता असैया साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	300/6	1.220		
17	भागीरथ पिता मठोला पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	299	0.170	0.088	
18	शेवचरन पिता छोटेलाल प्यारीबाई बेवा छोटेलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	296	0.160	0.09	
योग:-			20	9.710	1.374	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुलताई,
जिला-बैतूल मध्यप्रदेश

प्र.क्र.-09-अ-82-18-19-मौजा सिरडी-1327 A

बैतूल दिनांक 17 अगस्त 2020

प्ररूप - 'घ'

(नियम 6 देखिए) /

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक 2959 दिनांक 31 / 10 / 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने पारसडोह मध्यम उदवहन सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम सिरडी तहसील - मुलताई, जिला - बैतूल, ग्राम बिसनूर में स्थित बी. पी. टी. से 700 एम. एम. व्यास के पाइप बिछाये जाने तक के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना प्ररूप ख राजपत्र में दिनांक 12 / 06 / 2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	सिरडी, प.ह.न. 121	98	0.009
			97	0.046
			96	0.009
			95/1	0.011
			94/1	0.017
			94/3	0.011
			20	0.011
			21/1	0.019
			21/2	0.006
			22	0.003
			62	0.009
			74	0.003
			73	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	सिरडी, प.ह.न. 121	72	0.005
			64	0.003
			54/3	0.011
			54/4	0.017
			57/2	0.014
			54/2	0.010
			56/1	0.005
			56/2	0.005
			56/3	0.005
योग	0.235			

प्र.क्र.-10-अ-82-18-19-मौजा बिसनूर-1327 A

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक 2958 दिनांक 31 /10/2019 द्वारा, राज्य सरकार ने पारसडोह मध्यम उदवहन सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम बिसनूर तहसील - मुलताई, जिला - बैतूल, ग्राम बिसनूर में स्थित बी. पी. टी. से 700 एम. एम. व्यास के पाइप बिछाये जाने तक के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना प्रारूप ख राजपत्र में दिनांक 12/06/2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

जिला	तहसील	ग्राम /पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	बिसनूर, प.ह.न. 119	784/1	0.010
			780	0.009
			781	0.003
			782/1	0.008
			782/2	0.010
			768	0.014
			767	0.009
			758	0.006
			764	0.001
			761/1	0.012
			760/1	0.006
			761/2	0.010
750/1	0.028			

जिला	तहसील	ग्राम /पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	बिसनूर, प.ह.न. 119	750/2	0.009
			751/1	0.010
			750/3	0.021
			750/4	0.023
			751/2	0.010
			676/2	0.009
				0.208

प्र.क्र.-11-अ-82-18-19-मौजा खापा सिरकुंड-1327 A

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक 2959 दिनांक 31 /10/2019 द्वारा, राज्य सरकार ने पारसडोह मध्यम उदवहन सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम खापा सिरकुंड तहसील - मुलताई, जिला - बैतूल, ग्राम बिसनूर में स्थित बी. पी. टी. से 700 एम. एम. व्यास के पाइप बिछाये जाने तक के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना प्रारूप ख राजपत्र में दिनांक 12/06/2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

जिला	तहसील	ग्राम /पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	खापा सिरकुंड, प.ह.न. 100	188/1	0.019
			179/2	0.015
			188/2	0.016
			179/3	0.037
			179/4	0.022
			189/1	0.015
			191/1	0.011
			193/1	0.010
			193/2	0.004
			193/4	0.008
			195/2	0.013
			195/3	0.009
195/4	0.009			

जिला	तहसील	ग्राम /पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	खापा सिरकुंड, प.ह.न. 100	196	0.015
			198	0.001
			197/1	0.007
			201/1	0.001
			201/2	0.001
			202	0.001
			147	0.002
			113	0.003
			112/3	0.017
			112/4	0.008
			योग	

प्र.क्र.-12-अ-82-19-20-मौजा पचधार-1327 A

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक 2960 दिनांक 31 /10/2019 द्वारा, राज्य सरकार ने पारसडोह मध्यम उदवहन सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम पचधार तहसील - मुलताई, जिला - बैतूल, ग्राम पचधार में स्थित इंटेक वेल से 700 एम. एम. व्यास के पाइप बिछाये जाने तक के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना प्रारूप ख राजपत्र में दिनांक 12/06/2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

जिला	तहसील	ग्राम /पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	पचधार, प0ह0न0 118	294/1	0.007
			294/5	0.008
			294/9	0.018
			294/10	0.011
			295/6	0.023
			285	0.055
			284	0.01
			282	0.035
			302/1	0.007
			327/1/1	0.007
			305/1/1	0.012
			327/1/2	0.006
			326	0.003
			327/3	0.063

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	पचधार, प0ह0न0 118	331/6	0.024
			331/5	0.019
			331/4	0.023
			154/1	0.070
			153/2	0.032
			151	0.050
			159/1	0.008
			159/3	0.010
			159/2	0.016
			159/8	0.021
			160/1	0.016
			160/2	0.012
			158/1	0.046
			166/1	0.030
			166/5	0.084
			150	0.012
			148	0.018
			136/4	0.004
			136/6	0.002
			70/4	0.004
			70/6	0.008
			70/3	0.017
			74/3	0.003
			74/1	0.007
			73/3	0.009
			71/1	0.009
73/2	0.009			
73/1	0.009			
68	0.014			
52/2	0.007			
62/1	0.008			
62/9	0.012			
62/5	0.015			
62/3	0.009			
			योग	0.902

सी.एल. चनाप, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभावीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

क्र. 8873-8874

राजगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2020

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में लिम्बोदा जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ लिम्बोदा जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र, पाल एवं वेस्टवियर में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

क्रं.	लिम्बोदा जलाशय	तहसील - खिलचीपुर	जिला राजगढ़
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.में)	
	निजी भूमि लिम्बोदा जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	रकबा	
1	ग्राम-कोडक्या की भूमि	33.675	
2	ग्राम-लिम्बोदा की भूमि	24.448	
3	ग्राम-कोडकी की भूमि	3.255	
	योग	61.378	

अनुसूची (2)

(1) लिम्बोदा जलाशय में ग्राम कोडक्या की निजी भूमि प्रभावित होने से भूअर्जन प्रकरण					
तहसील - खिलचीपुर			जिला राजगढ़		
क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
	ग्राम- कोडक्या				
1	हीरा, गोपाल आ. रामा, घीसा भवाना आ. भैरु, हरकुबाई पानीबाई पुत्री भैरु जाति अ.जा. नि भू स्वामी				
		3	0.190	0.190	
		4	0.024	0.024	
		5	0.012	0.012	
	योग	3	0.226	0.226	

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अंजित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
2	हीरा, गोपाल आ. रामा, घीसा भवाना आ. भैरू, हरकुबाई पानीबाई पुत्री भैरू 1/5, भवरीबाई बेवा हिरालाल, शेतानबाई पुत्री हिरालाल 1/5, पुरीलाल बद्रीलाल प्रेमसिंह बनेसिंह पिता हिरालाल 1/5, रमेश धीरप पिता रतनलाल 1/5 सर्व जाति अ.जा. नि भू स्वामी	2	0.482	0.382	
	योग	1	0.482	0.382	
3	लालजी पिता हिरालाल जाति सो. नि ग्राम भूस्वामी	8/1	0.141	0.101	
		19/7	0.427	0.427	
		34/3/3	0.009	0.009	
		44/5	0.413	0.413	
		48/2	0.081	0.081	
		50/1	0.083	0.083	
		30/4,31/4	0.075	0.075	
		29/2	0.244	0.244	
		32/5/3	0.024	0.024	
		46	0.368	0.368	
		47	0.012	0.012	
	योग	11	1.877	1.837	
4	नाराणसिंह पिता फतेहसिंह जाति सौ.0नि ग्राम भूस्वामी	9	0.125	0.125	
		11	0.012	0.012	
		6/2/2	0.115	0.081	
		8/2	0.555	0.555	
	योग	4	0.807	0.773	
5	अनोखबाई बेवा शिवसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	10	0.012	0.012	
		32/5/2	0.024	0.024	
		34/3/2	0.009	0.009	
	योग	3	0.045	0.045	
6	दरियावसिंह फुलसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सो.नि ग्राम भूस्वामी	13/1	0.113	0.113	
		19/4	0.213	0.213	
		30/1,31/1	0.026	0.026	
		118/1	0.166	0.166	
		34/3/1	0.008	0.008	
		44/2	0.101	0.101	
		123/10	0.253	0.253	
		32/5/1	0.023	0.023	
		29/3	0.123	0.123	
	योग	9	1.026	1.026	

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
7	कमलसिंह पिता प्रभु जाति सो. नि ग्राम भूस्वामी	14/1	0.122	0.122	
		19/1	0.142	0.142	
		19/3	0.143	0.143	
		51/4	0.183	0.183	
	योग	4	0.590	0.590	
8	नरभेसिंह पिता परथी जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	17/1/1	0.797	0.021	
		17/1/2	0.625	0.501	
		योग	2	1.422	0.522
9	गोरीलाल, नंदराम, मंजूबाई पिता नरभेसिंह, कमलाबाई बेवा नरभेसिंह हि. 1/4 -1/4 जाति सो. नि ग्राम भूस्वामी हिस्सा बराबर है।	19/5	0.214	0.214	
		44/3	0.102	0.102	
		119/1	0.213	0.213	
		49/2	0.342	0.342	
		50/3	0.024	0.024	
		51/2	0.108	0.108	
		29/4	0.122	0.122	
		30/2, 31/2	0.051	0.051	
	योग	8	1.176	1.176	
10	कालूसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	29/1/2	0.160	0.160	
		19/6	0.427	0.427	
		42/5	0.232	0.232	
		44/1	0.204	0.204	
		44/4	0.204	0.204	
		50/2	0.047	0.047	
		119/6	0.213	0.213	
		15/2/2	0.050	0.050	
	योग	8	1.537	1.537	
11	उंकार पिता मांगीलाल जाति सो. नि ग्राम भूस्वामी नि ग्राम भूस्वामी	19/8	0.427	0.427	
		111	0.255	0.155	
	योग	2	0.682	0.582	
12	घीसालाल आ. लक्ष्मण जाति सो. नि ग्राम भूस्वामी	20/1	1.000	0.950	
	योग	1	1.000	0.950	
13	कुमेरसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	20/4	0.131	0.131	
		36/1	0.064	0.064	
		6/3/2	0.130	0.025	
		6/4	0.259	0.051	
	योग	4	0.584	0.271	

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अंजित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
14	रामलाल धीरपसिंह सुल्तानसिंह पिता घीसालाल हि. 1/3-1/3 जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	20/7	0.125	0.125	
		36/6	0.059	0.059	
		121/1	0.101	0.101	
		42/2	0.601	0.601	
		21/2	0.276	0.276	
	योग	5	1.162	1.162	
15	दुलेसिंह आ. जगनाथ जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	20/8	0.131	0.131	
		21/3	0.276	0.276	
		21/5	0.140	0.140	
		21/6	0.140	0.140	
		21/8	0.140	0.140	
	योग	5	0.827	0.827	
16	लक्ष्मीनारायण बजेसिंह पिता रूगनाथ ,रतनबाई बैवा रूगनाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी हिस्सा बराबर है।	129/1/2	0.629	0.629	
		34/1	0.026	0.026	
		123/7	0.187	0.187	
	योग	3	0.842	0.842	
17	घीसा बनेसिंह आ लक्ष्मण केसरसिंह हरिसिंह पिता गुलाब, नाछीबाई शैतानबाई पुत्री गुलाब , उदयसिंह नारानसिंह पर्वतसिंह शांताबाई पिता करणसिंह , मांगीलाल शिवसिंह भोनसिंह दूलेसिंह पिता जगनाथ , मेहताबबाई पुत्री भैरूसिंह ,1/3 कालूसिंह पिता भंवरलाल गीताबाई पुत्री भंवरलाल गेंदा पिता बदन, बीरम बलवंत कमल कोशलया शैतान सुंदर पिता शिवसिंह , द्रोपतिबाई पति शिवसिंह 1/2 पीरूसिंह गोपाल पिता रतनलाल ,कमलाबाई पुत्री रतनलाल मांगीलाल पिता देव कालूसिंह जसवंतसिंह पिता मोहनलाल बजेसिंह लक्ष्मीनारायण पिता रूगनाथ , रतनबाई बैवा रूगनाथ बीरमसिंह मांगीलाल पिता उदयसिंह, कैसरबाई बैवा उदयसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	35	0.024	0.024	
	योग	1	0.024	0.024	
18	हरिसिंह आ. गुलाब जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	36/7	0.036	0.036	
		121/4	0.135	0.135	
		33/4	0.019	0.019	
		42/6	0.253	0.253	
		20/9/2	0.125	0.125	
		21/4	0.272	0.272	
	योग	6	0.840	0.840	

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
19	घीसालाल बनेसिंह पिता लक्ष्मण केसरसिंह हरिसिंह पिता गुलाब मांगीलाल शिवसिंह भोनसिंह दुलेसिंह पिता जगनाथ नारानसिंह पर्वतसिंह पिता करनसिंह जडावबाई बेवा करनसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	40	0.024	0.024	
	योग	1	0.024	0.024	
20	रतनसिंह पिता जगनाथ जाति सौ निग्राम भूस्वामी	129/4	0.886	0.051	
		18/2	0.531	0.531	
	योग	2	1.417	0.582	
21	धापूबाई बेवा मोहनलाल सौ. निग्राम भूस्वामी	129/1/1	0.628	0.628	
	योग	1	0.628	0.628	
22	कैसरबाई बेवा उदयसिंह, बीरम मांगीलाल पिता उदयसिंह बराबर हिस्सा जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	129/1/3	0.629	0.629	
		127/1/6	0.075	0.024	
		123/8	0.187	0.187	
		32/3	0.036	0.036	
		127/1/5	0.226	0.200	
	योग	5	1.153	1.076	
23	कैलाश महेश पिता गेंदा गीताबाई बेवा गेंदा जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	126/1	0.052	0.052	
		118/2	0.085	0.085	
		123/3	0.450	0.450	
	योग	3	0.587	0.587	
24	छीताबाई बेवा बापूलाल सौ. नि ग्राम भूस्वामी	122	0.214	0.214	
		124	0.506	0.506	
	योग	2	0.720	0.720	
25	शांतिबाई पत्नि रतनसिंह जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	125/2/1	0.279	0.279	
		125/2/2	0.253	0.128	
	योग	2	0.532	0.407	
26	धुलाबाई बेवा हीरालाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	120	0.178	0.178	
		119/5	0.213	0.213	
		126/2	0.430	0.430	
	योग	3	0.821	0.821	
27	रामेश्वरसिंह विजयसिंह पिता अमरसिंह धापूबाई बेवा अमरसिंह सौ. नि ग्राम भूस्वामी	41	0.178	0.178	
		130	0.543	0.543	
	योग	2	0.721	0.721	
28	फूलसिंह पिता मांगीलाल 1/2 कमलसिंह पिता मांगीलाल 1/2 सौ. नि ग्राम भूस्वामी	22	0.417	0.417	
		23/1	0.078	0.078	
		123/2	0.495	0.495	
		127/1/8/1	0.237	0.124	
	योग	4	1.227	1.114	

क्र. 1	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
29	पर्वतसिंह नारानसिंह आ. करणसिंह जतनबाई पिता करनसिंह सौ. नि ग्राम भूस्वामी	20/2	0.253	0.253	
		36/4	0.037	0.037	
		33/2	0.020	0.020	
		121/5	0.135	0.135	
		42/3/1	0.116	0.116	
		20/9/1	0.128	0.128	
	योग	6	0.689	0.689	
30	फतेहसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	25/1	0.383	0.383	
		25/2/1	0.190	0.190	
	योग	2	0.573	0.573	
31	पीरूसिंह गोपाल कमला पिता रतनलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	24	0.405	0.405	
		32/1	0.036	0.036	
		123/1	0.065	0.065	
		34/2	0.025	0.025	
		123/6	0.325	0.325	
		23/2	0.278	0.278	
		25/2/2	0.190	0.190	
		127/1/7	0.576	0.576	
	योग	8	1.900	1.900	
32	बालूसिंह इंदरसिंह प्रतापसिंह आ बापूलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	15/1	0.101	0.101	
		37/1	0.161	0.161	
		38	0.065	0.065	
		125/1	0.532	0.532	
		37/4	0.161	0.161	
		17/2	1.423	1.423	
	योग	6	2.443	2.443	
33	बालूसिंह इंदरसिंह प्रतापसिंह पिता बापूलाल छीताबाई बेवा बापूलाल उंकारसिंह पिता मांगीलाल, बालूसिंह कालूसिंह पिता शिवसिंह, अनोरखबाई बेवा शिवसिंह, लालजी पिता हीरालाल, धूलाबाई बेवा हीरालाल, प्रेमसिंह नरभैसिंह पिता रूपजी बद्रीनारान प्रभु पिता फतेसिंह, शैतानबाई पुत्री फतेसिंह मांगीलाल पिता देवसिंह सौ. नि ग्राम भूस्वामी	12	0.024	0.024	
	योग	1	0.024	0.024	
34	बालूसिंह इंदरसिंह प्रतापसिंह पिता बापूलाल छीताबाई बेवा बापूलाल, कालूसिंह हिन्दुसिंह नारायनसिंह आ. गंगाराम जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	39	0.012	0.012	
	योग	1	0.012	0.012	

क्र. 1	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
35	भगवानसिंह पिता कैसरसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	21/1	0.272	0.251	
		36/5	0.036	0.036	
		121/3	0.135	0.135	
		33/3	0.020	0.020	
		42/4/1	0.034	0.034	
		42/7	0.253	0.253	
	योग	6	0.750	0.729	
36	बनेसिंह पिता लक्ष्मण जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	20/6	0.125	0.125	
		33/1	0.030	0.030	
		36/3	0.059	0.059	
		42/1	0.601	0.601	
		121/2	0.101	0.101	
	योग	5	0.916	0.916	
37	बीरम आ. लक्ष्मण जाति सुतार नि ग्राम भूस्वामी	113	0.065	0.012	
	योग	1	0.065	0.012	
38	बालूसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	29/1/1	0.084	0.084	
		42/3/2	0.116	0.116	
		42/4/2	0.198	0.198	
		30/3,31/3	0.075	0.075	
	योग	4	0.473	0.473	
39	भवानीसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	6/1	0.259	0.139	
		20/5	0.131	0.131	
		36/2	0.065	0.065	
		21/7	0.140	0.140	
	योग	4	0.595	0.475	
40	बद्रीलाल पिता फतेहसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	19/2	0.143	0.143	
		8/3	0.012	0.012	
		44/6	0.012	0.012	
		50/5	0.018	0.018	
		51/3	0.346	0.346	
		119/2	0.108	0.108	
		14/2	0.121	0.121	
	योग	7	0.760	0.760	
41	मांगीलाल पिता जगन्नाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	25/3	0.385	0.385	
		6/2/1	0.144	0.072	
		20/3	0.130	0.130	
		6/3/1	0.129	0.025	
	योग	4	0.788	0.612	
42	भैरूसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	18/1	0.303	0.303	
		16	0.227	0.227	
	योग	2	0.530	0.530	

क्रं. 1	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
43	मांगीलाल शिवसिंह भौनेसिंह दुलेसिंह आ जगनाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	7	0.024	0.024	
	योग	1	0.024	0.024	
44	गोकुल पिता भंवरलाल हि.1/5, लालजी पिता भंवरलाल हि. 1/5, धापूबाई बेवा भंवरलाल हि.1/5, हिन्दुसिंह पिता गंगाराम हि. 1/5, नारायणसिंह पिता गंगाराम हि. 1/5 सर्वजाति सौध्या निग्राम भूस्वामी	37/2	0.161	0.161	
		37/3	0.161	0.161	
	योग	2	0.322	0.322	
45	दरियावसिंह फुलसिंह पिता प्रेमसिंह, सुंदरबाई बेवा प्रेमसिंह हि. 1/3 जाति सौध्या निग्राम भूस्वामी	48/1/1	0.041	0.041	
		49/1	0.342	0.342	
		50/4	0.042	0.042	
		51/1	0.071	0.071	
	योग	4	0.496	0.496	
46	फूलसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौध्या निग्राम भूस्वामी	119/4	0.213	0.213	
	योग	1	0.213	0.213	
47	कालूसिंह पिता भंवरलाल 3/4, गीता पुत्री भंवरलाल 1/4 सौध्या निग्राम भूस्वामी	123/4	0.900	0.900	
	योग	1	0.900	0.900	
48	रुगनाथ पिता माधू जाति सौध्या निग्राम भूस्वामी	123/5	0.075	0.075	
	योग	1	0.075	0.075	
49	कालूसिंह पिता मोहनलाल 1/2, जसवंतसिंह पिता मोहनलाल सौ 1/2 निग्राम भूस्वामी	32/4	0.036	0.036	
		123/9	0.187	0.187	
	योग	2	0.223	0.223	
50	हिंदुसिंह पिता गंगाराम जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	129/2/1	0.253	0.101	
	योग	1	0.253	0.101	
51	प्रभु पिता फतेहसिंह जाति सौ निग्राम भूस्वामी	13/2	0.114	0.114	
	योग	1	0.114	0.114	
52	जशवंतसिंह पिता जगनाथसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	18/3	0.530	0.530	
	योग	1	0.530	0.530	
53	नोरंगबाई पति देवसिंह जाति सौ निग्राम भूस्वामी	127/1/8/2	0.237	0.237	
	योग	1	0.237	0.237	
	कुलयोग	178	36.884	33.675	

क्र. 1	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6

(2) लिम्बोदा जलाशय में ग्राम लिम्बोदा की निजी भूमि प्रभावित होने से भू-अर्जन प्रकरण

ग्राम-लिम्बोदा

1	पीरू पिता रतनलाल जाति सौ नि कोडक्या भूस्वामी	6/4	0.720	0.351	
	योग	1	0.720	0.351	
2	पूरसिंह बनेसिंह धूलीबाई पिता भैरू जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	8/1	0.006	0.006	
		7/1/2	0.301	0.301	
	योग	2	0.307	0.307	
3	बनेसिंह आ. भैरू जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	7/2	1.270	1.270	
		8/2	0.006	0.006	
	योग	2	1.276	1.276	
4	भंवरलाल प्रतापसिंह करणसिंह भारतसिंह पिता कालूसिंह बालूसिंह लखनसिंह होकमबाई अयोध्याबाई पिता हिंदूसिंह सौ निग्राम भूस्वामी	10/2	0.700	0.700	
		10/7	0.164	0.164	
		68/2/2	0.182	0.182	
		69/3	0.101	0.101	
	योग	4	1.147	1.147	
5	हरिसिंह पिता फतेहसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	10/3	0.070	0.070	
		10/5	0.164	0.164	
		68/2/1	0.182	0.182	
		69/2	0.102	0.102	
	योग	4	0.518	0.518	
6	सुनील ना बा सा माता शांताबाई पति तरवरसिंह सौ निग्राम भूस्वामी	20/2	0.506	0.506	
	योग	1	0.506	0.506	
7	हरिसिंह पिता भंवरलाल जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	35/4	0.182	0.051	
		33/2	0.070	0.034	
	योग	2	0.252	0.085	
8	नारायणसिंह पिता भंवरलाल जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	18/3	0.113	0.113	
	योग	1	0.113	0.113	
9	तरवरसिंह पिता नरभैसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	20/1	0.658	0.658	
	योग	1	0.658	0.658	
10	प्रेमसिंह पिता मांगीलाल, मोहनलाल पिता रूगनाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	33/1	0.139	0.034	
		35/1	0.363	0.101	
		12/1/3	0.083	0.083	
		13/1/3	0.221	0.221	
		64/3	0.113	0.113	
	योग	5	0.919	0.552	

क्र. 1	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
11	शिवसिंह आ. भवरजी जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	11	0.441	0.441	
		14	0.101	0.101	
	योग	2	0.542	0.542	
12	शिवसिंह आ. भंवरलाल सौ निग्राम भूस्वामी	18/2	0.126	0.126	
	योग	1	0.126	0.126	
13	शिवसिंह आ. घीसा जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	12/1/2	0.042	0.042	
		13/1/2	0.111	0.111	
		33/3	0.070	0.034	
		35/2	0.363	0.101	
		64/2	0.057	0.057	
	योग	5	0.643	0.345	
14	हरिसिंह पिता बापूलाल सौ. नि ग्राम भूस्वामी	30	0.607	0.051	
		7/1/1	0.970	0.970	
	योग	2	1.577	1.021	
15	बालूसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	26/1	0.426	0.426	
		12/2	0.101	0.101	
		13/2	0.152	0.152	
		14/2	0.250	0.250	
		15/2/1	0.051	0.051	
	योग	5	0.980	0.980	
16	धापूबाई पति गेंदालाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	24/1	0.228	0.228	
		22/1/2	0.411	0.411	
		24/2	0.228	0.228	
		24/3	0.228	0.228	
		26/3	0.142	0.142	
	योग	5	1.237	1.237	
17	रामेश्वर विजयसिंह पिता अमरसिंह मु धापूबाई बेवा अमरसिंह सौ. निग्राम भूस्वामी	27	0.607	0.607	
		23	0.138	0.138	
	योग	2	0.745	0.745	
18	रेशमबाई पति सजनसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	22/1/1	0.412	0.412	
	योग	1	0.412	0.412	
19	जगन्नाथ आ. गुलाब जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	60/1	0.188	0.188	
		67/5	0.127	0.127	
	योग	2	0.315	0.315	
20	नाथूलाल नारायणसिंह मोहनलाल पिता कंवरलाल सौ. नि ग्राम भूस्वामी	54/1/1	0.130	0.033	
	योग	1	0.130	0.033	

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
21	धुलाबाई बेवा हिरालाल, लालजी पिता हिरालाल सौ निग्राम	26/2	0.545	0.545	
	योग	1	0.545	0.545	
22	रतनलाल पिता मांगीलाल सौ. निग्राम भूस्वामी	48/1	0.367	0.120	
	योग	1	0.367	0.120	
23	मनोहरसिंह इंदरसिंह बीरमसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	29	0.749	0.265	
	योग	1	0.749	0.265	
24	विनयसिंह नरभेसिंह गेंदालाल पिता हीरालाल रेशमबाई शांताबाई पिता हीरालाल जगनाथ रामचंद्र पिता गुलाब कुमेशसिंह पिता मांगीलाल शिवसिंह नारायणसिंह पिता भंवरलाल जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	34	0.709	0.125	
		10/4	0.702	0.702	
	योग	2	1.411	0.827	
25	विनयसिंह आ. हीरालाल सौ. निग्राम भूस्वामी	21	0.555	0.555	
		22/2	0.253	0.253	
	योग	2	0.808	0.808	
26	विनयसिंह नरभेसिंह गेंदालाल पिता हीरालाल रेशमबाई शांताबाई पुत्री हीरालाल जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	18/1	0.726	0.726	
		60/2	0.253	0.253	
	योग	2	0.979	0.979	
27	बनेसिंह नरभेसिंह गेंदालाल आ. हीरालाल सौ. निग्राम भूस्वामी	19	0.304	0.304	
	योग	1	0.304	0.304	
28	बीरमसिंह पिता शिवसिंह सौ निग्राम भूस्वामी	15/3	0.250	0.250	
	योग	1	0.250	0.250	
29	हिंदुसिंह आ. रूपसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	76/1	0.206	0.051	
	योग	1	0.206	0.051	
30	बेवा भंवरलाल हि. 25 पेसे हिरालाल आ. बदन जगनाथ रामचंद्र आ गुलाब मु दरियावबाई बेवा गुलाब जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	65	0.024	0.024	
	योग	1	0.024	0.024	
31	मोतीलाल पिता फतेहसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	69/1	0.101	0.101	
		10/1	0.070	0.070	
		10/6	0.164	0.164	
		68/2/3	0.183	0.183	
	योग	4	0.518	0.518	

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
32	रामचंद्र पिता गुलाब जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	18/4	0.366	0.366	
		67/6	0.114	0.114	
	योग	2	0.480	0.480	
33	अनारसिंह आ पूरा जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	68/1	0.251	0.251	
		66	0.368	0.368	
	योग	2	0.619	0.619	
34	पुरीबाई पति विनयसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	67/1	0.114	0.114	
		67/2	0.126	0.126	
		67/3	0.114	0.114	
		67/4	0.114	0.114	
	योग	4	0.468	0.468	
35	मांगीलाल पिता घीसा बीरम पिता कालू अ.पा. कर्ता धीरपसिंह आ. कालू रोडीबाई प्रेमबाई आ. कालु चमार नि ग्राम भूस्वामी	6/19	1.011	1.011	
	योग	1	1.011	1.011	
36	रोडजी पिता रामलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	16/1	0.146	0.146	
		36/1	0.205	0.031	
		63/1	0.180	0.180	
		14/1	0.167	0.167	
		17/2	0.266	0.266	
		15/2	0.080	0.080	
	योग	6	1.044	0.870	
37	पर्वतसिंह पिता भंवरलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	12/1/1	0.041	0.041	
		13/1/1	0.111	0.111	
		64/1	0.057	0.057	
		35/3	0.181	0.051	
	योग	4	0.390	0.260	
38	रोडसिंह मदनसिंह बलवंतसिंह सुरेन्द्रसिंह पिता रामलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	61	0.012	0.012	
		62	0.024	0.024	
	योग	2	0.036	0.036	
39	ज्ञानेन्द्रसिंह पिता शिवसिंह चौहान जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	56	3.379	0.350	
	योग	1	3.379	0.350	
40	मदनसिंह पिता रामलाल जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	55/2	0.165	0.122	
		36/2	0.205	0.031	
		63/2	0.180	0.180	
		16/2	0.146	0.146	
	योग	4	0.696	0.479	

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
41	मांगीलाल पिता बीरमसिंह जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	55/3	0.165	0.122	
		63/3	0.181	0.181	
		16/3	0.145	0.145	
	योग	3	0.491	0.448	
42	सुरेन्द्रसिंह पिता रामलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	55/4	0.165	0.122	
		63/4	0.180	0.180	
		16/4	0.146	0.146	
		36/4	0.206	0.031	
	योग	4	0.697	0.479	
43	नारायणसिंह पिता कंवरलाल जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	54/1/2	0.129	0.033	
	योग	1	0.129	0.033	
44	मोहनलाल पिता कंवरलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	54/1/3	0.129	0.033	
	योग	1	0.129	0.033	
45	कालूसिंह पिता घीसा जाति सौ निग्राम भूस्वामी	54/2	0.388	0.101	
	योग	1	0.388	0.101	
46	बीरम पिता घीसा जाति सौ निग्राम भूस्वामी	54/3	0.389	0.101	
	योग	1	0.389	0.101	
47	बीरमसिंह, मांगीलाल पिता उदयसिंह, केसरबाई बेवा उदयसिंह जाति सौ निग्राम भूस्वामी	72/3	0.884	0.884	
	योग	1	0.884	0.884	
48	उरमीलाबाई पति छोटूलाल जाति अ.जा. निग्राम भूस्वामी	6/9	2.000	0.460	
	योग	1	2.000	0.460	
49	अनोखबाई बेवा मोतीलाल, हेमराज ना.बा. स. महेश ना.बा.स. माता अनोखबाई जाति सौन्या निग्राम भूस्वामी	105/3	1.225	1.225	
	योग	1	1.225	1.225	
50	परथीसिंह पिता रूपसिंह जाति सौ निग्राम भूस्वामी	85/2/1	0.120	0.040	
	योग	1	0.120	0.040	
51	धीरपसिंह पिता रूपजी जाति सौ निग्राम भूस्वामी	85/2/2	0.120	0.040	
	योग	1	0.120	0.040	
52	प्रतापसिंह पिता रूपजी जाति सौ निग्राम भूस्वामी	85/2/3	0.121	0.040	
	योग	1	0.121	0.040	
53	बलवंतसिंह पिता रामलाल जाति सौ निग्राम भूस्वामी	36/3	0.205	0.031	
	योग	1	0.205	0.031	
	कुलयोग	110	34.305	24.448	

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6

(3) लिम्बोदा जलाशय में ग्राम कोडकी की निजी भूमि प्रभावित होने से भू-अर्जन प्रकरण

ग्राम-कोडकी

1	हीरालाल देवसिंह पिता अनारसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	68	0.138	0.138	
	योग	1	0.138	0.138	
2	कालुसिंह पिता फतेहसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	67/1	0.381	0.101	
	योग	1	0.381	0.101	
3	जतनबाई बेवा विजयसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	66	1.708	0.450	
		59	0.291	0.101	
	योग	2	1.999	0.551	
4	छीतरसिंह आ मोती हि 1/2 धुली पति भैरू हि 1/2 सौ नि ग्राम भूस्वामी	58	0.024	0.024	
	योग	1	0.024	0.024	
5	धीसालाल पिता परथी जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	57	0.482	0.061	
	योग	1	0.482	0.061	
6	भवरलाल आ. मांगीलाल बापूलाल आ. लक्ष्मण रतनबाई शैतानबाई पुत्री लक्ष्मण जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	56	0.024	0.024	
	योग	1	0.024	0.024	
7	भवरलाल पिता मांगीलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	65	0.518	0.518	
	योग	1	0.518	0.518	
8	भगवानसिंह दत्तक जगनाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	51	0.470	0.210	
	योग	1	0.470	0.210	
9	नारायणसिंह पिता अनारसिंह मु. दरियावबाई बेवा अनारसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	69/1	0.367	0.121	
		49/2	0.117	0.117	
	योग	2	0.484	0.238	
10	नारायणसिंह पिता अनारसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	60/1			
		60	0.273	0.110	
		61/1			
		62/1			
		50	0.172	0.101	
	योग	5	0.445	0.211	
11	रतनलाल पिता अनारसिंह मु. दरियावबाई बेवा अनारसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	49/1	0.117	0.117	
		46/2	0.024	0.024	
	योग	2	0.141	0.141	
12	रतनलाल नारायणसिंह देवसिंह हीरालाल पिता अनारसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	48	0.012	0.012	
	योग	1	0.012	0.012	
13	रामबाबू गोविंद सुनीता पिता कालीबाई बरेमन पिता विजयसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	47	0.077	0.077	
	योग	1	0.077	0.077	

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
14	ब्रजमोहन पिता गंगाराम ना बा पा क माता गंगाबाई बेवा गंगाराम मु. गंगाबाई बेवा गंगाराम सौ. नि ग्राम भूस्वामी	46/1	0.025	0.025	
		55	0.202	0.101	
		54	0.036	0.036	
		52	0.065	0.065	
	योग	4	0.328	0.227	
15	बजेसिंह लक्ष्मीनारायण पिता रूगनाथ रतनबाई बेवा रूगनाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	53/1	0.122	0.122	
	योग	2	0.122	0.122	
16	देवसिंह पिता अनारसिंह सौ. नि ग्राम भूस्वामी	67/2	0.256	0.101	
	योग	1	0.256	0.101	
17	हीरालाल पिता अनारसिंह हि.3/4, दरियावबाई बेवा अनारसिंह हि. 1/4 सौ नि ग्राम भूस्वामी	49/4	0.118	0.118	
	योग	1	0.118	0.118	
18	धीरपसिंह पिता धीसालाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी	67/5	0.381	0.017	
	योग	1	0.381	0.017	
19	दरियावबाई बेवा अनारसिंह सौ. नि ग्राम हि. 1/4 देवसिंह पिता अनारसिंह हि. 3/4 भूस्वामी	49/3	0.118	0.118	
	योग	1	0.118	0.118	
20	बीरमसिंह, मांगीलाल पिता उदयसिंह हि. 1/3, केसरबाई बेवा उदयसिंह हि. 1/3 जाति सौ. नि ग्राम कोडक्या भूस्वामी	53/2	0.123	0.123	
	योग	1	0.123	0.123	
21	कालूसिंह, जसवंतसिंह पिता मोहनलाल हि. 1/3, धापूबाई पिता मोहनलाल हि. 1/3 जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	53/3	0.123	0.123	
	योग	1	0.123	0.123	
	कुलयोग	32	6.764	3.255	
	महायोग	320	77.953	61.378	

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

रा.प्र.क्र.-02-अ-82-2019-2020-भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 अगस्त 2020

म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत बिजोरी गुमाई से कछारढाना मार्ग लम्बाई 03.90 कि०मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में बिजोरी गुमाई से कछारढाना मार्ग लम्बाई 03.90 कि०मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	उमरेठ	ग्राम-- गुलवा, प0ह0न0-13 ब0न0-130, रा0नि0म0- उमरेठ	1.जगपाल उर्फ लक्ष्मण पिता झगरलाल गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी-गुलवा 2.रामपाल पिता झगरलाल गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी-गुलवा	52/6 52/5	0.009 0.009	बिजोरी गुमाई से कछारढाना मार्ग लम्बाई 03.90 कि०मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।

		3.रामप्रसाद पिता झमरलाल गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी-गुलवा	52/4	0.011	
		4.महेश पिता झमरलाल गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी-गुलवा	52/3	0.009	
		5.चैतराम पिता झमरलाल गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी-गुलवा	52/1	0.014	
		6.गयाप्रसाद पिता पंचम पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-गुलवा	53/4	0.008	
		7.नानकराम पिता पंचम पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-गुलवा	53/1	0.009	
		6.सागर पिता मोहन पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-गुलवा	53/6	0.014	
		कुल योग	1	0.083 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर-छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

रा.प्र.क्र.-03-अ-82-2019-2020-भू-अर्जन,

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत बिजोरी गुमाई से कछारढाना मार्ग लम्बाई 03.90 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्र.रूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में बिजोरी गुमाई से कछारढाना मार्ग लम्बाई 03.90 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन:—

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	उमरेठ	ग्राम— बिजोरी गुमाई, प0ह0न0-11 ब0न0-388, रा0नि0म0— उमरेठ	1.सरमन पिता ध्यानसा गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी— 2. गीता विधवा मधु, शिवम, वासुदेव ना0बा0 पिता मधु पा0मा0 गीता विधवा मधु, शंकरलाल, ओमकार, अज्ञान पिता दीनाजी, दीनाजी पिता जुगल	288/3 289/2	0.225 0.200	बिजोरी गुमाई से कछारढाना मार्ग लम्बाई 03.90 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।

			पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-			
			3.मु0 जैना विधवा घन्सु, सुखदास, सुभाष, सुदामा, श्रीपाल, नेपाल पिता	295/5 295/2	0.050 0.030	
			घन्सु, संगीता पिता घन्सु पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-	306/2 308/4	0.030 0.015	
			4.दीमा पिता जुगल पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-	295/4 306/3	0.080 0.025	
			5. परसराम पिता गनाजी पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-	295/3 303/9	0.120 0.020	
			6. धनाराम पिता जुगल पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-	295/1	0.110	
			7.जयशीला बेवा रामजी, बबलु पिता रामजी पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-	300/8	0.060	
			8.भाऊलाल पिता पैकु गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी-	299/6	0.050	
			9.जगदीश पिता धनाराम पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-	303/6 303/5 302/1 306/1	0.020 0.020 0.020 0.060	
			10. शीलाबाई पति जगदीश पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-	303/1	0.080	
			11.जदु पिता धनाराम पवार निवासी ग्राम	303/8 303/7	0.040 0.050	

			भूमि स्वामी—			
			12. रमेश पिता गनाजी पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी—	306/4	0.050	
			13. द्वारका पिता गनाजी पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी—	306/8	0.030	
			14. दशरथ पिता धनाराम पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी—	306/9	0.020	
			15. धनाराम, दीनाजी, धंसु पिता जुगल, परसराम, द्वारका, रमेश कुमार पिता गनाजी, जीराबाई पिता गनाजी, जैना विधवा धंसु, सुखदास, सुभाष, सुदामा, श्रीपाल, नेपाल पिता धंसु, संगीता पिता धंसु पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी—	308/1	0.030	
			16. संतोष पिता लिखीराम पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी—	303/10	0.040	
		कुल योग		16	01.475 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

रा.प्र.क्र.-04-अ-82-2019-2020-भू-अर्जन,

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत बिजोरी गुमाई से कछारढाना मार्ग लम्बाई 03.90 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी धोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में बिजोरी गुमाई से कछारढाना मार्ग लम्बाई 03.90 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	उमरेठ	ग्राम- स्थौरा माल, प0ह0न0-16 ब0न0-508, रा0नि0म0-- उमरेठ	1.मनोज, राजेन्द्र, राजेश पिता छोटेलाल पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी- 2. ओमप्रकाश पिता सम्पत पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी- 3.सुशीला विधवा	608/2 615 550 549	0.004 0.188 0.024 0.096	बिजोरी गुमाई से कछारढाना मार्ग लम्बाई 03.90 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।

		मधुकर, बबीता पिता मधुकर, करमचंद, गौरेन्द्र पिता मधुकर पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-			
		4.अनिल पिता मोतीराम पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-	542/2	0.036	
		5. राजकुमार पिता मोतीराम पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-	541/3	0.030	
		6.जधु पिता लिखीराम निवासी ग्राम भूमि स्वामी-	541/2	0.072	
		7.बलदेव पिता मोतीराम पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-	541/1	0.030	
		8.सुरेश, रमेश, राजु, राजेश पिता केशरी, लक्ष्मी, सुनीता पिता केशरी पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-	540/1	0.009	
		9.रामचरण, गोविंद, आशाराम पिता धन्नु, आशा पिता धन्नु तेली, वीरेन्द्र, मोहन, शिवशंकर, रविशंकर पिता रामदास, रखिया विधवा	540/6	0.007	

			रामदास निवासी ग्राम भूमि स्वामी—			
			10. रविशंकर, शिवशंकर पिता रामदास तेली निवासी ग्राम भूमि स्वामी—	540/7	0.028	
			11. अर्जुन पिता भागचंद पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी—	201/2	0.009	
			12. फुलवती विधवा गुरुप्रसाद, निरंजन, अभिमन्यु, बबरुवान पिता गुरुप्रसाद, शकुन, कशमीरा, द्रौपदी पिता गुरुप्रसाद पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी—	201/1 201/3	0.024 0.008	
		कुल योग		12	0.565 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक-4672-भू-अर्जन-2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-चांद प0ह0न-24 ब.न.-80 रा.नि.मं.-चांद	रकबा- 01.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दायी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर की 16 एल माईनर की सब माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन दायी तट नहर उपसंभाग क0-1 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक-4778-भू-अर्जन-2020

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 अगस्त 2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम- निशानजानोजी प0ह0न-29 ब.न.-150 रा.नि.मं.-चांद	रकबा- 0.200 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दायी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन दायी तट नहर उपसंभाग क0-1 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला-मुरैना, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 53-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2018-7767

मुरैना, दिनांक 25 अगस्त 2020

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम सबलगढ़ प0ह0क0-54 रा0नि0 वृत्त-04 तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 1.393 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- सबलगढ़ प0ह0क0-54 रा0नि0 सबलगढ़ वृत्त-04 तहसील- सबलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	सवलगढ़
ग. ग्राम	सवलगढ़
घ. लगभग क्षेत्रफल	1.393 हेक्टेयर

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	264 / 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.173	रामभजन पत्रु बाबूलाल लक्ष्मीबाई नबलो सुखिया पुत्रीयां बाबूलाल समान भाग जाति त्यागी पता निवासी सवलगढ़ भूमिस्वामी।
2	264 / 3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.174	द्वारिका प्रसाद दत्तक पुत्र आनदीलाल जाति ब्रा0 पता सवलगढ़ भूमिस्वामी।
3	305	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.012	मुरारी लाल बंदीप्रसाद जाति त्यागी पता सवलगढ़ भूमिस्वामी।
4	334	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.036	राजेन्द्रकुमार देवेन्द्रकुमार भूपेन्द्र कुमार पुत्रगण कृष्णाविहारी समान भाग जाति ब्रा0 पता सवलगढ़ भूमिस्वामी।
5	336	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.028	सुशीलकुमार पुत्र दलजीत सिंह जाति ठाकुर

					पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
6	337	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.010	हरीप्रसाद मांगीलाल केदार लाल पुत्रगण रामरतन जाति त्यागी पता सवलगढ समान भाग भूमिस्वामी
7	338	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.007	रामकृष्ण पुत्र रमेशचन्द श्रीमती सुमन देवी पत्नी अशोक समान भाग 98/3083 रमेश पुत्र श्यामलाल भाग 48/3083 चन्दन लाल पुत्र श्यामलाल भाग रकबा 3बीघा दर भाग 1/4 कमलेश दत्तक पुत्र चौखरिया सुखुआ पुत्र हरिगोविन्द भाग 1/2 श्रीमती कोशलया देवी पत्नी चन्दनलाल भाग रकबा 14 विस्वा 15 विस्वांसी श्रीमती मनोरमा देवी पत्नी कमलेश भाग रकबा 0.616 दर भाग 1/4 जाति त्यागी ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
8	428	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.003	रामकुमेर 1/7 कल्याणचन्द दिनेशकुमार 2/7 पुत्रगण प्रभूदयाल मु0 विधा वेवा रमेश राकेश वा0 मुकेश लवकुश नाबा0 पुत्रगण रमेश सुदामा वा0 सीमा नाबा0 पुत्री रमेश सर0 मां विधा खुद स0भाग 1/7 भूमिस्वामी प्रेमलता गीता पुत्रीयां प्रभूदयाल 2/7 समान भाग भूमिस्वामी मु0 नारायणी वेवा प्रभूदयाल 1/7 भूमिस्वामी शिवलहरी अवधविहारी बसन्त विहारी आ0 बालमुकुन्द दीनबन्धु पुत्री बालमुकुन्द मु0 गीता बेवा बालमुकुन्द समान भाग 1/9 भूमिस्वामी किशनबाई पुत्री सुआलाल भाग 1/9 दर भाग 1/3 भूमिस्वामी चतुर्भूज प्रसाद नाबा0 पुत्र जगन्नाथप्रसाद सर0 श्योकुअंर आजी खुद जाति ब्रा0 पता सबलगढ 1/3 भाग भूमिस्वामी बासदेव बिसम्भरदयाल पुत्रगण देवीप्रसाद भूमिस्वामी मु0 कम्मोदा बेवा देवीप्रसाद भूमिस्वामी मायाबाई त्रिवेणीबाई पुत्रीयां देवीप्रसाद 1/6 समान भाग भूमिस्वामी विध्याबाई रामकटोरी पुत्रीयां शिवशंकर जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम 1/6 समान भाग भूमिस्वामी।
9	431	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.027	बासुदेव प्रसाद पुत्र देवीप्रसाद विशम्भरदयाल पुत्र देवीप्रसाद मायाबाई त्रिवेणीबाई पुत्रीयां

					देवीप्रसाद भाग 4/5 मु0 कम्मोदा बेवा देवीप्रसाद भाग 308/1839 जाति ब्रा0 श्रीमती गंगादेवी पत्नी अषोककुमार भाग 1250 वर्गफुट जाति वैश्य श्रीमती शकुन्तला पत्नी केदार भाग 1250 किरोडीलाल पुत्र रामचरनलाल शर्मा भाग 1250 वर्गफुट जाति ब्रा0 पता सवलगढ मुरैना म0प्र0 श्रीमती सीमा पत्नी राकेश कुमार ब्रा0 नि0 पिपरधान भाग 1250 वर्गफुट नीलम पत्नी गिरीश कुमार जाति ब्रा0 भाग 1250 वर्गफुट दर भाग 1/5 राकेश पुत्र किरोडीलाल शर्मा भाग 1250 वर्गफुट पता सवलगढ मुरैना म0प्र0 1/2 भाग भूमिस्वामी।
10	432	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.134	रामकुमेर 1/7 कल्याणचन्द दिनेशकुमार 2/7 पुत्रगण प्रभूदयाल मु0 विधा बेवा रमेश राकेश वा0 मुकेश लवकुश नाबा0 पुत्रगण रमेश सुदामा वा0 सीमा नाबा0 पुत्री रमेश सर0 मां विधा खुद स0भाग 1/7 भूमिस्वामी प्रेमलता गीता पुत्रीयां प्रभूदयाल 2/7 समान भाग भूमिस्वामी मु0 नारायणी बेवा प्रभूदयाल 1/7 भूमिस्वामी शिवलहरी अवधविहारी बसन्त विहारी आ0 बालमुकुन्द दीनबन्धु पुत्री बालमुकुन्द मु0 गीता बेवा बालमुकुन्द समान भाग 1/9 भूमिस्वामी किशनबाई पुत्री सुआलाल भाग 1/9 दर भाग 1/3 भूमिस्वामी चतुर्भूज प्रसाद नाबा0 पुत्र जगन्नाथप्रसाद सर0 श्योकुअंर आजी खुद जाति ब्रा0 पता सबलगढ 1/3 भाग भूमिस्वामी बासदेव बिसम्भरदयाल पुत्रगण देवीप्रसाद भूमिस्वामी मु0 कम्मोदा बेवा देवीप्रसाद भूमिस्वामी मायाबाई त्रिवेणीबाई पुत्रीयां देवीप्रसाद 1/6 समान भाग भूमिस्वामी विध्याबाई रामकटोरी पुत्रीयां शिवशंकर जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम 1/6 समान भाग भूमिस्वामी।
11	433	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.178	मंदीर श्री रामचन्द जी का पुख्ता बाके दे हाजा पता सवलगढ भूमिस्वामी माफी देवस्थान प्रबन्धक कलेक्टर मुरैना।
12	477 / ि	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.005	श्रीमती राजकुमारी पत्नी बहादुरसिंह जाति

	म0 32				ठाकुर निवासी भदौरिया का पुरा हाल निवास सवलगढ हि0 3250 वर्गफुट
				0.006	बाबूलाल पुत्र रामजीलाल सत्यप्रकाश आकाष नावा0 पुत्रगण वाबूलाल व नावा0 सर0 पिता खुद जाति रावत निवासी ग्राम सवलगढ स0 भा0 5750 वर्गफुट
				0.054	मोहनदास गोपालदास सत्यनारायण पुत्रगण रामचरनलाल जाति बैश्य निवासी ग्राम सवलगढ हि0 57702.25 वर्गफुट
13	478	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.126	मंदीर श्री रामचन्द्र जी का पुख्ता बााके दे हाजा पता सवलगढ भूमिस्वामी माफी देवस्थान प्रबन्धक कलेक्टर मुरैना।
14	480	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.132	मनोज कुमार पुत्र देवीप्रसाद जाति कायस्थ पता सवलगढ भूमिस्वामी।
15	565	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.044	परिमाल रामगोपाल पुत्रगण जीवाराम जाति त्यागी पता सवलगढ समान भाग भूमिस्वामी।
16	566	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.079	मुरारीलाल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति त्यागी पता सवलगढ भूमिस्वामी।
17	567	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.143	रामभजन पुत्र बाबूलाल लक्ष्मीबाई नवलो सुखिया पुत्रीयां बाबूलाल समान भाग जाति त्यागी पता नि0 सवलगढ भूमिस्वामी।
18	569	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.022	मु0 किशानो बेवा मांगीलाल रमेश श्रीराम रामस्वरूप आ0 मांगीलाल प्रेम पुत्री मांगीलाल समान भाग 5/6 गोरीशंकर लोकेन्द्र पुत्रगण रामस्वरूप भाग 1/6 जाति त्यागी ब्रा0 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
कुल किता 18				1.393	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके

लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के रूपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र.क्र. 55-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-8412

मुरैना, दिनांक 7 सितम्बर 2020

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनाथ (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम लकेंजरा प0ह0क0-49 रा0नि0 वृत्-04 तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 2.860 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- लकेंजरा, प0ह0क0-49 रा0नि0 सबलगढ़ वृत्-04 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	सवलगढ़
ग. ग्राम	लकेंजरा
घ. लगभग क्षेत्रफल	2.860 हेक्टेयर

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1/मि0 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.125	विहारी पुत्र मुल्ला जाति काछी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
2	1/मि0 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		राजाराम पुत्र विहारी जाति काछी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
3	1/मि0 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामनिवास दसरथ पुत्र विहारी जाति काछी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
4	1/मि0 4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		केदार राजाराम अमरसिंह पुत्र लोडू जाति काछी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
5	1/मि0 5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामचरण लखपति आ0 दौलतिया भागवती केशरदेह रजको गया सामन्ती पुत्रियां दौलतिया समान भाग जाति काछी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
6	2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.085	मुन्नी देवी पत्नि केदार जाति काछी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।

7	4/2/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.024	संगीता शर्मा पत्नि अनंतकुमार शर्मा जाति ब्रा० न्यायालय तहसीलदार सबलगढ के प्र.क./0007/20-21/अ-6 मे पारित आदेश दिनांक 27.06.2020 से नामान्तरण स्वीकार गया है।
8	6	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.284	रामदीन नाबा. पुत्र रतनू सर. मां गणेशी खुद कमला नाबा पुत्री रतनू सर मां गणेशी खुद मु गणेशी बेबा रतनू समान भाग 1/10 रामदीन पुत्र रतनू हि 1/10 उम्मेद मुनेश कमलेश पुत्रगण फुन्दी श्रीमती पुत्री फुन्दी जाति धोबी समान भाग 1/10 भोला पिता वंशी भाग 1/10 मु. बैजन्ती बेबा धनपाल रामविलास लखपति पुत्रगण धनपाल मुन्नी गीता सुनीता पुत्रियां धनपाल समान भाग 6/8 मु. उम्मेदी बेबा रमेश मुकेश रिकू पुत्रगण रमेश समान भाग 1/8 राजकुमार धम्मू नाबा पुत्रगण हीरा लक्ष्मी छाया इनीती बा. रूबी नाबा. पुत्रियां हीरा समान भाग 1/8 सर पिता खुद जाति धोबी नि हथरिया दर भाग 1/15 रामजी पुत्र छोटे भाग 1/15 सतेन्द्र आ. कोकसिंह जाति किरार भाग 0 065 नि. कुतधान उम्मेद मुनेश कमलेश पुत्रगण फुन्दी श्रीमती पुत्री फुन्दी समान भाग हि. 0.21 जाति धोबी हाकिम गजेन्द्र सुरेन्द्र पुत्रगण गजालाल महादेवी पुत्री गयालाल जाति धाकड समान भाग 0.366 प्रागो देवी पत्नि श्यामलाल भाग 0.219 दर भाग 1/20 सतेन्द्र आ. कोकसिंह जाति किरार नि. कुतधान भाग 0.128 बैजन्ती पत्नि भोला भाग 0.366 नशरीमखातून पत्नी छोटे खॉ नि. कैलारस भाग 0.157 (धर्मसिंह पुत्र रघुनाथ नोरिया देवी पत्नि धर्मसिंह समान भाग 0.209 दर भाग 1/20 जाति धाकड) के स्थान पर तहसीलदार न्यायालय के प्र.क./0101/20-21/अ-6 मे पारित आदेश दि. 17.07.2020 से नामान्तरण स्वीकार होने से मुनेश रजक पुत्र मुन्नारजक जाति धोबी नि. ग्राम 210

					<p>/16950 भाग का नाम सम्मिलित किया गया। रामदयाल पुत्र सुखुआ भाग 1.167 मांगी पुत्र सुखुआ भाग 0.011 मुन्ना पुत्र सुखुआ भाग 0.272 दरभाग 1/10 तह. सबलगढ़ के प्र.क. /0013/19-20/अ-27 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2020 से बटवारा होने से (अनन्त कुमार पुत्र रामदुलारे जाति ब्रा. नि. देवपुरमाफी रकबा 0.261) की प्रविष्टि हटाई गयी। गु. शांति बेबा मूला भूरा रामवरन रामप्रकाश पुत्रगण मूला प्रेम सरवदी पुत्रियां मूला समान भाग 6/7 प्रेम बेबा श्रीनिवास सोनू अमित नाबा पुत्र श्रीनिवास आरती लक्ष्मी नाबा पुत्रियां श्रीनिवास सरपरस्त मां खुद समान भाग 1/7 जाति धोबी दर भाग रकबा 1.211 ना.पंजी क्रमांक 05/01.09.2014 में आदेश दिनांक 25.09.2014 से संजय पुत्र सुरेश चन्द्र जाति वैश्य सुनहरा सबलगढ़ के नाम रकबा 0.065 है. पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित। प्रभू पुत्र फोसू भाग 0.314 हरिचरण पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य भाग 0.098 नि. सबलगढ़ नरेन्द्र पुत्र महेश जाति वैश्य नि. संजय नगर सबलगढ़ भाग 0.029 (उत्तम पुत्र दिनेश जाति वैश्य नि. सबलगढ़ भाग 0.069) के स्थान प्र.क. /428/19-20/अ-6 में आदेश दिनांक 19.03.2020 से राजेश कुमार पुत्र लक्ष्मण प्रसाद गोयल जाति वैश्य का नामान्तरण स्वीकार किया गया। रमेश पुत्र भगरी प्रेमलीला सनेही गुडडी पुत्रियां भगरी समान भाग दर भाग 1/20 में से तहसीलदार सबलगढ़ के प्र.क. /534/20-21/बी-121 में आदेश दि. 28.02.2020 से संजय पुत्र रामरतन शर्मा जाति ब्रा. का 183/16950 पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित। बत्तो बेबा मुरारीलाल भाग 0.096 जाति धोबी एवं भूखन बा रामअवतार प्रदीप नाबा</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>पुत्रगण मुरारी सुमन नाबा पुत्री मुरारी सर बत्तो मां खुद समान भाग हि. 4/75 के हिस्से मे से नामान्तरण पंजी क्रमांक 03 दिनांक 01.09.2014 मे आदेश दिनांक 25.09.2014 से रामनिवास, रायसिंह पुत्रगण हरीविलास जाति किरार नि. ग्राम के नाम 0.144 हे. भूमि पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित एवं ना.पंजी.क्र. 08/20.06.2016 ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव 12 दि. 15.08.2016 से गिराज बा. पंकज ना.बा. पुत्रगण आदिराम जाति धोबी सर. पिता समानभाग हिस्सा 209/16950 पर नामान्तरण स्वीकार। भगवानसिंह पुत्र जनवेद भाग 0.063 महाराजसिंह पुत्र जनवेद भाग 0.021 कम्पूरी पत्नि रूपसिंह भाग 0.021 जाति काछी नि. ग्राम दर भाग 1/75 दर भाग 1/15 जाति धोबी रामश्री बेबा वनवारी भाग 1/2 नरेन्द्र अजीत नाबा पुत्र गण सिरमोर ललिता नाबा. पुत्री सिरमोर समान भाग 1/2 सर पिता खुद जाति धोबी दर भाग रकबा 0.209 श्यामलाल पुत्र दाताराम भाग 0.209 (महाराज सिंह पुत्र नैहने राम भाग 0.105) के स्थान पर तह.सबलगढ़ के न्यायालय के प्रक./0220/20-21/अ-6 मे पारित आदेश दिनांक 28.02.2020से नामान्तरण स्वीकार होने से नपृति, मुनेश पुत्रगण भूरा, प्रेम बेबा मुन्ना, मेघसिंह पुत्र रामजीलाल जाति कुशवाह नि. हिस्सा समानभाग पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित। रामजी पुत्र छोटे धोबी भाग 0.209</p>
9	<u>7</u>	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	<p>संगीता शर्मा पत्नि अनंतकुमार शर्मा जाति ब्रा0 न्यायालय तहसीलदार सबलगढ़ के प्र.क्र./0007/20-21/अ-6 मे पारित आदेश दिनांक 27.06.2020 से नामान्तरण स्वीकार गया है।</p>
10	<u>8</u>	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.185	<p>रामदीन नाबा. पुत्र रतनू सर. मां गणेशी खुद कमला नाबा पुत्री रतनू सर मां गणेशी खुद मु गणेशी बेबा रतनू समान</p>

				<p>भाग 1/10 रामदीन पुत्र रतनू हि 1/10 उम्मेद मुनेश कमलेश पुत्रगण फुन्दी श्रीमती पुत्री फुन्दी जाति धोबी समान भाग 1/10 भोला पिता वंशी भाग 1/10 मु. बैजन्ती बेबा धनपाल रामविलास लखपति पुत्रगण धनपाल मुन्नी गीता सुनीता पुत्रियां धनपाल समान भाग 6/8 मु. उम्मेदी बेबा रमेश मुकेश रिकू पुत्रगण रमेश समान भाग 1/8 राजकुमार धम्पू नाबा पुत्रगण हीरा लक्ष्मी छाया इनीती बा. रूबी नाबा. पुत्रियां हीरा समान भाग 1/8 सर पिता खुद जाति धोबी नि हथरिया दर भाग 1/15 रामजी पुत्र छोटे भाग 1/15 सतेन्द्र आ. कोकसिंह जाति किरार भाग 0.065 नि. कुतधान उम्मेद मुनेश कमलेश पुत्रगण फुन्दी श्रीमती पुत्री फुन्दी समान भाग हि. 0.21 जाति धोबी हाकिम गजेन्द्र सुरेन्द्र पुत्रगण गजालाल महादेवी पुत्री गयालाल जाति धाकड समान भाग 0.366 प्रागो देवी पत्नि श्यामलाल भाग 0.219 दर भाग 1/20 सतेन्द्र आ. कोकसिंह जाति किरार नि. कुतधान भाग 0.128 बैजन्ती पत्नि भोला भाग 0.366 नशरीमखातून पत्नी छोटे खॉ नि. कैलारस भाग 0.157 (धर्मसिंह पुत्र रघुनाथ नोरिया देवी पत्नि धर्मसिंह समान भाग 0.209 दर भाग 1/20 जाति धाकड) के स्थान पर तहसीलदार न्यायालय के प्रक. /0101/20-21/अ-6 मे पारित आदेश दि. 17.07.2020 से नामान्तरण स्वीकार होने से मुनेश रजक पुत्र मुन्नारजक जाति धोबी नि. ग्राम 210 /16950 भाग का नाम समिलित किया गया। रामदयाल पुत्र सुखुआ भाग 1.167 मांगी पुत्र सुखुआ भाग 0.011 मुन्ना पुत्र सुखुआ भाग 0.272 दरभाग 1/10 तह.सबलगढ के प्र.क. /0003/19-20/अ-27 मे पारित आदेश दिनांक 27.06.2020 से बटवारा होने से (अनन्त कुमार पुत्र रामदुलारे</p>
--	--	--	--	---

				<p>जाति ब्रा. नि. देवपुरमाफी रकबा 0.261) की प्रविष्टि हटाई गयी। मु. शांति बेबा मूला भूरा रामवरन रामप्रकाश पुत्रगण मूला प्रेम सरवदी पुत्रियां मूला समान भाग 6/7 प्रेम बेबा श्रीनिवास सोनू अमित नाबा पुत्र श्रीनिवास आरती लक्ष्मी नाबा पुत्रियां श्रीनिवास सरपरस्त मां खुद समान भाग 1/7 जाति धोबी दर भाग रकबा 1. 211 ना.पंजी क्रमांक 05/01.09.2014 मे आदेश दिनांक 25.09.2014 से संजय पुत्र सुरेश चन्द्र जाति वैश्य सुनहरा सबलगढ के नाम रकवा 0.065 हे. पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित। प्रभू पुत्र फोसू भाग 0.314 हरिचरण पुत्र बाबूलाल जाति बैश्य भाग 0.098 नि. सबलगढ नरेन्द्र पुत्र महेश जाति बैश्य नि. संजय नगर सबलगढ भाग 0.029 (उत्तम पुत्र दिनेश जाति वैश्य नि. सबलगढ भाग 0.069) के स्थान प्र.क. /428/19-20/अ-6 मे आदेश दिनांक 19.03.2020 से राजेश कुमार लक्ष्मण प्रसाद गोयल जाति वैश्य का नामान्तरण स्वीकार किया गया। रमेश पुत्र भगरी प्रेमलीला सनेही गुडडी पुत्रियां भगरी समान भाग दर भाग 1/20 मे से तहसीलदार सबलगढ के प्र.क. /534/20-21/बी-121 मे आदेश दि. 28.02.2020 से संजय पुत्र रामरतन शर्मा जाति ब्रा. का 183/16950 पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित। बत्तो बेबा मुरारीलाल भाग 0.096 जाति धोबी एवं भूखन बा रामअवतार प्रदीप नाबा पुत्रगण मुरारी सुमन नाबा पुत्री मुरारी सर बत्तो मां खुद समान भाग हि. 4/75 के हिस्से मे से नामान्तरण पंजी क्रमांक 03 दिनांक 01.19.2014 मे आदेश दिनांक 25. 09.2014 से रामनिवास, रायसिंह पुत्रगण हरीविलास जाति किरार नि. ग्राम के नाम 0.144 हे. भूमि पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित एवं ना.पंजी.क.</p>
--	--	--	--	---

					08/20.06.2016 ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव 12 दि. 15.08.2016 से गिराज बा. पंकज ना.बा. पुत्रगण आदिराम जाति धोबी सर. पिता समानभाग हिस्सा 209/16950 पर नामान्तरण स्वीकार। भगवानसिंह पुत्र जनवेद भाग 0.063 महाराजसिंह पुत्र जनवेद भाग 0.021 कम्पूरी पत्नि रूपसिंह भाग 0.021 जाति काछी नि. ग्राम दर भाग 1/75 दर भाग 1/15 जाति धोबी रामश्री बेबा वनवारी भाग 1/2 नरेन्द्र अजीत नाबा पुत्र गण सिरमोर ललिता नाबा. पुत्री सिरमोर समान भाग 1/2 सर पिता खुद जाति धोबी दर भाग रकबा 0. 209 श्यामलाल पुत्र दाताराम भाग 0.209 (महाराज सिंह पुत्र नैहने राम भाग 0.105) के स्थान पर तहसबलगढ़ के न्यायालय के प्रक्र./0220/20-21/अ-6 मे पारित आदेश दिनांक 28.02.2020से नामान्तरण स्वीकार होने से नपृति, मुनेश पुत्रगण भूरा, प्रेम बेबा मुन्ना, मेघसिंह पुत्र रामजीलाल जाति कुशवाह नि. हिस्सा समानभाग पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित। रामजी पुत्र छोटे धोबी भाग 0. 209
11	<u>10</u>	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	महीपाल हरिसिंह हजारी लाल पुरुषोत्तम आ. गयालाल जाति किरार नि. ग्राम भूमिस्वामी सभी हिस्सा 1/4 समानभाग न्यायालय तहसीलदार के प्र.क. /0002/20-21/अ-27 मे पारित आदेश दिनांक 25.07.2020 से बटवारा स्वीकृत होने से सर्वे क्रमांक 10 के नंबर 10/1, 10/2 10/3, 10/4 निर्मित हो चुके है।
12	11/मिन 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.264	मुन्नालाल पुत्र बुद्धीराम जाति धाकड पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
13	11/मिन 2/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामनारायण पुत्र भगवानलाल जाति किरार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
14	11/मिन 2/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रेबती बेबा मुरारी जाति किरार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
15	11/मिन	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामदीन पुत्र भगवानलाल जाति किरार

	2/3				पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
16	11/मिन 2/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		लक्ष्मीनारायण पुत्र भगवानलाल जाति किरार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
17	13	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.176	ग्यासिया भौरू पुत्रगण गंगाराम जाति किरार नि. मुरबई भूमिस्वामी।
18	14/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामनारायण पुत्र भगवानलाल जाति किरार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
19	14/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रेबती बेबा मुरारी जाति किरार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
20	14/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.041	रामदीन पुत्र भगवानलाल जाति किरार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
21	14/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		लक्ष्मीनारायण पुत्र भगवानलाल जाति किरार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
22	19/मि0 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		राजेन्द्र पुत्र केदार जाति काछी नि. कुतघान भूमिस्वामी।
23	19/मि0 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामदीन पुत्र दाताराम रणवीर पुत्र बैजनाथ जाति किरार नि. ग्राम स.भाग भूमिस्वामी।
24	19/मि0 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.090	बहादुर श्रीलाल पुत्र दाताराम समान भाग जाति धाकड पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
25	19/मि0 4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		बहादुर श्रीलाल बैजनाथ रामदीन पुत्रगण दाताराम जाति धाकड पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
26	19/मि0 5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रमेश छोटा प्रकाश पुत्रगण भगवनलाल जाति धाकड समान भाग पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
27	20	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.035	महीपाल हरिसिंह हजारी लाल पुरुषोत्तम आ. गयालाल जाति किरार नि. ग्राम भूमिस्वामी सभी हिस्सा 1/4 समानभाग न्यायालय तहसीलदार के प्र.क. /0002/20-21/अ-27 मे पारित आदेश दिनांक 25.07.2020 से बटवारा स्वीकृत होने से सर्वे क्रमांक 20 के नंबर 20/1, 20/2, 20/3, 20/4 निर्मित हो चुके है।
28	21/मि0 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.152	रमेश छोटा प्रकाश पुत्रगण भगवनलाल जाति धाकड समान भाग पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
29	21/मि0 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		बहादुर श्रीलाल बैजनाथ रामदीन

					श्यामलाल पुत्रगण दाताराम रमकली पुत्री दाताराम समान भाग जाति धाकड पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
30	21/मि0 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामबीर पुत्र राजाराम राकेश पुत्र राजाराम जाति किरार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
31	22/मि0 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		बहादुर श्रीलाल बैजनाथ रामदीन श्यामलाल पुत्रगण दाताराम रमकली पुत्री दाताराम समान भाग जाति धाकड पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
32	22/मि0 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.023	रामगोपाल रमेश छोटा प्रकाश पुत्रगण भगवनलाल समान भाग 1/3 दाताराम पुत्र मुरली भाग 1/3 राजाराम पुत्र मुरली भाग 1/3 जाति जाटव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
33	23	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.190	रामदीन नाबा. पुत्र रतनू सर. मां गणेशी खुद कमला नाबा पुत्री रतनू सर मां गणेशी खुद मु गणेशी बेबा रतनू समान भाग 1/10 रामदीन पुत्र रतनू हि 1/10 उम्मेद मुनेश कमलेश पुत्रगण फुन्दी श्रीमती पुत्री फुन्दी जाति धोबी समान भाग 1/10 भोला पिता वंशी भाग 1/10 मु. बैजन्ती बेबा धनपाल रामविलास लखपति पुत्रगण धनपाल मुन्नी गीता सुनीता पुत्रियां धनपाल समान भाग 6/8 मु. उम्मेदी बेबा रमेश मुकेश रिकू पुत्रगण रमेश समान भाग 1/8 राजकुमार धम्पू नाबा पुत्रगण हीरा लक्ष्मी छाया इनीती बा. रूबी नाबा. पुत्रियां हीरा समान भाग 1/8 सर पिता खुद जाति धोबी नि हथरिया दर भाग 1/15 रामजी पुत्र छोटे भाग 1/15 सतेन्द्र आ. कोकसिंह जाति किरार भाग 0.065 नि. कुतघान उम्मेद मुनेश कमलेश पुत्रगण फुन्दी श्रीमती पुत्री फुन्दी समान भाग हि. 0.21 जाति धोबी हाकिम गजेन्द्र सुरेन्द्र पुत्रगण गजालाल महादेवी पुत्री गयालाल जाति धाकड समान भाग 0.366 प्रागो देवी पत्नि श्यामलाल भाग 0.219 दर भाग 1/20 सतेन्द्र आ. कोकसिंह जाति किरार नि. कुतघान भाग 0.128 बैजन्ती पत्नि भोला भाग 0.366

					<p>नशरीमखातून पत्नी छोटे खँ नि. कैलारस भाग 0.157 (धर्मसिंह पुत्र रघुनाथ नोरिया देवी पत्नि धर्मसिंह समान भाग 0.209 दर भाग 1/20 जाति धाकड) के स्थान पर तहसीलदार न्यायालय के प्रक. /0101/20-21/अ-6 मे पारित आदेश दि. 17.07.2020 से नामान्तरण स्वीकार होने से मुनेश रजक पुत्र मुन्नारजक जाति धोबी नि. ग्राम 210 /16950 भाग का नाम समिलित किया गया। रामदयाल पुत्र सुखुआ भाग 1.167 मांगी पुत्र सुखुआ भाग 0.011 मुन्ना पुत्र सुखुआ भाग 0.272 दरभाग 1/10 तह.सबलगढ के प्र0.क. /0013/19-20/अ-27 मे पारित आदेश दिनांक 27.06.2020 से बटवारा होने से (अनन्त कुमार पुत्र रामदुलारे जाति ब्रा. नि. देवपुरमाफी रकबा 0.261) की प्रविष्टि हटाई गयी। मु. शांति बेबा मूला भूरा रामवरन रामप्रकाश पुत्रगण मूला प्रेम सरवदी पुत्रियां मूला समान भाग 6/7 प्रेम बेबा श्रीनिवास सोनू अमित नाबा पुत्र श्रीनिवास आरती लक्ष्मी नाबा पुत्रियां श्रीनिवास सरपरस्त मां खुद समान भाग 1/7 जाति धोबी दर भाग रकबा 1. 211 ना.पंजी क्रमांक 05/01.09.2014 मे आदेश दिनांक 25.09.2014 से संजय पुत्र सुरेश चन्द्र जाति वैश्य सुनहरा सबलगढ के नाम रकवा 0.065 हे. पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित। प्रभू पुत्र फोसू भाग 0.314 हरिचरण पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य भाग 0.098 नि. सबलगढ नरेन्द्र पुत्र महेश जाति वैश्य नि. संजय नगर सबलगढ भाग 0.029 (उत्तम पुत्र दिनेश जाति वैश्य नि. सबलगढ भाग 0.069) के स्थान प्र.क. /428/19-20/अ-6 मे आदेश दिनांक 19.03.2020 से राजेश कुमार लक्ष्मण प्रसाद गोयल जाति वैश्य का नामान्तरण स्वीकार किया गया। रमेश पुत्र भगरी</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>प्रेमलीला सनेही गुडडी पुत्रियां भगरी समान भाग दर भाग 1/20 मे से तहसीलदार सबलगढ़ के प्र.क. /534/20-21/बी-121 मे आदेश दि. 28.02.2020 से संजय पुत्र रामरतन शर्मा जाति ब्रा. का 183/16950 पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित। बत्तो बेबा मुरारीलाल भाग 0.096 जाति धोबी एवं भूखन बा. रामअवतार प्रदीप नाबा पुत्रगण मुरारी सुमन नाबा पुत्री मुरारी सर बत्तो मां खुद समान भाग हि. 4/75 के हिस्से मे से नामान्तरण पंजी क्रमांक 03 दिनांक 01.19.2014 मे आदेश दिनांक 25.09.2014 से रामनिवास, रायसिंह पुत्रगण हरीविलास जाति किरार नि. ग्राम के नाम 0.144 हे. भूमि पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित एवं ना.पंजी.क्र. 08/20.06.2016 ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव 12 दि. 15.08.2016 से गिर्राज बा. पंकज ना.बा. पुत्रगण आदिराम जाति धोबी सर. पिता समानभाग हिस्सा 209/16950 पर नामान्तरण स्वीकार। भगवानसिंह पुत्र जनवेद भाग 0.063 महाराजसिंह पुत्र जनवेद भाग 0.021 कम्पूरी पत्नि रूपसिंह भाग 0.021 जाति काछी नि. ग्राम दर भाग 1/75 दर भाग 1/15 जाति धोबी रामश्री बेबा वनवारी भाग 1/2 नरेन्द्र अजीत नाबा पुत्र गण सिरमोर ललिता नाबा. पुत्री सिरमोर समान भाग 1/2 सर पिता खुद जाति धाबी दर भाग रकबा 0.209 श्यामलाल पुत्र दाताराम भाग 0.209 (महाराज सिंह पुत्र नैहने राम भाग 0.105) के स्थान पर तह.सबलगढ़ के न्यायालय के प्र.क./0220/20-21/अ-6 मे पारित आदेश दिनांक 28.02.2020से नामान्तरण स्वीकार होने से नपृति, मुनेश पुत्रगण भूरा, प्रेम बेबा मुन्ना, मेघसिंह पुत्र रामजीलाल जाति कुशवाह नि. हिस्सा समानभाग पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित। रामजी पुत्र छोटे धोबी भाग 0.</p>
--	--	--	--	---

					209
34	25/मि० 1 /क	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209	रामगोपाल रमेश छोटा प्रकाश पुत्रगण भगवनलाल शांति फूलवती पुत्रियां भगवनलाल समान भाग जाति धाकड नि. ग्राम भूमिस्वामी।
35	25/मि० 1 /ख	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामगोपाल रमेश छोटा प्रकाश पुत्रगण भगवनलाल शांति फूलवती पुत्रियां भगवनलाल समान भाग जाति धाकड नि. ग्राम भूमिस्वामी।
36	25/मि० 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		दाताराम पुत्र मुरली जाति किरार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
37	25/मि० 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामवीर पुत्र राजाराम राकेश पुत्र राजाराम जाति किरार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
38	30/मि० 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.478	रामगोपाल रमेश छोटा प्रकाश पुत्रगण भगवनलाल शांति फूलवती पुत्रियां भगवनलाल समान भाग जाति धाकड नि. ग्राम भूमिस्वामी।
39	30/मि० 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		बहादुर श्रीलाल बैजनाथ रामदीन श्यामलाल पुत्रगण दाताराम रमकली पुत्री दाताराम समान भाग जाति धाकड नि. ग्राम भूमिस्वामी।
40	30/मि० 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		सरोज देवी पत्नि ताराचन्द्र हिमांशु पुत्री ताराचन्द्र जाति बैश्य नि. रामप्रसाद कालोनी सबलगढ भूमिस्वामी।
41	31/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.166	रामदीन नाबा. पुत्र रतनू सर. मां गणेशी खुद कमला नाबा पुत्री रतनू सर मां गणेशी खुद मु गणेशी बेबा रतनू समान भाग 1/10 रामदीन पुत्र रतनू हि 1/10 उम्मेद मुनेश कमलेश पुत्रगण फुन्दी श्रीमती पुत्री फुन्दी जाति धोबी समान भाग 1/10 भोला पिता वंशी भाग 1/10 मु. बैजन्ती बेबा धनपाल रामविलास लखपति पुत्रगण धनपाल मुन्नी गीता सुनीता पुत्रियां धनपाल समान भाग 6/8 मु. उम्मेदी बेबा रमेश मुकेश रिकू पुत्रगण रमेश समान भाग 1/8 राजकुमार धम्पू नाबा पुत्रगण हीरा लक्ष्मी छाया इनीती बा. रूबी नाबा. पुत्रियां हीरा समान भाग 1/8 सर पिता खुद जाति धोबी नि हथरिया दर भाग 1/15 रामजी पुत्र छोटे भाग 1/15

				<p>सतेन्द्र आ. कोकसिंह जाति किरार भाग 0.065 नि. कुतघान उम्मेद मुनेश कमलेश पुत्रगण फुन्दी श्रीमती पुत्री फुन्दी समान भाग हि. 0.21 जाति धोबी हाकिम गजेन्द्र सुरेन्द्र पुत्रगण गजालाल महादेवी पुत्री गयालाल जाति धाकड समान भाग 0.366 प्रागो देवी पत्नि श्यामलाल भाग 0.219 दर भाग 1/20 सतेन्द्र आ. कोकसिंह जाति किरार नि. कुतघान भाग 0.128 बैजन्ती पत्नि भोला भाग 0.366 नशरीमखातून पत्नी छोटे खॉ नि. कैलारस भाग 0.157 (धर्मसिंह पुत्र रघुनाथ नोरिया देवी पत्नि धर्मसिंह समान भाग 0.209 दर भाग 1/20 जाति धाकड) के स्थान पर तहसीलदार न्यायालय के प्रफ. /0101/20-21/अ-6 मे पारित आदेश दि. 17.07.2020 से नामान्तरण स्वीकार होने से मुनेश रजक पुत्र मुन्नारजक जाति धोबी नि. ग्राम 210 /16950 भाग का नाम समिलित किया गया। रामदयाल पुत्र सुखुआ भाग 1.167 मांगी पुत्र सुखुआ भाग 0.011 मुन्ना पुत्र सुखुआ भाग 0.272 दरभाग 1/10 तह.सबलगढ़ के प्रो.क. /0013/19-20/अ-27 मे पारित आदेश दिनांक 27.06.2020 से बटवारा होने से (अनन्त कुमार पुत्र रामदुलारे जाति ब्रा. नि. देवपुरमाफी रकबा 0.261) की प्रविष्टि हटाई गयी। मु. शांति बेबा मूला भूरा रामवरन रामप्रकाश पुत्रगण मूला प्रेम सरवदी पुत्रियां मूला समान भाग 6/7 प्रेम बेबा श्रीनिवास सोनू अमित नाबा पुत्र श्रीनिवास आरती लक्ष्मी नाबा पुत्रियां श्रीनिवास सरपरस्त मां खुद समान भाग 1/7 जाति धोबी दर भाग रकबा 1.211 ना.पंजी कमांक 05/01.09.2014 मे आदेश दिनांक 25.09.2014 से संजय पुत्र सुरेश चन्द्र जाति वैश्य सुनहरा सबलगढ़ के नाम रकवा 0.065 हे. पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित। प्रभू</p>
--	--	--	--	--

					<p>पुत्र फोसू भाग 0.314 हरिचरण पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य भाग 0.098 नि. सबलगढ नरेन्द्र पुत्र महेश जाति वैश्य नि. संजय नगर सबलगढ भाग 0.029 (उत्तम पुत्र दिनेश जाति वैश्य नि. सबलगढ भाग 0.069) के स्थान प्र.क. /428/19-20/अ-6 मे आदेश दिनांक 19.03.2020 से राजेश कुमार लक्ष्मण प्रसाद गोयल जाति वैश्य का नामान्तरण स्वीकार किया गया। रमेश पुत्र भगरी प्रेमलीला सनेही गुडडी पुत्रियां भगरी समान भाग दर भाग 1/20 मे से तहसीलदार सबलगढ के प्र.क. /534/20-21/बी-121 मे आदेश दि. 28.02.2020 से संजय पुत्र रामरतन शर्मा जाति ब्रा. का 183/16950 पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित। बत्तो बेबा मुरारीलाल भाग 0.096 जाति धोबी एवं भूखन बा रामअवतार प्रदीप नाबा पुत्रगण मुरारी सुमन नाबा पुत्री मुरारी सर बत्तो मां खुद समान भाग हि. 4/75 के हिस्से मे से नामान्तरण पंजी क्रमांक 03 दिनांक 01.19.2014 मे आदेश दिनांक 25.09.2014 से रामनिवास, रायसिंह पुत्रगण हरीविलास जाति किरार नि. ग्राम के नाम 0.144 हे. भूमि पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित एवं ना.पंजी.क. 08/20.06.2016 ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव 12 दि. 15.08.2016 से गिराज बा. पंकज ना.बा. पुत्रगण आदिराम जाति धोबी सर. पिता समानभाग हिस्सा 209/16950 पर नामान्तरण स्वीकार। भगवानसिंह पुत्र जनवेद भाग 0.063 महाराजसिंह पुत्र जनवेद भाग 0.021 कम्पूरी पत्नि रूपसिंह भाग 0.021 जाति काछी नि. ग्राम दर भाग 1/75 दर भाग 1/15 जाति धोबी रामश्री बेबा वनवारी भाग 1/2 नरेन्द्र अजीत नाबा पुत्र गण सिरमोर ललिता नाबा. पुत्री सिरमोर समान भाग 1/2 सर पिता खुद जाति धाबी दर भाग रकबा 0.</p>
--	--	--	--	--	--

					209 श्यामलाल पुत्र दाताराम भाग 0.209 (महाराज सिंह पुत्र नैहने राम भाग 0.105) के स्थान पर तह.सबलगढ़ के न्यायालय के प्रक./0220/20-21/अ-6 मे पारित आदेश दिनांक 28.02.2020से नामान्तरण स्वीकार होने से नपृति, मुनेश पुत्रगण भूरा, प्रेम बेबा मुन्ना, मेघसिंह पुत्र रामजीलाल जाति कुशवाह नि. हिस्सा समानभाग पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित। रामजी पुत्र छोटे धोबी भाग 0.209
42	31/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि		अनंत कुमार शर्मा पुत्र रामदुलारे शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी देवपुर माफी सबलगढ़ सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी 0.261 हे. प्र.क./0013/अ-27/19-20/बटवारा आदेश दिनांक 27.06.2020 से बटवारा स्वीकृत होने से प्रविष्टि कर नाम अंकित किया गया
43	32	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	मंदीर श्री मुरली मनोहर जी पता ग्राम इटौरा (माफी मंदीर) औकाफ डिपार्टमेंट प्रबन्धक कलेक्टर
44	33	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.101	रामदीन नाबा. पुत्र रतनू सर. मां गणेशी खुद कमला नाबा पुत्री रतनू सर मां गणेशी खुद मु गणेशी बेबा रतनू समान भाग 1/10 रामदीन पुत्र रतनू हि 1/10 उम्मेद मुनेश कमलेश पुत्रगण फुन्दी श्रीमती पुत्री फुन्दी जाति धोबी समान भाग 1/10 भोला पिता वंशी भाग 1/10 मु. बैजन्ती बेबा धनपाल रामविलास लखपति पुत्रगण धनपाल मुन्नी गीता सुनीता पुत्रियां धनपाल समान भाग 6/8 मु. उम्मेदी बेबा रमेश मुकेश रिकू पुत्रगण रमेश समान भाग 1/8 राजकुमार धम्पू नाबा पुत्रगण हीरा लक्ष्मी छाया इनीती बा. रूबी नाबा. पुत्रियां हीरा समान भाग 1/8 सर पिता खुद जाति धोबी नि हथरिया दर भाग 1/15 रामजी पुत्र छोटे भाग 1/15 सतेन्द्र आ. कोकसिंह जाति किरार भाग 0.

				<p>065 नि. कुतघान उम्मेद मुनेश कमलेश पुत्रगण फुन्दी श्रीमती पुत्री फुन्दी समान भाग हि. 0.21 जाति धोबी हाकिम गजेन्द्र सुरेन्द्र पुत्रगण गजालाल महादेवी पुत्री गयालाल जाति धाकड समान भाग 0.366 प्रागो देवी पत्नि श्यामलाल भाग 0.219 दर भाग 1/20 सतेन्द्र आ. कोकसिंह जाति किरार नि. कुतघान भाग 0.128 बैजन्ती पत्नि भोला भाग 0.366 नशरीमखातून पत्नी छोटे खॉ नि. कैलारस भाग 0.157 (धर्मसिंह पुत्र रघुनाथ नोरिया देवी पत्नि धर्मसिंह समान भाग 0.209 दर भाग 1/20 जाति धाकड) के स्थान पर तहसीलदार न्यायालय के प्रक. /0101/20-21/अ-6 मे पारित आदेश दि. 17.07.2020 से नामान्तरण स्वीकार होने से मुनेश रजक पुत्र मुन्नारजक जाति धोबी नि. ग्राम 210 /16950 भाग का नाम सम्मिलित किया गया। रामदयाल पुत्र सुखुआ भाग 1.167 मांगी पुत्र सुखुआ भाग 0.011 मुन्ना पुत्र सुखुआ भाग 0.272 दरभाग 1/10 तह.सबलगढ़ के प्र0.क. /0013/19-20/अ-27 मे पारित आदेश दिनांक 27.06.2020 से बटवारा होने से (अनन्त कुमार पुत्र रामदुलारे जाति ब्रा. नि. देवपुरमाफी रकबा 0.261) की प्रविष्टि हटाई गयी। मु. शांति बेबा मूला भूरा रामवरन रामप्रकाश पुत्रगण मूला प्रेम सरवदी पुत्रियां मूला समान भाग 6/7 प्रेम बेबा श्रीनिवास सोनू अमित नाबा पुत्र श्रीनिवास आरती लक्ष्मी नाबा पुत्रियां श्रीनिवास सरपरस्त मां खुद समान भाग 1/7 जाति धोबी दर भाग रकबा 1. 211 ना.पंजी कमांक 05/01.09.2014 मे आदेश दिनांक 25.09.2014 से संजय पुत्र सुरेश चन्द्र जाति वैश्य सुनहरा सबलगढ़ के नाम रकवा 0.065 हे. पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित। प्रभू पुत्र फोसू भाग 0.314 हरिचरण पुत्र</p>
--	--	--	--	--

				<p>बाबूलाल जाति बैश्य भाग 0.098 नि. सबलगढ नरेन्द्र पुत्र महेश जाति बैश्य नि. संजय नगर सबलगढ भाग 0.029 (उत्तम पुत्र दिनेश जाति वैश्य नि. सबलगढ भाग 0.069) के स्थान प्र.क. /428/19-20/अ-6 मे आदेश दिनांक 19.03.2020 से राजेश कुमार लक्ष्मण प्रसाद गोयल जाति वैश्य का नामान्तरण स्वीकार किया गया। रमेश पुत्र भगरी प्रेमलीला सनेही गुडडी पुत्रियां भगरी समान भाग दर भाग 1/20 मे से तहसीलदार सबलगढ के प्र.क. /534/20-21/बी-121 मे आदेश दि. 28.02.2020 से संजय पुत्र रामरतन शर्मा जाति ब्रा. का 183/16950 पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित। बत्तो बेबा मुरारीलाल भाग 0.096 जाति धोबी एवं भूखन बा रामअवतार प्रदीप नाबा पुत्रगण मुरारी सुमन नाबा पुत्री मुरारी सर बत्तो मां खुद समान भाग हि. 4/75 के हिस्से मे से नामान्तरण पंजी कमांक 03 दिनांक 01.19.2014 मे आदेश दिनांक 25.09.2014 से रामनिवास, रायसिंह पुत्रगण हरीविलास जाति किरार नि. ग्राम के नाम 0.144 हे. भूमि पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित एवं ना.पंजी.क. 08/20.06.2016 ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव 12 दि. 15.08.2016 से गिर्राज बा. पंकज ना.बा. पुत्रगण आदिराम जाति धोबी सर. पिता समानभाग हिस्सा 209/16950 पर नामान्तरण स्वीकार। भगवानसिंह पुत्र जनवेद भाग 0.063 महाराजसिंह पुत्र जनवेद भाग 0.021 कम्पूरी पत्नि रूपसिंह भाग 0.021 जाति काछी नि. ग्राम दर भाग 1/75 दर भाग 1/15 जाति धोबी रामश्री बेबा वनवारी भाग 1/2 नरेन्द्र अजीत नाबा पुत्र गण सिरमोर ललिता नाबा. पुत्री सिरमोर समान भाग 1/2 सर पिता खुद जाति धाबी दर भाग रकबा 0.209 श्यामलाल पुत्र दाताराम भाग 0.209</p>
--	--	--	--	--

					(महाराज सिंह पुत्र नैहने राम भाग 0.105) के स्थान पर तह.सबलगढ़ के न्यायालय के प्रक्र./0220/20-21/अ-6 मे पारित आदेश दिनांक 28.02.2020से नामान्तरण स्वीकार होने से नपृति, मुनेश पुत्रगण भूरा, प्रेम बेबा मुन्ना, मेघसिंह पुत्र रामजीलाल जाति कुशवाह नि. हिस्सा समानभाग पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित। रामजी पुत्र छोटे धोबी भाग 0.209
45	34/मि0 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.053	रामगोपाल रमेश छोटा प्रकाश पुत्रगण भगवनलाल शांति फूलवती पुत्रियां भगवनलाल समान भाग जाति धाकड नि. ग्राम भूमिस्वामी।
46	34/मि0 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		उम्मेद मुनेश पिता फुन्दी सुनीता पत्नि कमलेश जाति धोबी नि. ग्राम भूमिस्वामी।
47	35	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.105	रामदीन नाबा. पुत्र रतनू सर. मां गणेशी खुद कमला नाबा पुत्री रतनू सर मां गणेशी खुद मु गणेशी बेबा रतनू समान भाग 1/10 रामदीन पुत्र रतनू हि 1/10 उम्मेद मुनेश कमलेश पुत्रगण फुन्दी श्रीमती पुत्री फुन्दी जाति धोबी समान भाग 1/10 भोला पिता वंशी भाग 1/10 मु. बैजन्ती बेबा धनपाल रामविलास लखपति पुत्रगण धनपाल मुन्नी गीता सुनीता पुत्रियां धनपाल समान भाग 6/8 मु. उम्मेदी बेबा रमेश मुकेश रिकू पुत्रगण रमेश समान भाग 1/8 राजकुमार धम्पू नाबा पुत्रगण हीरा लक्ष्मी छाया इनीती बा. रूबी नाबा. पुत्रियां हीरा समान भाग 1/8 सर पिता खुद जाति धोबी नि हथरिया दर भाग 1/15 रामजी पुत्र छोटे भाग 1/15 सतेन्द्र आ. कोकसिंह जाति किरार भाग 0.065 नि. कुतघान उम्मेद मुनेश कमलेश पुत्रगण फुन्दी श्रीमती पुत्री फुन्दी समान भाग हि. 0.21 जाति धोबी हाकिम गजेन्द्र सुरेन्द्र पुत्रगण गजालाल महादेवी पुत्री गयालाल जाति धाकड समान भाग 0.366 प्रागो देवी पत्नि श्यामलाल भाग 0.219 दर भाग 1/20 सतेन्द्र आ. कोकसिंह

					<p>जाति किरार नि. कुतधान भाग 0.128 बैजन्ती पत्नि भोला भाग 0.366 नशरीमखातून पत्नी छोटे खॉ नि. कैलारस भाग 0.157 (धर्मसिंह पुत्र रघुनाथ नोरिया देवी पत्नि धर्मसिंह समान भाग 0.209 दर भाग 1/20 जाति धाकड) के स्थान पर तहसीलदार न्यायालय के प्रक. /0101/20-21/अ-6 मे पारित आदेश दि. 17.07.2020 से नामान्तरण स्वीकार होने से मुनेश रजक पुत्र मुन्नारजक जाति धोबी नि. ग्राम 210 /16950 भाग का नाम समिमलित किया गया। रामदयाल पुत्र सुखुआ भाग 1.167 मांगी पुत्र सुखुआ भाग 0.011 मुन्ना पुत्र सुखुआ भाग 0.272 दरभाग 1/10 तह.सबलगढ़ के प्र0.क. /0013/19-20/अ-27 मे पारित आदेश दिनांक 27.06.2020 से बटवारा होने से (अनन्त कुमार पुत्र रामदुलारे जाति ब्रा. नि. देवपुरमाफी रकबा 0.261) की प्रविष्टि हटाई गयी। मु. शांति बेबा मूला भूरा रामवरन रामप्रकाश पुत्रगण मूला प्रेम सरवदी पुत्रियां मूला समान भाग 6/7 प्रेम बेबा श्रीनिवास सोनू अमित नाबा पुत्र श्रीनिवास आरती लक्ष्मी नाबा पुत्रियां श्रीनिवास सरपरस्त मां खुद समान भाग 1/7 जाति धोबी दर भाग रकबा 1. 211 ना.पंजी कमांक 05/01.09.2014 मे आदेश दिनांक 25.09.2014 से संजय पुत्र सुरेश चन्द्र जाति वैश्य सुनहरा सबलगढ़ के नाम रकवा 0.065 हे. पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित। प्रभू पुत्र फोसू भाग 0.314 हरिचरण पुत्र बाबूलाल जाति बैश्य भाग 0.098 नि. सबलगढ़ नरेन्द्र पुत्र महेश जाति बैश्य नि. संजय नगर सबलगढ़ भाग 0.029 (उत्तम पुत्र दिनेश जाति वैश्य नि. सबलगढ़ भाग 0.069) के स्थान प्र.क. /428/19-20/अ-6 मे आदेश दिनांक 19.03.2020 से राजेश कुमार लक्ष्मण</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>प्रसाद गोयल जाति वैश्य का नामान्तरण स्वीकार किया गया। रमेश पुत्र भगरी प्रेमलीला सनेही गुडडी पुत्रियां भगरी समान भाग दर भाग 1/20 में से तहसीलदार सबलगढ़ के प्र.क. /534/20-21/बी-121 में आदेश दि. 28.02.2020 से संजय पुत्र रामरतन शर्मा जाति ब्रा. का 183/16950 पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित। बत्तो बेबा मुरारीलाल भाग 0.096 जाति धोबी एवं भूखन बा रामअवतार प्रदीप नाबा पुत्रगण मुरारी सुमन नाबा पुत्री मुरारी सर बत्तो मां खुद समान भाग हि. 4/75 के हिस्से में से नामान्तरण पंजी क्रमांक 03 दिनांक 01.19.2014 में आदेश दिनांक 25.09.2014 से रामनिवास, रायसिंह पुत्रगण हरीविलास जाति किरार नि. ग्राम के नाम 0.144 हे. भूमि पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित एवं ना.पंजी.क्र. 08/20.06.2016 ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव 12 दि. 15.08.2016 से गिर्राज बा. पंकज ना.बा. पुत्रगण आदिराम जाति धोबी सर. पिता समानभाग हिस्सा 209/16950 पर नामान्तरण स्वीकार। भगवानसिंह पुत्र जनवेद भाग 0.063 महाराजसिंह पुत्र जनवेद भाग 0.021 कम्पूरी पत्नि रूपसिंह भाग 0.021 जाति काष्ठी नि. ग्राम दर भाग 1/75 दर भाग 1/15 जाति धोबी रामश्री बेबा वनवारी भाग 1/2 नरेन्द्र अजीत नाबा पुत्र गण सिरमोर ललिता नाबा. पुत्री सिरमोर समान भाग 1/2 सर पिता खुद जाति धोबी दर भाग रकबा 0.209 श्यामलाल पुत्र दाताराम भाग 0.209 (महाराज सिंह पुत्र नैहने राम भाग 0.105) के स्थान पर तह.सबलगढ़ के न्यायालय के प्र.क./0220/20-21/अ-6 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2020से नामान्तरण स्वीकार होने से नपृति, मुनेश पुत्रगण भूरा, प्रेम बेबा मुन्ना, मेघसिंह पुत्र रामजीलाल जाति कुशवाह नि. हिस्सा समानभाग पर</p>
--	--	--	--	--

				समानभाग पर नामान्तरण स्वीकार होने से प्रविष्टि सम्मिलित। रामजी पुत्र छोटे धोबी भाग 0.209
कुल किता 47			2.860	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अर्जन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिराके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेय :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

पत्र क्र.-473-भू-अर्जन-2020-

सीधी, दिनांक 4 सितम्बर 2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानों (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानों (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा - 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का विवरण:-

ग्राम का नाम	:-	करकचहा गयादीन कोठार
तहसील	:-	बहरी
जिला	:-	सीधी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	निजी रकवा 0.468 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.मे)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	33	0.013 ✓	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला - सीधी (म.प्र.)	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) निर्माण हेतु।
2	37	0.040 ✓		
3	32	0.008 ✓		
4	35	0.040 ✓		
5	27	0.081 ✓		
6	31	0.002 ✓		
7	8/1	0.076 ✓		
8	8/2	0.086 ✓		
9	11	0.006 ✓		
10	12	0.020 ✓		
11	13	0.067 ✓		
12	23	0.009 ✓		
13	10	0.020 ✓		
Total	13 कित्ता	0.468 Ha.		

- भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है।
- उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन मध्यप्रदेश

क्र.-1432-भू-अर्जन-राजस्व प्रकरण क्र.-01-अ-82-2019-2020

उज्जैन, दिनांक 5 सितम्बर 2020

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी समक्ष प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 7303/भू-अर्जन/2019, उज्जैन दिनांक 11.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने अमृत परियोजना के लिए ग्राम भेरुगढ़ उज्जैन तहसील उज्जैन जिला उज्जैन से लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	उज्जैन	उज्जैन	ग्राम-भैरवगढ़	87/3	0.170
2				88/1/1 88/1/2 97/1/1 97/1/3	0.237
3				88/2 95/1/4 95/1/2 90/1, 89	0.237

4				91, 90/2 92/1, 95/2	0.239
5				93/1/1 94/1/1 92/2/1	0.237
6				93/2, 94/2, 97/5	0.237
7				143/1/1 142/1/1	0.096
TOTAL					1.45

क्र.-1433-भू-अर्जन-राजस्व प्रकरण क्र.-अ-82-2019-2020

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी समक्ष प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 7302/भू-अर्जन/2019, उज्जैन दिनांक 11.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने अमृत परियोजना के लिए ग्राम मोजमखेड़ी उज्जैन तहसील उज्जैन जिला उज्जैन से लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	उज्जैन	उज्जैन	ग्राम-मोजमखेड़ी	196	0.141
2				198	0.004
3				197	0.153
4				205	1.016
5				206	0.031
6				207	0.006
7				208	0.075
8				209	0.038
9				183	0.400
10				181/2	0.212
TOTAL					2.076

क्र.-1434-भू-अर्जन-राजस्व प्रकरण क्र.-अ-82-2019-2020

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी समक्ष प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 7297/भू-अर्जन/2019, उज्जैन दिनांक 11.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने अमृत परियोजना के लिए ग्राम कस्बा उज्जैन तहसील उज्जैन जिला उज्जैन से लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची					
क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपर्योग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
2	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	3677	0.048
3				3667/min2	0.075
4				3673	0.159
5				3674	0.105
6				3675	0.058
7				3672	0.042
8				3668/3 Min1	0.128
9				3671/1 Min 1	
10				3668/2	0.112
11				3669/Min-1	
12				3401	0.006
13				3392/1 Min-1	0.066
14				3392/3Min-1	
15				3392/1 Min-2	0.069
16				3392/3 Min-2	
17				3392/1 Min-3	

18		3392/3 Min-3	
19		3392/1 Min-4	0.069
20		3392/3 Min-4	
21		3388/1	0.022
22		3386	0.022
23		3385	0.187
24		3384	0.025
25		3419	0.038
26		3420	0.067
27		3421	0.063
28		3422	0.24
29		3423	0.189
30		3369	0.019
31		3364	0.045
32		3367	0.043
33		3366	0.063
34		3365	0.15
35		2630/Min-2	0.128
36		2631/Min-2	
37		2632/Min-1	0.124
38		2631/Min-1	
39		2632/Min-2	
40		2594/Min-3	0.107
41		2595/min-3	
42		2594/min-1	0.087
43		2595/min-4	
44		2594 /min-2	0.086
45		2595/min-2	
46		2594/min-1	0.145
47		2595/min1	
48		2593	
49		2596	0.219
50		2597	
51		2590	
52		2588	0.264
53		2587	
54		2591	0.023
55		2586	0.12
56		2582	0.038
57		2583	
58		2585	0.089
59		2580	0.186

60		2578	
61		2579	
62		2581	
63		2584	0.008
64		2573/1	0.027
65		2577	0.037
66		2572/2 min-1	0.44
67		2569/Min-2	0.112
68		2569/Min-3	0.075
69		2569/Min-1	0.072
70		2570/Min-1	0.012
71		2561/1/Min-1	0.084
72		2567	0.037
73		2565	0.002
74		2566	0.084
75		2564	0.031
76		2564	0.151
77		181/Min-1/Min-1	0.107
78		181/Min-1/Min-2	0.097
79		181/Min-2	0.089
80		180	0.063
81		179	0.113
82		176	
83		175	0.465
84		177	
85		164/4	
86		163/2	0.178
87		162/2	
88		160/3	
89		162/1	0.042
90		163/1	
91		159/1	0.08
92		160/1	
93		164/1	0.011
94		159/2	0.16
95		160/2	
96		157/2	0.146
97		158/2	
98		157/1	
99		158/1	0.11
100		164/2	
101		156	0.052
102		155/1	0.052
103		155/2	

104		152	0.026
105		153/1	0.169
106			0.158
107		154/2/3	0.103
108		150/Min-1	0.048
109		151/Min-1	
110		150/Min-2	
111		151/Min-2	0.088
112		94/1	
113		102/1/Min-2	
114		96	0.014
115		98/1	
116		97	0.245
117		95	
118		98/2	0.06
119		90	0.028
120		88	
121		89	0.256
122			
123		86	0.193
124		47	0.326
125		48	0.481
126		51/4	0.028
127		51/5	0.112
128		51/6/1	0.019
129		51/7/1	0.081
130		57/1	
131		57/2	0.15
132		51/8	0.091
133		53	0.022
134		51/7/2	0.048
135		58/2	0.025
136		58/3	0.215
137		64/1	0.019
138		64/2	0.11
139		64/3	
140		64/4	0.22
141		65	0.246
142		66	
143		67	0.11
144		77	
145		78	0.53
146		79	
147		76	0.107

148			80/1	0.112
149			75/6	0.112
150			81/2	
151			75/5	0.145
152			73/4	
153			83/2	0.23
154			75/4	0.075
155			73/3	
156			83/1	0.128
157			75/3	0.08
158			73/2	0.118
159			75/2	0.139
160			81/1	0.036
161			83/3	
162			75/1	0.128
163			73/5	
164			73/1	0.192
165			72/6	
166			82	0.021
			कुल योग	12.576

क्र.-भू-अर्जन-राजस्व प्रकरण क्र.-8-अ-82-2019-2020

उज्जैन, दिनांक 5 सितम्बर 2020

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी समक्ष प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 7297/भू-अर्जन/2019, उज्जैन दिनांक 11.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने अमृत परियोजना के लिए नानाखेड़ा उज्जैन तहसील उज्जैन जिला उज्जैन से लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	उज्जैन	उज्जैन	नानाखेड़ा	79,80/3	0.086
2				78,77/min-2	0.132
3				76 min-1,77	0.207
4				75	0.07

आर.एम. त्रिपाठी, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभावीय अधिकारी (राजस्व).

5			80/1/1	0.587
6			80/5/3	0.243
7			80/5/1/3	0.148
8			80/5/1/1	0.353
9			80/6/Min-1/Min-1	0.128
10			80/7/Min-1/Min-1	0.155
11			80/8/Min-1/Min-1	0.117
12			69/3	0.494
13			69/1	0.383
14			15/1/1, 15/1/2	0.084
15			15/2/2	0.120
16			14	0.031
17			10	0.512
18			7	0.020
19			6	0.012
20			4	0.305
21			3	0.113
			46/2, 46/3, 46/4, 46/6	0.562
			कुल	4.862

क्र.-भू-अर्जन-राजस्व प्रकरण क्र.-06-अ-82-2019-2020

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी समक्ष प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 7297/भू-अर्जन/2019, उज्जैन दिनांक 11.10.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने अमृत परियोजना के लिए गोयलाखुर्द उज्जैन तहसील उज्जैन जिला उज्जैन से लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/10/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	उज्जैन	उज्जैन	ग्राम-गोयलाखुर्द	2/2	0.084
2				2/3	0.021
3				2/4	0.100

4			2/5	0.15
5			2/6	0.106
6			26/1	0.181
7			26/2/2/1/1, 26/2/1 Min 4	0.096 0.397
8			31/1/1/1	0.085
9			31/1/2/2	0.251
10			31/2/2	0.342
11			32/4	0.102
12			32/6	0.102
13			32/7	0.025
14			49/4/1/1	0.128
15			49/4/3	0.160
16			49/3	0.244
17			51/1/1	0.182
18			51/3/2	0.363
19			51/3/1	0.518
20			143/1	1.218
21			143/5	0.176
22			143/6	0.166
23			143/7	0.155
24			143/8	0.138
25			2/1/4	0.27
26			2/1/1	0.27
27			2/1/3	0.27
	Total			6.300

संजीव साहू, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2020

सूचना

क्रमांक-एफ-3-09/2020/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 5736/नग्रानि/टीसी/45/उपां/नग्रानि/2018 दिनांक 25/09/2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	भोपाल (पुरानी जेल परिसर भोपाल)	1475 (भाग) 1376 (भाग) 1478 (भाग) 1976 / 1478 (भाग) 1477 (भाग) 1917 / 1477 1918 / 1377 1919 / 1477 (भाग)	2.116 0.191 0.149 1.743 3.711 0.095 0.077 0.008	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के अंतर्गत प्रशासकीय परिसर एवं मार्ग	वाणिज्यिक-सी-3 (फर्शी क्षेत्रानुपात 1:1.5) एवं मार्ग
		योग-	8.09 हेक्टेयर		

शर्तें :-

1. पुर्नघनत्वीकरण नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 23/05/2018 के ऐजेण्डा क्रमांक-2 के बिन्दु क्रमांक 2(ग) में लिये गये निर्णय के अनुसार निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप उपयोग का मिश्रण रखा जाये ।
2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा।

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2020

क्रमांक-एफ-3-158/2018/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-2664/उपां/टी सी/03/2016 दिनांक 16/05/2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सिंगरौली विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	बैढ़न	247	1.093	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक + वर्तमान मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
2	बैढ़न	248	0.471		वाणिज्यिक एवं मार्ग
3	बैढ़न	254/2	1.376		वाणिज्यिक एवं मार्ग
		कुल	2.94 में से 1.12		
4	गनियारी	817	0.373	वर्तमान आवासीय + वर्तमान मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
5	गनियारी	819/2	0.498		वाणिज्यिक एवं मार्ग
6	गनियारी	822	0.534	प्रस्तावित आवासीय + वर्तमान मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
7	गनियारी	823	0.890 में से 0.597	वर्तमान आवासीय + वर्तमान मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
8	गनियारी	824/1	0.032	प्रस्तावित आवासीय + वर्तमान आवासीय	वाणिज्यिक
9	गनियारी	824/2	0.093		वाणिज्यिक
10	गनियारी	824/3	0.032		वाणिज्यिक
11	गनियारी	824/5	0.081		वाणिज्यिक
		कुल	2.533 में से 2.24		
		योग	3.36 हेक्टेयर		

उपरोक्त उपांतरण सिंगरौली विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा।

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2020

क्रमांक-एफ-3-37/2019/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3808/टी सी/60/उपां/नग्रानि/2018 दिनांक 02/07/2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	चूना भट्टी	94/2	1.214 हेक्. मे आवंटित 1854.74 वर्ग मीटर भूमि में से 972 वर्ग मीटर (शेष मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित)	आमोद-प्रमोद (वनस्पति उद्यान)	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (पुलिस थाना भवन)
		योग-	972 वर्ग मीटर		

उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा।

क्रमांक-एफ-3-159/2018/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-2685/17/सी एल/टी सी/2017 दिनांक 16/05/2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित धार विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ग्राम जैतपुरा तहसील धार जिला धार	104	2.529 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक, औद्योगिक, आवासीय मार्ग एवं संरक्षित क्षेत्र	आवासीय, मार्ग एवं संरक्षित क्षेत्र (अटल आश्रय योजना हेतु)
2	ग्राम जैतपुरा तहसील धार जिला धार	105	0.658 हेक्टेयर	प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	आवासीय (अटल आश्रय योजना हेतु)
		योग-	3.187 हेक्टेयर		

शर्त:-

1. किसी भी प्रकार की जल-मल निकासी तालाब की और प्रवाहित न की जाये ।
2. उपरोक्त उपांतरण धार विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2020

कं.एफ-3-61/2019/18-5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (कमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना कमांक 7135/वि.यो. /नग्रानि/2019, भोपाल दिनांक 30/11/2019 द्वारा प्रकाशित इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार इंदौर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

1. आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर
2. कलेक्टर इंदौर जिला इंदौर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इंदौर मध्यप्रदेश
4. आयुक्त नगरपालिक निगम इंदौर

उपांतरणों का विवरण

अध्याय 6

1. 6.7.2 आवासीय भूखण्डों के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड भूखण्डीय विकास एवं समूह आवास/अर्पाटमेंट विकास हेतु विभाग के आदेश कमांक एफ-3-35-बत्तीस-1 दिनांक 15/07/2010 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 23/12/2010 द्वारा निर्धारित भूमि के आकार संबंधी मापदण्ड लागू होंगे तथा यह प्रावधान प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र पर लागू होगा। आवासीय भूमि के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड सारणी कमांक 6.02 से नियंत्रित होंगे।

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

6.7.2 म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक एफ-23/35/07/32-1 दिनांक 15/10/2019 अनुसार निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

2. 6.11.4 फ्लैटेड फेक्ट्रीज

अधिकतम निर्मित क्षेत्र तथा एफ.ए.आर. कमशः 50 प्रतिशत तथा 1:1.5 रहेंगे।

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश कमांक एफ-3-51/2019/18-5, दिनांक 02/11/2019 के अनुरूप प्रावधान मान्य होंगे।

3. 6.15.2 क्षेत्रीय/ नगर उद्यान

क्षेत्रीय/नगर उद्यानों के संरक्षण एवं रख रखाव की दृष्टि से सारणी क्रमांक 6.22 में दर्शित गतिविधियां इन उद्यानों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगी।

उक्त गतिविधियों के कुल क्षेत्र के 5 प्रतिशत क्षेत्र में पक्के निर्माण के साथ स्वीकार्य होगी तथा अधिकतम स्वीकार्य एफ.ए.आर. 1:0.05 होगा।

उपरोक्त गतिविधियां ऐसे क्षेत्रीय/ नगर उद्यानों में ही मान्य होगी, जिनका क्षेत्रफल 15 हेक्टर अथवा उससे अधिक हो एवं इन गतिविधियों की अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर मान्य होगी।

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

6.15.2 क्षेत्रीय/ नगर उद्यान

क्षेत्रीय/नगर उद्यानों के संरक्षण एवं रख रखाव की दृष्टि से सारणी क्रमांक 6.22 में दर्शित गतिविधियां इन उद्यानों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगी।

उक्त गतिविधियों के कुल क्षेत्र के 5 प्रतिशत क्षेत्र में पक्के निर्माण के साथ स्वीकार्य होगी तथा अधिकतम स्वीकार्य एफ.ए.आर. 1:0.05 होगा।

उपरोक्त गतिविधियां (सारणी 6.22 में दर्शित कॉलम 1 के सरल क्रमांक 9, 30, 72, 75, 83, 84, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, तथा 108 को छोड़कर) ऐसे क्षेत्रीय/नगर उद्यानों में ही मान्य होगी, जिनका क्षेत्रफल 15 हेक्टर अथवा उससे अधिक हो एवं इन गतिविधियों की अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर होगी।

4. 6.20.3 अन्य गतिविधियों हेतु नियमन

(ब) मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम/ बारात घर/ सामुदायिक भवन 6.20.4

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ब) मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम/ बारात घर 6.20.4

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

क्रमांक:एफ10-33/2017/18-2(इन्दौर):- विभागीय आदेश क्रमांक एफ10-33/2017/18-2 दिनांक 16/09/ 2020 द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में इन्दौर के लिये संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243 त (ग) एवं मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-4 के तहत प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये निम्नानुसार मेट्रोपॉलिटन एरिया का गठन किया जाता है :-

विभागीय अधिसूचना दिनांक 29/06/2002 द्वारा गठित इन्दौर निवेश क्षेत्र, विभागीय अधिसूचना दिनांक 09/09/2016 द्वारा गठित महु निवेश क्षेत्र एवं विभागीय अधिसूचना दिनांक 06/09/2016 द्वारा गठित पीथमपुर निवेश क्षेत्र को जोड़कर संपूर्ण क्षेत्र ।

उक्त मेट्रोपॉलिटन एरिया में निम्न लिखित निकाय सम्मिलित है :-

1. नगर पालिक निगम, इंदौर
2. नगर पालिका परिषद, पीथमपुर
3. नगर पंचायत, राऊ
4. नगर पंचायत, महु
5. नगर पंचायत, बेटमा
6. जिला, इंदौर की 93ग्राम पंचायतें, जैसा नीचे उल्लेखित है:

स. क्र.	ग्राम पंचायतों के नाम	स. क्र.	ग्राम पंचायतों के नाम
1	लसुड़िया परमार	5	मगरखेडा
2	सिहासा	6	सनावदिया
3	दुधिया	7	माचला
4	देव गुराड़िया	8	मोरोद

9	पिगडम्बर	52	मेमदी
10	कलारिया	53	दतोदा
11	असराव्द खुर्द	54	हरसौला
12	रालामंडल	55	आम्बाचंदन
13	लिम्बोदागारी	56	भगौरा
14	भांग्या	57	बेरछा
15	नावदापंथ	58	अवलाय
16	सिंदौड़ा	59	केशरबर्डी
17	बिसनावदा	60	जामली
18	रंगवासा	61	बडगोंडा
19	बड़ियाकीमा	62	कुवाली
20	रिजलाय	63	बिचौली
21	मिर्जापुर	64	मेठा
22	उमरिया	65	फफूंद
23	उमरीखेड़ा	66	नादेड़
24	अलवासा	67	पांजरिया
25	उमरिया खुर्द	68	सीतापाट
26	जम्बुड़ी हप्सी	69	यशवंत नगर
27	नरलाय	70	राजपुरा
28	बुढ़ानिया	71	राजपुराकूटी
29	नैनोद	72	झलारिया
30	मांगलिया सड़क	73	पीर पिपल्या
31	कैलोदहाला	74	रणमल बिल्लौद
32	बांक	75	सलमपुर
33	टिही	76	बिजेपुर
34	कवटी	77	काली बिल्लौद
35	सांतेर	78	बजरंगपुरा
36	हरनियाखेडी	79	चिराखान

37	मांगलया/नावल	80	माचल
38	गुजरखेड़ा	81	धन्नड़
39	नेउ गुराडिया	82	बगोदा
40	कोदरिया	83	सांगवी
41	चैरडिया	84	घाटा बिल्लौद
42	गांगल्याखेड़ी	85	राम बड़ोदिया
43	कैलोद	86	मेठवाड़ा
44	गवली पलासिया	87	धरावरा
45	डोंगरगांव	88	गलोंडा
46	आकवी	89	भाटखेड़ी
47	मलेण्डी	90	बंजारी
48	घोसीखेडा	91	सोनवाय
49	जोशीगुराडिया	92	भैंसलाय
50	शिवनगर	93	पिगडम्बर
51	सिमरोल		

7. जिला धार की 16 ग्राम पंचायतें, जैसा नीचे उल्लेखित है:

स. क्र.	ग्राम पंचायतों के नाम	स. क्र.	ग्राम पंचायतों के नाम
1	गोंदगांव	9	गुणावद
2	लेबड़	10	बक्साना
3	सेजवाय	11	चंदनखेड़ी
4	डेहरी	12	आसूखेड़ी
5	पिपल्दा	13	खण्डवा
6	कल्साड़ाखुर्द	14	सुलावड़
7	सेजवानी	15	चम्बल बड़ौदा
8	एकलदूना	16	नारायणपुरा

क्रमांक:एफ10-33/2017/18-2(भोपाल):- विभागीय आदेश क्रमांक एफ10-33/2017/18-2 दिनांक 16/09/ 2020 द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में भोपाल के लिये संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243 त (ग) एवं मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-4 के तहत प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये निम्नानुसार मेट्रोपॉलिटन एरिया का गठन किया जाता है :-

विभागीय अधिसूचना दिनांक 24/06/2019 द्वारा गठित भोपाल निवेश क्षेत्र एवं कार्यालय कलेक्टर जिला रायसेन की अधिसूचना दिनांक 02/01/2001 द्वारा गठित मंडीदीप निवेश क्षेत्र को जोड़कर संपूर्ण क्षेत्र।

उक्त मेट्रोपॉलिटन एरिया में निम्न लिखित निकाय सम्मिलित है :-

1. नगर पालिक निगम, भोपाल,
2. नगर पालिका परिषद, मंडीदीप,
3. जिला, भोपाल की 59 ग्राम पंचायतें, जैसा नीचे उल्लेखित है:

स. क्र.	ग्राम पंचायतों के नाम	स. क्र.	ग्राम पंचायतों के नाम
1	निपानिया सूखा	7	इमलिया
2	खजूरी राताताल	8	सूखी सेंवनिया
3	निपानिया जाट	9	चंदूखेड़ी
4	गोलखेड़ी	10	खेजड़ादेव
5	खामखेड़ा	11	अचारपुरा

6	इस्लाम नगर	12	ईटखेड़ी सड़क
13	अरवलिया	37	सुरैया नगर
14	देवलखेड़ी	38	बड़झिरी
15	चैपड़ाकलां	39	आमला
16	पिपलिया जाहिरपीर	40	सरवर
17	कान्हासैया	41	कालापानी
18	परवलिया सड़क	42	बेरखेड़ी बाज्याफत
19	कुराना	43	कलखेड़ा
20	सैवनिया ओंकार	44	सेमरी बाज्याफत
21	आदमपुर छावनी	45	बंगरसिया
22	बिलखिरिया	46	मेंडोरी
23	बरखेड़ा बोंदर	47	जमुनियाकलां
24	कोलुआं खुर्द	48	अमरावत कलां
25	नरोन्हासांकल	49	बोरदा
26	बकानियां	50	बोरखेड़ी
27	अमझरा	51	बरखेड़ा सालम
28	खजूरी सड़क	52	मुंडला
29	ईटखेड़ी छाप	53	गोल
30	मुगालिया छाप	54	कोडिया
31	बरखेड़ा नाथू	55	खौरी
32	पड़रिया जाट	56	नांदनी
33	बगरौदा	57	फंदाकलां
34	सिंकदराबाद	58	सांईस्ताखेड़ी
35	रातीबड	59	टीलाखेड़ी
36	भानपुर		

4. जिला, रायसेन की 9 ग्राम पंचायतें, जैसा नीचे उल्लेखित है:

स. क्र.	ग्राम पंचायतों के नाम	स. क्र.	ग्राम पंचायतों के नाम
1	पिपलय लोरका	6	मण्डकॉसिया
2	सतलापुर	7	सिमराई
3	नयापुरा मेवाती	8	हरई
4	सराकिया	9	पिपलया गज्जू
5	इटायाकला		

क्रमांक-एफ-3-100/32/2010 :: राज्य शासन एतद् द्वारा मध्य प्रदेश रियल एस्टेट (रिगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 की धारा 23 (1) सहपठित विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 3-100/32/2010 दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 के अंतर्गत श्री अँन्टोनी डिसा, अध्यक्ष मध्य प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यकाल की अवधि, विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-100/32/2010 दिनांक 15.12.2016 की निरंतरता में, दिनांक 25.09.2020 तक निर्धारित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 25 जनवरी 2020

पत्र क्र. 45-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत करता है. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	जनेह	3.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/सबमाइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 47-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत करता है. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	खतिलवार	2.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/सबमाइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 49-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत करता है. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	सराई	3.200	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/सबमाइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 51-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत करता है. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	भुआरा	3.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/सबमाइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 53-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की

धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत करता है। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	इटौर	2.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा, (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/सबमाइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 55-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत करता है। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	चौखड़ा	4.200	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा, (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/सबमाइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 57-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन,

इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत करता है। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	पनासी	6.000	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/सबमाइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 59-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत करता है। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	चन्द्रपुर	5.000	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/सबमाइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 61-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते

हुए प्राधिकृत करता है। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	नौवस्ता	3.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा, (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/सबमाइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 63-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत करता है. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	रेही	4.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा, (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/सबमाइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 65-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते

हुए प्राधिकृत करता है। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	बिलरा	2.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा, (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/सबमाइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 67-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत करता है। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	सिन्हा	3.200	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा, (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/सबमाइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 जून 2020

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-19-20 पत्र क्र. 116-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सुजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रायपुर	बाघेलान	बकिया वैलो	9.251	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रीवा (म. प्र.). हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), जिला सतना (म. प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेशरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 29 जुलाई 2020

क्र. -2020-एलए-नस्ती क्र.-112-2018-एलए-भू-अर्जन-प्र. क्र. 003-अ-82-19-20.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय-सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है:—भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा

- (ग) ग्राम—बीड
(घ) अर्जित रकबा/क्षेत्रफल—0.136 हेक्टेयर.

अ. क्र.	कृषक/हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री अनिल कुमार उर्फ बन्नी प्रसाद पिता श्री रामगोपाल गुप्ता निवासी बीड.	162/1	0.136	0.136	श्री सिंगाजी थर्मल पावर दोंगालिया परियोजना के लिये सुरगांव बंजारी से बीड तक रेलमार्ग के निर्माण के अंतर्गत ग्राम बीड में निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन.
कुल रकबा . .				0.136	

नोट:—(1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

- (2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालिक निदेशक श्री सिंगाजी थर्मल पावर दोंगालिया तह. पुनासा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं संपुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 28 अगस्त 2020

प्र. क्र. 03 अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 11 एवं 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बक्स्वाहा	बक्स्वाहा	0.70	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर..	गढ़ीसेमरा तालाब नहर निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04 अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा

11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 11 एवं 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बक्स्वाहा	सुनहरा	2.88	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.	गढ़ीसेमरा तालाब नहर निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 25 जनवरी 2019

पत्र क्र. 69-प्रका.-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—बरेती कला 356
(घ) क्षेत्रफल—0.030 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि (अ)	शासकीय भूमि (ब)
(1)	(2)	
835/1	0.030	-
कुल योग . .	0.030	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "त्योथर बहाव योजना नहर निर्माण में आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 22 अगस्त 2019

पत्र क्र. 341-प्रका.-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—उपरवार 37
(घ) क्षेत्रफल—0.346 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि (अ)	शासकीय भूमि (ब)
(1)	(2)	
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
153	0.053	-
151	0.080	-
152	0.042	-
140	0.061	-
138	0.054	-
136	0.024	-
135	0.022	-
योग (अ) . .	0.336	-
(ब) शासकीय भूमि		
142	-	0.010
योग (ब) . .	-	0.010
महायोग . .	0.346	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—त्योथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 343-प्रका.-भू-अर्जन-2020.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—कल्याणपुर-55
(घ) क्षेत्रफल—1.160 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि

(अ) निजी पट्टे की भूमि

64	0.027	-
62	0.027	-
65	0.032	-
66	0.008	-
67	0.011	-
100	0.019	-
99	0.016	-
98	0.014	-
90	0.029	-
101	0.018	-
102	0.008	-
122	0.018	-
124	0.014	-
123	0.019	-
132	0.020	-
133	0.010	-
130	0.020	-
128	0.061	-
136	0.200	-
180	0.144	-

(1)	(2)	(3)
179	0.080	-
178	0.084	-
248	0.045	-
247	0.064	-
249	0.024	-
250	0.048	-
251	0.032	-
252	0.032	-
योग (अ) . .	1.124	-

(ब) शासकीय भूमि

192	-	0.036
योग (ब) . .	0.036	-
महायोग . .	1.160	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—त्योथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं
समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 19 मार्च 2020

प्र. क्र. 05-अ-82-18-19-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनोर

- (ग) ग्राम—उर्वा
(घ) क्षेत्रफल—0.210 हेक्टेयर.

सर्वे	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
579	0.210
योग : $\frac{0.210}{\quad}$	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्च स्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 31 जुलाई 2020

पत्र क्र. 234-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम गुढ़-159 (गुढ़ वार्ड क्र. 1), राजस्व निरीक्षक मण्डल गुढ़, तहसील गुढ़, जिला रीवा, रीवा गुढ़ मार्ग में बिछिया नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) नगर/ग्राम—गुढ़ 159 (गुढ़ वार्ड क्र. 1)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.064 हेक्टेयर.

खसरा एवं रकबा का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12	0.040
13	0.006
15/1/क, 15/1/ख, 15/2	0.018
कुल योग . .	$\frac{0.064}{\quad}$

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है— रीवा-गुढ़ मार्ग में बिछिया नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 235-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम देवरी, राजस्व निरीक्षक मण्डल अतरैला, तहसील जवा, जिला रीवा, रीवा जिले के खरपटा भनिगवां मार्ग में महाना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—जवा
(ग) नगर/ग्राम—देवरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.177 हेक्टेयर.

खसरा एवं रकबा का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
78/2	0.153
81/5	0.024
कुल योग . .	$\frac{0.177}{\quad}$

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है— रीवा जिले के खरपटा भनिगवां मार्ग में महाना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैया राजा टी., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 सितम्बर 2020

क्र. 5057-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—मोहखेड
(ग) नगर/ग्राम—बांढा, प.ह.नं.-53/78,
ब. नं.-529, रा. नि. मं.-इकलबिहरी.
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-03.021
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19	0.270
20	0.336
21	01.300
23	0.490
22/1/1	0.056
24/1/1	0.010
22/1/2	0.020
24/1/2	0.010
22/1/3	0.057
22/2	0.162
24/2	0.023
22/3/1	0.057
24/3/1	0.010
22/3/2	0.010
24/3/2	0.010
62/4	0.200
कुल रकबा.	03.021
	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रंगारी तालाब के बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर परियोजना, उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 5058-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—मोहखेड
(ग) नगर/ग्राम—रंगारी तालाब, प.ह.नं.-53/78,
ब. नं.-500, रा. नि. मं.-इकलबिहरी.
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-30.506
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
132/1	01.549
134	0.030
132/2	01.172

(1)	(2)	(1)	(2)
132/3	01.716	27/10	0.413
131	0.809	27/11	0.243
15/1	0.014	115	0.926
22/1	0.377	27/12	0.684
22/5	0.376	27/13	0.680
15/2	0.014	30	01.247
22/2	0.377	50	01.614
15/3	0.014	52	0.857
22/3	0.377	53/1	0.296
22/6	0.376	54/1	0.020
15/4	0.015	53/2	0.291
22/7	0.376	184/1	0.326
22/4	0.376	184/3	0.265
22/8	0.376	185	0.190
17	0.441	184/2	0.405
18	0.263	184/7	0.070
21	0.620	184/4	0.360
27/1	0.410	184/9	0.380
27/4	0.910	184/5	0.080
108/1	0.330	184/6	0.110
118/1	02.279	कुल रकबा.	30.506 हेक्टर एवं
118/2	0.809		प्रस्तावित
120	0.125		क्षेत्रफल पर
122	0.212		आने वाली
27/2	0.638		संपत्तियां.
27/7	0.494		
108/3	0.030	(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रंगारी तालाब के बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
27/3/1	0.160	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
27/5/1	0.150	(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
108/2/1	0.030	(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
27/3/2	0.160		
27/5/2	0.150		
27/3/3	0.171		
27/3/4	0.074		
27/5/3	0.149		
108/2/4	0.030		
27/3/5	0.074		
27/5/4	0.150		
27/6	0.607		
27/8	0.405		
27/9	0.242		
51	01.052		

- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर परियोजना, उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 जून 2020

क्र. 115-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—हरनामपुर
(घ) क्षेत्रफल—0.044 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
487/3	0.019
487/4	0.014
487/17	0.011
निजी खाता भूमि योग रकबा .	<u>0.044</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-7, सतना द्वारा नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 117-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन

(क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उंचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—रमपुरवा
(घ) क्षेत्रफल—0.036 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
78/1	0.036
निजी खाता भूमि योग रकबा .	<u>0.036</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-7, सतना द्वारा नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 118-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उंचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—इचौल
(घ) क्षेत्रफल—0.577 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2258	0.030
2259/1	0.065
2304/2	0.108
2302	0.005
2303	0.120
2300	0.096
2299/1ख	0.008

(1)	(2)
2299/2	0.136
2307	0.001
2297/2	0.008
निजी खाता भूमि योग रकबा .	<u>.0577</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-7, सतना द्वारा नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 15 जून 2020

क्र. 125-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उंचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—गोबरांवलकला
(घ) क्षेत्रफल—0.167 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
26/12	0.167
निजी खाता भूमि योग रकबा .	<u>.0.167</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-7, सतना द्वारा नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 17 जुलाई 2020

क्र. 182-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन

(क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—इटमा उबारी
(घ) क्षेत्रफल—0.057 हेक्टर. निजी खाता भूमि योग

आराजी नंबर	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
39/1/1	0.040
39/2/1	0.017
कुल रकबा . .	<u>0.057</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सहायक कार्यकारी अभियंता (निर्माण-III), सतना पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 20 जुलाई 2020

क्र. 185-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—खमरेही
(घ) क्षेत्रफल—0.797 हेक्टर. निजी खाता भूमि योग

आराजी नंबर	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
326/1	0.048
328/2/1	0.120

(1)	(2)	(1)	(2)
329/2	0.005	207/1/6	0.010
329/3/1	0.012	207/1/7	0.010
330/2	0.036	207/1/8	0.010
330/3/1/1	0.090	207/1/9	0.010
331/1	0.011	207/2/2/2	0.010
332/1	0.113	207/2/2/3	0.010
333/1/1	0.029	200/1	0.020
333/2	0.075	199/1क/1/1	0.006
334/1	0.009	199/1क/1/2	0.006
334/2/1	0.009	199/1क/1/3	0.007
335/1/1	0.055	196/1/1	0.065
335/2/1	0.061	196/2	0.005
344/1	0.049	196/4	0.005
345/1	0.070	195/1	0.003
346/1	0.005	194/1	0.023
कुल रकबा . . .	0.797	198/1	0.010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सहायक कार्यकारी अभियंता (निर्माण-III), सतना पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. 191-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—कोलाड़
(घ) क्षेत्रफल—0.498 हेक्टर. निजी खाता भूमि

आराजी नंबर	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
207/1/4	0.010
207/1/5	0.010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 192-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद

(ग) नगर/ग्राम—बम्हौर	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—11.487 हेक्टर. निजी खाता भूमि का योग	745/1/1क/2/8	0.005
आराजी नंबर	745/1/1क/2/9	0.005
प्रभावित रकबा (हेक्टर में)	745/1/1क/2/10	0.005
(1)	745/1/1क/2/11	0.005
(2)	745/1/1ख/1/12	0.005
17	745/1/1ख/1/1	0.030
13/1/2	747/2	0.041
13/2	747/4	0.045
14	747/5	0.045
15	747/1/क/1क	0.289
10/2	747/1/ख	0.420
9/2	745/1/1/5	0.005
4	745/1/1/उ/3	0.005
710	745/1/1क/2/1	0.005
711/2	745/1/1/क/1	0.005
713	745/2/1	0.005
715	745/2/2	0.003
718/1	745/2/3	0.003
718/2	745/2/4	0.003
718/3	745/2/5	0.003
718/4	745/2/6	0.003
718/5	745/2/7	0.003
718/6	745/2/8	0.003
718/7	745/2/9	0.003
718/8	745/2/10	0.003
717	745/2/11	0.003
719/1	745/2/12	0.003
724/1/ख/1/ख	745/2/13	0.003
724/1/ख/1/ग	745/2/14	0.003
724/1/ख/1/क	745/2/15	0.003
725/1	745/2/16	0.003
726/1	745/2/17	0.004
725/2	745/1/1/2	0.005
726/2	655/1/2/2/1	0.004
725/3	655/1/2/3/1	0.009
726/3	655/1/2/4/1	0.014
730	655/1/2/1	0.591
716/1क	654/2	0.081
716/1ख	कुल रकबा . . .	11.487
740		
739/1		
738/1/2		
745/1/1क/2/1		
745/1/1क/2/2		
745/1/1क/2/3		
745/1/1क/2/4		
745/1/1क/2/5		
745/1/1क/2/6		
745/1/1क/2/7		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 193-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—हरदुआ मझोल
(घ) क्षेत्रफल—0.695 हेक्टर निजी खाता भूमि योग

आराजी नंबर	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
137/1/ख/4	0.028
137/1/ख/3	0.028
137/1/ग/1/3	0.015
137/1/ग/1/1	0.015
137/1/ग/1/2	0.028
143/172/1	0.045
145/2/ग/1/1	0.034
145/2/घ/1	0.045
145/1/क/1	0.285
72	0.130
144/2/1क/1	0.009
144/2/2क/1	0.009
144/2/3/क/1	0.010
75/1	0.010
75/2	0.004
कुल रकबा . .	<u>0.695</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 194-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन

(क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—सड़वा
(घ) क्षेत्रफल—1.560 हेक्टर निजी खाता भूमि योग

आराजी नंबर	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
121/3/2	0.010
121/3/3	0.010
121/3/4	0.009
121/3/5	0.010
121/3/6	0.010
121/3/7	0.012
121/3/8	0.010
121/3/9/1	0.005
121/3/9/2	0.005
121/3/10/1	0.005
121/3/10/2	0.005
121/3/11	0.010
121/3/12	0.009
121/3/13	0.010
121/3/14	0.010
121/3/15	0.010
121/3/16	0.010
121/3/17	0.018
121/3/18	0.010
121/3/19	0.010
121/3/20	0.008
121/3/21	0.009
121/3/22	0.009
121/3/23	0.010
121/3/24	0.009
121/3/25	0.010

(1)	(2)	(1)	(2)
121/3/26	0.010	121/3/58	0.010
121/3/27	0.010	121/3/59	0.010
121/3/28	0.010	121/3/60	0.010
121/3/29	0.010	121/3/61	0.010
121/3/30	0.010	121/3/62	0.008
121/3/31	0.010	121/3/63	0.010
121/3/32	0.009	121/3/64	0.010
121/3/33/1	0.005	121/3/65	0.006
121/3/33/2	0.005	121/3/66	0.010
121/3/34/1	0.005	121/3/67	0.010
121/3/34/2	0.005	121/3/68	0.010
121/3/35	0.014	121/3/69	0.010
121/3/36/1	0.005	121/3/70	0.005
121/3/36/2	0.004	121/3/71	0.010
121/3/37	0.010	121/3/72	0.010
121/3/38	0.010	121/3/73	0.010
121/3/39	0.010	121/3/74	0.010
121/3/40	0.018	121/3/75	0.010
121/3/41	0.010	121/3/76	0.010
121/3/42	0.010	121/3/77	0.005
121/3/43	0.010	121/3/78	0.010
121/3/44/1	0.005	121/3/79	0.005
121/3/44/2	0.005	121/3/80	0.010
121/3/45	0.010	121/3/81	0.005
121/3/46	0.010	121/3/82	0.010
121/3/47	0.010	121/3/83	0.010
121/3/48	0.010	121/3/84	0.010
121/3/49	0.010	121/3/85	0.007
121/3/50	0.010	121/3/86	0.007
121/3/51	0.009	121/3/87	0.007
121/3/52	0.010	121/3/88	0.007
121/3/53	0.010	121/3/89	0.007
121/3/54/1	0.005	121/3/90	0.005
121/3/54/2	0.005	121/3/91	0.005
121/3/55	0.010	105/2/2	0.005
121/3/56	0.009	105/2/3	0.005
121/3/57	0.009	105/2/4	0.005

(1)	(2)	(1)	(2)
105/2/5	0.005	181/1	0.048
105/2/6	0.005	185/1/1	0.015
105/2/7	0.005	185/2	0.020
105/2/8	0.005	186/3	0.024
105/2/9	0.005	186/5	0.011
105/2/10	0.005	187/1/1	0.068
105/2/11	0.005	187/1/3	0.006
105/2/12	0.005	187/1/4	0.007
105/2/13	0.005	187/13/1	0.010
105/2/14	0.005	189/1/1	0.030
105/2/15	0.005	189/1/2	0.011
105/2/16	0.005	189/1/3	0.011
105/2/17	0.005	189/1/4	0.011
105/2/18	0.005	189/1/5	0.011
105/2/19	0.005	191	0.003
105/2/20	0.005	206/1	0.012
105/2/21	0.005	208/1	0.055
105/2/22	0.005	128/1क/1/1/1/1/2	0.021
174/1/क	0.002	38/1/4	0.002
174/1/ख	0.008	38/1/6	0.014
174/2/1	0.003	38/1/7	0.003
174/2/2	0.003	33/1/2/2	0.013
174/2/3	0.015	128/1/क/2	0.016
174/2/4	0.001	128/1क/1/1/1/1	0.003
174/2/5	0.001	128/1क/1/2क/3	0.010
174/2/6	0.002	128/1क/1/1/1/3/2	0.003
174/2/7	0.002	128/1क/1/1/1/3/3	0.002
174/2/8	0.002	128/1क/1/1/1/3/4	0.001
174/2/9	0.001		
174/2/10	0.002	कुल रकबा . .	<u>1.560</u>
174/2/11	0.001	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—उप	
178/3	0.006	मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा	
178/1	0.041	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541	
178/2	0.005	कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.	
179	0.042	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कंलेक्टर	
180/1	0.009	(भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा	
180/2	0.009	सकता है.	

सतना, दिनांक 22 अगस्त 2020

क्र. 231-भू-अर्जन-2020.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—खम्हरियाखुर्द
(घ) क्षेत्रफल—0.238 हेक्टर. निजी खाता भूमि

आराजी नंबर	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
313/1	0.063
314/1	0.003
315/2/ख/3	0.027
315/1/ख/1	0.027
315/2/क/1	0.027
315/4/1	0.028
262/4/2/2/2	0.004
262/4/2/2/3	0.004
262/4/2/2/4	0.004
262/4/2/2/5	0.004
262/4/2/2/6	0.004
262/4/2/2/7	0.004
262/4/2/2/8	0.004
262/4/2/2/9	0.004
262/4/2/2/10	0.004
262/4/2/2/11	0.004
262/4/2/2/12	0.004
262/4/2/2/13	0.004
262/4/2/2/14	0.003
262/4/2/2/15	0.004
262/4/2/2/16	0.004
262/4/2/2/17	0.004
कुल रकबा . .	0.238

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—उप

मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 233-भू-अर्जन-2020.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—बिकरा
(घ) क्षेत्रफल—1.008 हेक्टर. निजी खाता भूमि

आराजी नंबर	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
82/1/1	0.200
82/1/2	0.010
82/1/3	0.009
82/1/4	0.009
82/1/5	0.016
82/1/6	0.009
82/1/7	0.016
82/1/8	0.009
82/1/9	0.009
82/1/10	0.009
82/1/11	0.009
82/1/12	0.009
82/1/13	0.009
82/1/14	0.009
82/1/15	0.009
82/1/16	0.009
82/1/17	0.009

(1)	(2)	(3)																						
82/1/18	0.009	<p>(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.</p> <p>क्र. 232-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—</p> <p style="text-align: center;">अनुसूची</p> <p>(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)</p> <p>(क) जिला—सतना (ख) तहसील—नागौद (ग) नगर/ग्राम—मढ़ा (घ) क्षेत्रफल—0.283 हेक्टर. निजी खाता भूमि</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>आराजी नंबर</th> <th>प्रभावित रकबा (हेक्टर में)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>461/1/1/1</td><td>0.064</td></tr> <tr><td>461/1/1/2</td><td>0.064</td></tr> <tr><td>461/1/1/3</td><td>0.064</td></tr> <tr><td>461/1/1/4/1/1</td><td>0.064</td></tr> <tr><td>462/1/1/1</td><td>0.011</td></tr> <tr><td>462/1/1/2</td><td>0.003</td></tr> <tr><td>462/1/1/3</td><td>0.010</td></tr> <tr><td>462/1/1/4</td><td>0.003</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">कुल योग रकबा . . . 0.283</td></tr> </tbody> </table> <p>(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.</p> <p>(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.</p> <p>क्र. 234-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह</p>	आराजी नंबर	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)	(1)	(2)	461/1/1/1	0.064	461/1/1/2	0.064	461/1/1/3	0.064	461/1/1/4/1/1	0.064	462/1/1/1	0.011	462/1/1/2	0.003	462/1/1/3	0.010	462/1/1/4	0.003	कुल योग रकबा . . . 0.283	
आराजी नंबर	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)																							
(1)	(2)																							
461/1/1/1	0.064																							
461/1/1/2	0.064																							
461/1/1/3	0.064																							
461/1/1/4/1/1	0.064																							
462/1/1/1	0.011																							
462/1/1/2	0.003																							
462/1/1/3	0.010																							
462/1/1/4	0.003																							
कुल योग रकबा . . . 0.283																								
82/1/19	0.009																							
82/1/20	0.009																							
82/1/21	0.009																							
82/1/22	0.009																							
547/2/2	0.009																							
547/2/3	0.009																							
548/2/2	0.009																							
548/2/3	0.009																							
548/2/4	0.018																							
548/2/5	0.009																							
548/2/6	0.018																							
548/2/7	0.009																							
548/2/8	0.018																							
548/2/9	0.009																							
548/2/10	0.018																							
548/2/11	0.009																							
548/2/12	0.009																							
548/2/13	0.009																							
548/2/14	0.009																							
548/2/15	0.009																							
548/2/16	0.009																							
548/2/17	0.009																							
548/2/18	0.009																							
548/2/19	0.009																							
547/2/1	0.017																							
548/2/1	0.007																							
547/1	0.006																							
548/1	0.009																							
550	0.061																							
551	0.024																							
7/1	0.264																							
कुल योग रकबा . . . 1.008																								

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

क्र. 234-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—बडखेर
(घ) क्षेत्रफल—3.063 हेक्टर. निजी खाता भूमि

आराजी नंबर प्रभावित रकबा
(हेक्टर में)

(1) (2)

7 0.134

8 0.040

9 0.053

10 0.030

14/1/1 0.057

30/1/1 0.070

33 0.015

36/1/1 0.758

37/1 0.082

38/1/1 0.478

15/1 0.052

35/2 0.007

44/1 0.137

18/2/1/1/1 0.036

108/2/1/1/5 0.010

18/2/1/1/1/2 0.010

108/2/1/1/2 0.010

18/2/1/1/1/3 0.010

108/2/1/1/3 0.010

18/2/1/1/1/4 0.010

108/2/1/1/9 0.010

18/2/1/1/1/5 0.010

108/2/1/1/10 0.010

18/2/1/1/1/6 0.010

108/1ख/1/1/2 0.010

108/2/1/1/4 0.010

108/1ख/1/1/3 0.010

108/2/1/1/7 0.010

108/1ख/1/1/4 0.010

108/2/1/1/6 0.010

108/1ख/1/1/5 0.010

108/2/1/1/8 0.010

(1) (2)

108/1ख/1/1/6 0.010

108/1ख/1/1/7 0.010

108/1/ख/1/1 0.097

108/2/1/1 0.222

45/2/1 0.182

48/2/1 0.049

46/2/1 0.033

47/2 0.014

49/2/1 0.069

46/1/1 0.039

48/1/1 0.209

योग . . . 3.063

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय कटेशरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 अगस्त 2020

पत्र क्र. 240-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है.

चूंकि, ग्राम टिकुरी, राजस्व निरीक्षक मण्डल बनकुइयाँ, जिला रीवा, इनटेक वेल टिकुरी के लिए पहुँच मार्ग एवं विद्युत सब स्टेशन के कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)

(ख) तहसील—हुजूर	(1)	(2)
(ग) नगर/ग्राम—टिकुरी	272/1/4	0.005
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.228 हेक्टेयर निजी भूमि.	272/2	0.120
खसरा एवं रकबा का विवरण	272/3	0.074
		योग. . 0.228

खसरा क्रमांक	अर्जन किये जाने हेतु रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
272/1/1	0.005
272/1/2	0.005
272/1/3	0.019

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—इनटेक वेल के लिए पहुँच मार्ग एवं विद्युत् सब स्टेशन निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय, जिला रीवा एवं लोक स्वा. यौत्रिकी विभाग खण्ड, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इलैया राजा टी., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.